Discussion on "Parliamentary Journey of 75 years starting from Samvidhan Sabha- Achievements, Experiences, Memories and Learnings

-

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, हमारा यह संसद भवन स्वतंत्रता प्राप्ति की ऐतिहासिक घड़ी से लेकर भारत के संविधान निर्माण की सम्पूर्ण प्रक्रिया और उसके साथ ही हमारे आधुनिक राष्ट्र की गौरवशाली लोकतांत्रिक यात्रा का साक्षी रहा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोक सभा के अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलंकर जी ने 15 मई, 1952 को अपना पदभार ग्रहण किया था। देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था के प्रथम अध्यक्ष के रूप में उन्होंने नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, कार्य मंत्रणा समिति सहित कई अन्य संसदीय समितियों की स्थापना की और सदन के अंदर उच्चतम परम्पराओं की नींव रखी। इस सदन में अभी तक मेरे से पूर्व 16 माननीय अध्यक्ष सदन के आसन पर विराजमान हुए और उन सभी ने श्रेष्ठ परंपराएं स्थापित कीं।

माननीय सदस्यगण, इस कक्ष के माध्यम से अब तक 15 माननीय प्रधान मंत्रियों का नेतृत्व प्राप्त हुआ। उन सभी ने अपने विचारों और कार्यों से देश की दशा और दिशा तय की है। यह सदन संवाद संस्कृति का जीवंत प्रतीक रहा है। विभिन्न दलों के बीच तथा सहमति-असहमति के बीच पिछले 75 वर्षों में देश हित में सामूहिकता से निर्णय लिए गए। संसदीय विचार-विमर्श की पद्धति से देश की जनता के जीवन में सामाजिक, आर्थिक बदलाव के लिए कानून बनाए गए। आपदा और संकट के समय सदन ने एकजुटता और प्रतिबद्धता से उसका सामना किया। आज इस कक्ष में कार्यवाही का अंतिम दिन है। हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में इस भवन का योगदान अतुलनीय है। आज के बाद सदन की कार्यवाही नए भवन में संचालित होगी। हम नए भवन में नई आशाओं, नई उम्मीदों के साथ प्रवेश करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारी संसद के नए भवन में हमारा लोकतंत्र नई ऊँचाइयों को प्राप्त करेगा।

अब मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे अपने विचारों को व्यक्त करें।

प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी): माननीय अध्यक्ष जी, देश की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उसका एक बार पुन: स्मरण करने के लिए और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पलों को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे

बढ़ने का यह अवसर है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं।

आजादी के पहले यह सदन इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद इसको संसद भवन के रूप में पहचान मिली। यह सही है कि इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन यह बात हम कभी नहीं भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों का लगा था। इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है और इस सदन में रहे हुए सबने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी है। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, यह भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा-हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। यह भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो सारी दुनिया को भारत की रगों में लोकतंत्र का सामर्थ्य कैसे है, इसका परिचय कराने का काम इस इमारत से होता रहेगा।

आदरणीय अध्यक्ष जी, अमृतकाल की प्रथम प्रभा का प्रकाश, राष्ट्र में एक नया विश्वास, नया आत्मविश्वास, नई उमंग, नए सपने, नए संकल्प और राष्ट्र का नया सामर्थ्य उसे भर रहा है। चारों तरफ आज भारतवासियों की उपलब्धि की चर्चा हो रही है और गौरव के साथ हो रही है। यह हमारे 75 साल के संसदीय इतिहास का एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है, जिसके कारण विश्व में आज वह गूंज सुनाई दे रही है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, चंद्रयान-3 की सफलता से न सिर्फ पूरा भारत, पूरा देश अभिभूत है, बल्कि इसमें भारत के सामर्थ्य का एक नया रूप, जो आधुनिकता से जुड़ा है, जो विज्ञान से जुड़ा है, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, जो हमारे वैज्ञानिकों के सामर्थ्य से जुड़ा है, जो 140 करोड़ देशवासियों की संकल्प शक्ति से जुड़ा हुआ है, वह देश और दुनिया पर नया प्रभाव पैदा करने वाला है। यह सदन और इस सदन के माध्यम से मैं फिर एक बार देश के वैज्ञानिकों और उनके साथियों को कोटि-कोटि बधाइयां देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन ने भूतकाल में जब नेम (NAM) की समिट हुई थी, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके देश के इस प्रयास को सराहा था। आज जी-20 की सफलता को भी आपने सर्वसम्मति से सराहा है। मैं मानता हूं कि देशवासियों का आपने गौरव बढ़ाया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जी-20 की सफलता 140 करोड़ देशवासियों की है। यह भारत की सफलता है। किसी व्यक्ति की सफलता नहीं है, किसी दल की सफलता नहीं है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर ने, भारत की विविधता ने 60 स्थानों पर 200 से अधिक समिट और उसकी मेजबानी हिन्दुस्तान के अलग-अलग रंग-रूप में, देश की अलग-अलग सरकारों ने बड़े आन-बान-शान से की और यह प्रभाव पूरे

विश्व भर के मन पर पड़ा हुआ है। यह हम सब के लिए सेलिब्रेट करने वाला विषय है, देश के गौरव गान को बढ़ाने वाला है और जैसा आपने उल्लेख किया कि भारत इस बात के लिए गर्व करेगा, जब भारत अध्यक्ष रहा था, उस समय अफ्रीकन यूनियन इसका सदस्य बना है। मैं उस इमोशनल पल को भूल नहीं सकता हूं कि जब अफ्रीकन यूनियन की घोषणा हुई और अफ्रीकन यूनियन के प्रेजीडेंट ने इंटरव्यू में कहा कि मेरे जीवन में यह ऐसा पल था कि शायद मैं बोलते-बोलते रो पड़ूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी अपेक्षा और आशाएं पूरा करने का काम भारत के भाग्य में आया है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत के प्रति शक करने का एक स्वभाव कई लोगों का बना हुआ है और जब आज़ादी मिली, तब से चल रहा है। इस बार भी यही था कि कोई डिक्लेरेशन नहीं होगा, असम्भव है। लेकिन यह भारत की ताकत है कि वह भी हुआ और विश्व सर्वसम्मति से एक साझा घोषणा पत्र लेकर, आगे का रोड मैप लेकर यहां से प्रारंभ हुआ है। अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में, क्योंकि भारत की अध्यक्षता नवंबर के आखिरी दिन तक है, इसलिए अभी हमारे पास जो समय है, उसका उपयोग हम करने वाले हैं और आपकी अध्यक्षता में दुनिया भर के जो जी-20 के सदस्य हैं, पी-20 पार्लियामेंट के स्पीकर्स की एक समिट की जैसे आपने घोषणा की, सरकार का आपके इस प्रयास को पूरा समर्थन रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सब के लिए गर्व की बात है कि आज भारत विश्व मित्र के रूप में अपनी जगह बना पाया है। पूरा विश्व भारत में अपना मित्र खोज रहा है। पूरा विश्व भारत की मित्रता को अनुभव कर रहा है और उसका मूल कारण है कि हमारे जो संस्कार हैं, वेद से विवेकानंद तक जो हमने पाया है, ?सबका साथ, सबका विकास? का मंत्र आज विश्व को हमें साथ लाने में जोड़ रहा है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती हैं और हम जब यह सदन को छोड़ कर जा रहे हैं तो हमारा मन-मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है, अनेक यादों से भरा हुआ है। खट्टे-मीठे अनुभव भी रहे हैं, नोंक-झोंक भी रही है, कभी संघर्ष का माहौल भी रहा है और कभी इसी सदन में उत्सव और उमंग का माहौल भी रहा है। ये सारी स्मृतियाँ हमारे साथ हैं। ये हम सबकी साझी स्मृतियाँ हैं, ये हम सबकी साझी विरासत है। इसलिए इसका गौरव भी हम सबका साझा है।

आज़ाद भारत के नव-निर्माण से जुड़ी हुई अनेक घटनाएँ इन 75 वर्षों में हमने यहीं इस सदन में आकार लेती हुई देखी हैं। आज हम लोग जब इस सदन को छोड़कर नये सदन की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, तब भारत के

सामान्य मानवी की भावनाओं को जहाँ जो आदर मिला है, सम्मान मिला है, यह उसकी अभिव्यक्ति का भी अवसर है।

जब मैं पहली बार संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के डोर, पगथी पर अपना शीश झुकाकर, इस लोकतंत्र के मन्दिर को श्रद्धाभाव से नमन करते हुए, मैंने पैर रखा था। वह पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन यह भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिम्ब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुँच जाता है। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि देश मुझे इतना सम्मान देगा, इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा। यह मैंने सोचा नहीं था।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हम में से बहुत लोग हैं, जो संसद भवन के अन्दर जो चीजें लिखी गई हैं, उनको पढ़ते भी रहते हैं। लोग कभी-कभी उसका उल्लेख भी करते हैं। हमारे यहाँ संसद भवन के प्रवेश द्वार पर छांदोग्य उपनिषद का एक वाक्य लिखा है। ?लोकद्वारम? करके वह पूरा वाक्य है। उसका मतलब यह होता है कि जनता के लिए दरवाजे खोलिए और देखिए कि कैसे वह अपने अधिकारों को प्राप्त करती है। हमारे ऋषि-मुनियों ने यह लिखा है। यह इसके प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ है।

हम सब और हमारे पहले जो लोग यहाँ रहे हैं, वे भी इस सत्यता के साक्षी हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, समय रहते जैसे-जैसे वक्त बदलता गया, हमारे सदन की संरचना भी निरंतर बदलती रही है। यह और अधिक समावेशी बनती गई है। समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधि, विविधताओं से भरा हुआ इस सदन में नज़र आता है। अनेक भाषाएँ हैं, अनेक बोलियाँ हैं, अनेक पहरवेश हैं, अनेक खानपान हैं। सदन के अन्दर सबकुछ है। समाज के सभी तबके के लोग, चाहे वे सामाजिक रचना के हों, चाहे आर्थिक रचना के हों, चाहे गाँव या शहर के हों, एक प्रकार से पूर्ण रूप से समावेशी वातावरण सदन में पूरी ताकत के साथ जन-सामान्य की इच्छा-आकांक्षाओं को प्रकट करता रहा है। दलित हो, पीड़ित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा वर्ग हो, महिलाएं हों, हर एक का धीरे-धीरे योगदान बढ़ता चला गया है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रारंभ में महिला सदस्यों की संख्या कम थी, लेकिन धीरे-धीरे माताओं-बहनों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। ? (व्यवधान) इस सदन की गरिमा में बहुत बड़ा बदलाव लाने में उनका योगदान रहा है
।

आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रारंभ से अब तक, एक मोटा-मोटा हिसाब लगाता था, करीब-करीब 7,500 से अधिक जनप्रतिनिधि, दोनों सदनों में मिलाकर, योगदान दे चुके हैं इतने सालों में। ? (व्यवधान) ये 7,500 से भी ज्यादा हैं।

इस कालखंड में करीब 600 महिला सांसदों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। ? (व्यवधान) दोनों सदनों की गरिमा को बढ़ाया है। ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि इस सदन में आदरणीय इन्द्रजीत गुप्ता जी 43 वर्षों तक, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो 43 वर्षों के लंबे समय तक इस सदन में बैठकर इस सदन का साक्षी बनने का उनको सौभाग्य मिला था। ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, यही सदन है, जहां डॉ. शफीकुर्रहमान जी, 93 वर्ष की एज में भी सदन में अपना योगदान देते रहे हैं। उनकी उम्र 93 इयर्स है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, यह भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि 25 साल की उम्र की चन्द्राणी मुर्मु जी इस सदन की सदस्य बनी थीं। ? (व्यवधान) सिर्फ 25 साल की उम्र की, सबसे छोटी उम्र की सदस्य बनी थीं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वाद-विवाद, कटाक्ष, यह सब कुछ हम सबने अनुभव किया है। हम सबने इनीशिएट भी किया है, कोई बाकी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी शायद जो परिवार भाव हम लोगों के बीच में रहा है, हमारी पहले की पीढ़ियों में भी रहा है। जो लोग प्रचार माध्यमों से हमारा यहां का रूप देखते हैं और बाहर निकलते ही हमारा जो अपनापन होता है, परिवार भाव होता है, वह एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाता है। ? (व्यवधान) यह भी इस सदन की ताकत है।

इसके साथ-साथ हम कभी कड़वाहट पालकर नहीं जाते हैं। हम उसी प्यार से, सदन छोड़ने के कई वर्षों के बाद भी मिल जाएं, तो भी उस प्यार को कभी भूलते नहीं हैं। उन स्नेह भरे दिनों को भूलते नहीं हैं। वह मैं अनुभव कर सकता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने पहले भी और वर्तमान में भी, कई बार देखा है कि अनेक संकटों के बावजूद भी, अनेक असुविधाओं के बावजूद भी सांसद सदन में आए हैं और उन्होंने शारीरिक पीड़ा भी सही हो, तो भी सदन में एक सांसद के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में अपना कर्तव्य निभाया है। ऐसी अनेक घटनाएं आज हमारे सामने हैं। गंभीर-गंभीर बीमारियों के बावजूद भी किसी को व्हीलचेयर में आना पड़ा, किसी को डॉक्टरों को बाहर खड़े रखकर अंदर आना पड़ता था, लेकिन सभी सांसदों ने कभी न कभी इस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, कोरोना काल हमारे सामने उदाहरण है। हर परिवार में डर रहता था कि कहीं बाहर जाएं, तो कहीं मौत को बुलावा न दे दें। उसके बावजूद भी हमारे माननीय सांसद दोनों सदनों में कोरोना काल की

संकट की घड़ी में भी सदन में आए और अपना कर्तव्य निभाया। ? (व्यवधान) हमने राष्ट्र का काम रुकने नहीं दिया। आवश्यकता पड़ती थी, डिस्टेंस भी रखना था और बार-बार टेस्टिंग भी करानी पड़ती थी। सदन में आते थे, लेकिन मास्क पहनना पड़ता था। बैठने की रचना भी अलग-अलग की गई, समय भी बदले गए। हर चीज के साथ, राष्ट्र का काम रूकना नहीं चाहिए, इस भाव से सभी सदस्यों ने इस सदन को अपने कर्तव्य का महत्वपूर्ण अंग माना है और संसद को चलाये रखा है। मैंने देखा है कि इस सदन से इतना लगाव लोगों का रहता है, पहले कभी हम देखते थे, कोई 30 साल पहले सांसद रहा होगा, कोई 35 साल पहले रहा होगा, लेकिन वह सेन्ट्रल हॉल तो जरूर आएगा। जैसे मन्दिर जाने की आदत होती है, वैसे उनको सदन में आने की आदत होती है। इस जगह का लगाव बन जाता है, एक आत्मीय भाव से जुड़ाव हो जाता है। ऐसे बहुत से पुराने लोग हैं, जिनका आते-जाते मन करता है कि जरा चलो एक चक्कर काटते हैं। आज उनका जनप्रतिनिधि के नाते दायित्व नहीं है, लेकिन भूमि के प्रति उनका लगाव हो जाता है। यह सामर्थ्य होता है इस सदन का।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद बहुत बड़े-बड़े विद्वान लोगों ने बहुत आशंकायें व्यक्त की थीं। पता नहीं देश का क्या होगा, चल पायेगा कि नहीं चल पायेगा, एक रहेगा या बिखर जायेगा, लोकतन्त्र बना रहेगा या नहीं, लेकिन इस देश की संसद की ताकत है कि पूरे विश्व को गलत सिद्ध कर दिया और यह राष्ट्र पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ता रहा है। इस विश्वास से कि हम, भले ही आशंकाएं होंगी, घने काले बादल होंगे, लेकिन सफलता प्राप्त करते रहेंगे। हम सब लोगों ने, हमारी पुरानी पीढ़ियों ने मिलकर के इस काम को करके दिखाया है। इसका गौरव गान करने का यह अवसर है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी भवन में 2 साल 11 महीने तक संविधान सभा की बैठकें हुई हैं और उसमें देश के लिए एक मार्गदर्शक, जो आज भी हमें चलाता है, हमारा संविधान दिया और 26 नवम्बर, 1949 को जो संविधान हमें मिला, वह 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। इन 75 वर्षों में सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है, वह यह है कि देश के सामान्य मानवी का इस संसद पर विश्वास बढ़ता ही गया है और लोकतन्त्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इस महान संस्था के प्रति, इस महान इंस्टिट्यूशन के प्रति, इस व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास अटूट रहे, विश्वास उनका बना रहे। इन 75 वर्षों में हमारी संसद ने इसे जन भावनाओं की अभिव्यक्ति का भवन भी बना दिया है। यहाँ जन भावनाओं की पुरजोश अभिव्यक्ति होती है और हम देखते हैं कि राजेन्द्र बाबू से लेकर डॉ. कलाम, रामनाथ जी कोविंद और अभी द्रौपदी मुर्मू जी, इन सबके सम्बोधन का लाभ हमारे सदनों को मिला है, उनका मार्गदर्शन मिला है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू जी, शास्त्री जी, वहाँ से लेकर के अटल जी, मनमोहन सिंह जी तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, जिसने इस सदन का नेतृत्व किया है और सदन के माध्यम से देश को दिशा दी है। देश को नए रंग-रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है, पुरूषार्थ किया है। आज उन सबका गौरव गान करने का भी अवसर है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोहिया जी, चन्द्रशेखर जी, आडवाणी जी, न जाने अनगिनत नाम हैं, जिन्होंने हमारे इस सदन को समृद्ध करने में, चर्चाओं को समृद्ध करने में, देश के सामान्य से सामान्य व्यक्ति की आवाज को ताकत देने का काम इस सदन में किया है।

विश्व के भी अनेक राष्ट्राध्यक्षों द्वारा हमारे सदनों को संबोधित करने के अवसर आए हैं और उनकी बातों में भी भारत के लोकतंत्र के प्रति आदर का भाव व्यक्त हुआ है। उमंग, उत्साह के पल के बीच कभी सदन की आंख से आंसू भी बहे और यह सदन दर्द से भर गया, जब देश को अपने तीन प्रधान मंत्रियों को उनके अपने कार्यकाल में खोने की नौबत आई - नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी, तब यह सदन अश्रुभीनी आंखों से उन्हें विदाई दे रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, अनेक चुनौतियों के बावजूद भी हर स्पीकर ने, हर सभापति ने बेहतरीन तरीके से दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाया है और अपने कार्यकाल में उन्होंने जो निर्णय किए हैं, वे निर्णय मावलंकर जी के काल से शुरू हुए हों या सुमित्रा जी के कालखंड के हों या बिरला जी के, आज भी उन निर्णयों को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। यह काम हमारे करीब 17 स्पीकर्स और उसमें दो हमारी महिला स्पीकर्स ने भी मावलंकर जी से लेकर सुमित्रा ताई तक और बिरला जी का मार्गदर्शन आज भी हमें मिल रहा है, हर एक की अपनी-अपनी शैली रही है लेकिन उन्होंने सभी को साथ लेकर नियमों, कानूनों के बंधन में इस सदन को हमेशा ऊर्जावान बनाए रखा है। मैं आज उन सभी स्पीकर महोदयों का भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, यह सही है कि हम जनप्रतिनिधि अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं लेकिन सातत्यपूर्ण तरीके से हमारे बीच जो एक टोली बैठती है, उनकी भी कई पीढ़ियां बदल गईं। वे कभी कागज लेकर दौड़ कर आते हैं, उनका भी योगदान कम नहीं है। हमें कागज, पत्र पहुंचाने के लिए दौड़ते हैं। सदन में कोई गलती न हो जाए, उसके निर्णय में कोई गलत न हो जाए, उसके लिए वे चौकन्ने रहते हैं। जो काम उनके द्वारा हुआ है, उसने भी सदन की क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस में तेजी लाने में बहुत बड़ी मदद की है। मैं उन सभी साथियों का और इनके पूर्व में जो रहे हैं, उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। इतना ही नहीं सदन मतलब यह खंड ही नहीं, इस पूरे परिसर में अनेक लोगों ने किसी ने हमें चाय पिलाई, किसी ने हमें पानी पिलाया, किसी ने रात-रात चली सदन को किसी को भूखे पेट रहने नहीं

दिया तथा कई प्रकार की सेवाएं कीं। किसी माली ने इसके बाहर के एनवायरमेंट को संभाला होगा, किसी ने इसकी सफाई की होगी। न जाने कितने ही अनगिनत लोग होंगे, जिन्होंने हम सब अच्छे ढंग से काम कर सकें और यहां जो काम हो वह काम देश को आगे बढ़ाने के लिए, काम अधिक से अधिक तेजी से हो, उसके लिए जो माहौल बनाना, व्यवस्था बनाना, उसके लिए जिस-जिस ने योगदान दिया, मेरी तरफ से भी और सदन की तरफ से भी मैं उनका विशेष रूप से नमन करता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र के इस सदन पर आतंकी हमला हुआ। पूरे विश्व में यह आतंकी हमला एक इमारत पर नहीं था, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, एक प्रकार से हमारी जीवात्मा पर यह हमला था। यह देश उस घटना को कभी भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकियों से लड़ते-लड़ते सदन को बचाने के लिए और हर सदस्य को बचाने के लिए जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां झेलीं, आज मैं उनको भी नमन करता हूं। वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी रक्षा की है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, जब आज हम इस सदन को छोड़ रहे हैं, तब मैं उन पत्रकार मित्रों को भी याद करना चाहता हूं जिन्होंने अपने जीवन में, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में अपना पूरा जीवन संसद के काम को ही रिपोर्ट किया है। एक प्रकार से वे जीवन्त साक्षी रहे हैं। उन्होंने यहां की पल-पल की जानकारी देश तक पहुंचायी और तब तो यह सारी टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी। तब वही लोग थे, जो यहां की बात पहुंचाते थे। उनका सामर्थ्य था कि वे अन्दर की भी पहुंचाते थे और अन्दर के अन्दर की भी पहुंचाते थे। मैंने देखा है कि ऐसे पत्रकार जिन्होंने संसद को कवर किया है, शायद उनके नाम जाने नहीं जाते, लेकिन उनके काम को कोई भूल नहीं सकता है। खबरों के लिए नहीं, भारत की इस विकास यात्रा को संसद भवन से समझने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति खपा दी। आज भी पुराने जो पत्रकार मित्र मिल जाते हैं और जिन्होंने कभी संसद को कवर किया है, वे ऐसी अज्ञात चीजें बताते हैं, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी होती हैं, कान से सुनी होती हैं, जो अचरज करने वाली होती हैं। एक प्रकार से, जैसी ताकत यहां की दीवारों की रही हैं, वैसा ही दर्पण उनकी कलम में रहा है और उस कलम ने देश के अन्दर संसद के प्रति, संसद सदस्यों के प्रति एक अहोभाव का भाव जगाया है। कई पत्रकार बंधु होंगे, जो रहे नहीं होंगे, लेकिन जैसे मेरे लिए यह सदन छोड़ना एक भावुक पल है, मैं पक्का मानता हूं कि इन पत्रकार बंधुओं के लिए भी यह सदन छोड़ना उतना ही भावुक पल होगा, क्योंकि इनका लगाव हमसे भी ज्यादा रहा है। कुछ तो पत्रकार ऐसे होंगे, जो हम लोगों के समय से पहले भी काम किए होंगे, आज उनके उस महत्वपूर्ण लोकतंत्र की ताकत बनने के लिए योगदान देने के लिए भी याद करने का अवसर है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, जब हम सदन के अन्दर आते हैं, हमारे यहां नाद ब्रह्म की कल्पना है। हमारे शास्त्रों में माना गया है कि किसी एक स्थान पर अनेक बार एक ही लय में उच्चारण होता है, वह तपोस्थली बन जाता है। उसके पॉज़िटिव वाइव्स होते हैं। नाद की एक ताकत होती है, जो स्थान को सिद्धि स्थान में परिवर्तित कर देती है। मैं मानता हूं कि यह सदन भी उस 7,000-7,500 जन प्रतिनिधियों के द्वारा बार-बार जो शब्द गूंजे हैं, जो वाणी यहां गूंजी है, उसमें इस सदन में हम बैठकर आगे चर्चा करें या न करें, लेकिन इसकी गूंज इसे तीर्थ क्षेत्र बना देती है। यह एक जाग्रत जगह बन जाती है और लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति आज से 50 साल के बाद भी जब यहां देखने के लिए आएगा तो उसे उस गूंज की अनुभूति होगी कि कभी भारत की आत्मा की आवाज़ यहां पर गूंजती थी।

माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए यह वह सदन है, जहां कभी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपनी वीरता और सामर्थ्य से अंग्रेज़ सल्तनत को बम का धमाका कर के जगा दिया था। उस बम की गूंज भी, जो देश का भला चाहते हैं, उनको कभी सोने नहीं देती है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, यह वह सदन है, जहां पंडित जी को इसलिए भी याद किया जाता है, अनेक बातों के लिए याद किया जाएगा, लेकिन हम जरूर याद करेंगे कि इसी सदन में पंडित नेहरू का ?At the stroke of midnight?? की गूँज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वे शब्द आज भी इस सदन में गूँज रहे हैं कि ?सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन यह देश रहना चाहिए। ?

आदरणीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू की जो प्रारंभिक मंत्रिपरिषद थी, उसमें बाबा साहब अंबेडकर जी एक मंत्री के रूप में दुनिया की बेस्ट प्रेक्टिसिस भारत में लाने पर बहुत ज़ोर दिया करते थे। फैक्ट्री कानून में अंतर्राष्ट्रीय सुझावों को शामिल करने पर बाबा साहब सर्वाधिक आग्रही रहे थे। उसका परिणाम है कि आज देश को लाभ मिल रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने देश को नेहरू जी की सरकार में वॉटर पॉलिसी दी थी और उस वॉटर पॉलिसी को बनाने में बाबा साहब अंबेडकर की बहुत बड़ी भूमिका रही थी।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हम यह जानते हैं कि भारत में, बाबा साहब अंबेडकर एक बात हमेशा कहते थे कि भारत में सामाजिक न्याय के लिए भारत का औद्योगीकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के दलितों और पिछड़ों के पास जमीन ही नहीं है तो वे क्या करेंगे। इसके लिए औद्योगीकरण होना चाहिए। बाबा साहब की इस बात को मान कर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो पंडित नेहरू की सरकार में मंत्री थे और इस देश के पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने इंडस्ट्री पॉलिसीज़ इस देश में बनाई थीं। आज भी कितनी ही इंडस्ट्री पॉलिसीज़ बनें, लेकिन उसकी आत्मा वही होती है, जो पहली सरकार की थी और उनका भी बहुत बड़ा अहम योगदान रहा था।

आदरणीय अध्यक्ष जी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 के युद्ध में हमारे देश के जवानों का हौंसला बुलंद करना, उनके सामर्थ्य को पूरी तरह राष्ट्रहित में झोंक देने की प्रेरणा इसी सदन में से दी थी और यहीं पर ग्रीन रेवल्युशन के लिए मज़बूत नींव लाल बहादुर शास्त्री जी ने रखी थी।

आदरणीय अध्यक्ष जी, बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया था। इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था। इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को अहसास कराते हुए, मज़बूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी। वह राष्ट्रीय संकल्प भी देखा था, सामर्थ्य भी देखा था।

आदरणीय अध्यक्ष जी, यह सदन इस बात का हमेशा ऋणी भी रहेगा, क्योंकि इसी सदन में हमारे पूर्व प्रधान मंत्री चरण सिंह जी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय का गठन किया था। इसी सदन में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष करने का निर्णय हुआ था और देश की युवा पीढ़ी को मतदान का योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया, उत्साहित किया गया था।

12.00 hrs

हमारे देश ने गठबंधन की सरकारें देखी हैं। वी.पी. सिंह जी हो, चंद्रशेखर जी हो और बाद में एक सिलसिला चला और लंबे अरसे से देश एक दिशा में जा रहा था। आर्थिक नीतियों के बोझ तले देश दबा हुआ था, लेकिन नरसिम्हा राव की सरकार थी, जिन्होंने हिम्मत के साथ पुरानी आर्थिक नीतियों को छोड़कर नई राह पकड़ने का फैसला किया था, जिसका परिणाम आज देश को मिल रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार भी हमने इसी सदन में देखी। सर्व शिक्षा अभियान आज देश में महत्वपूर्ण बन गया है। अटल जी ने आदिवासी कार्य मंत्रालय बनाया। नॉर्थ-ईस्ट का मंत्रालय अटल जी ने बनाया। न्यूक्लियर टेस्ट भारत के सामर्थ्य का परिचायक बन गया। इसी सदन में मनमोहन जी की सरकार के समय ?कैश फॉर वोट? कांड को भी सदन ने देखा।

आदरणीय अध्यक्ष जी, ?सबका साथ - सबका विकास? का मंत्र, अनेक ऐतिहासिक निर्णय, दशकों से लंबित विषयों का स्थायी समाधान भी इसी सदन में हुआ। आर्टिकल 370 - यह सदन हमेशा-हमेशा गर्व के साथ कहेगा कि यह भी इसी सदन में हुआ। ?वन नेशन वन टैक्स?, जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन में किया गया। वन रैंक वन

पेंशन (ओआरओपी), यह भी इसी सदन ने देखा। गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण, किसी विवाद के बिना पहली बार इस देश में करने में सफलता मिली।

आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत के लोकतंत्र में तमाम उतार-चढ़ाव हमने देखे हैं। यह सदन लोकतंत्र की ताकत है, लोकतंत्र की ताकत की साक्षी है, जन विश्वास का एक केंद्र बिंदू रहा है। इस सदन की विशेषता देखिए और दुनिया के लोगों को आज भी आश्चर्य होता है, यही सदन है, जिसमें कभी चार सांसद वाली पार्टी सत्ता में होती थी और 100 सदस्यों वाली पार्टी विपक्ष में बैठती थी। यह भी सामर्थ्य है और इस सदन की लोकतंत्र का परिचय कराता है। यही सदन है, जिसमें एक वोट से अटल जी की सरकार गई थी और लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ाया था। यह भी इसी सदन में हुआ था।

आज अनेक छोटी-छोटी रीजनल पार्टियों का प्रतिनिधित्व हमारे देश की विविधता को, हमारे देश के एस्पिरेशंस का एक प्रकार से आकर्षक केंद्र बिंदू बना है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, इस देश में दो प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं, मोरारजी भाई और वी.पी. सिंह जी, एक प्रकार से उन्होंने कांग्रेस में जीवन खपाया था, लेकिन वे एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट का नेतृत्व कर रहे थे। यह भी इसकी विशेषता थी। हमारे नरसिम्हा राव जी, वह तो बिस्तरा गोल करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे, निवृत्ति की घोषणा कर चुके थे, लेकिन इसी लोकतंत्र की ताकत देखिए, इस सदन की ताकत देखिए कि उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में पाँच साल हमारी सेवा की।

आदरणीय अध्यक्ष जी, सबकी सहमति से कठिन से कठिन कार्य होते हुए हमने देखे हैं। वर्ष 2000 का साल था, अटल जी की सरकार थी। इसी सदन ने तीन राज्यों का गठन सर्व स्वीकृति से किया और बड़े उमंग-उत्साह से किया। जब छतीसगढ़ की रचना हुई तो उत्सव छतीसगढ़ ने भी मनाया, उत्सव मध्य प्रदेश ने भी मनाया। जब उत्तराखंड की रचना हुई तो उत्सव उत्तराखंड ने भी मनाया, उत्सव उतर प्रदेश ने भी मनाया। जब झारखंड की रचना हुई तो उत्सव झारखंड ने भी मनाया, उत्सव बिहार ने भी मनाया। यह हमारे सदन का सामर्थ्य है। सब सहमति का वातावरण बनाकर किया गया, लेकिन कुछ कड़वी यादें वह भी हैं कि तेलंगाना के हक को दबोचने के लिए भारी प्रयास हुए।

खून की नदियां भी बहीं और बनने के बाद न तेलंगाना उत्सव मना पाया, न आंध्र उत्सव मना पाया। एक कटुता के बीज बो दिए गए। अच्छा होता, उसी उमंग और उत्साह के साथ हम तेलंगाना का निर्माण करते तो एक नई ऊंचाई पर आज तेलंगाना पहुंच चुका होता। ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन की परंपरा रही है, संविधान सभा ने उस समय अपना दैनिक भत्ता 45 रुपये से कम करके 40 रुपये कर दिया था। उनको लगा, हमें इसको कम करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, यही सदन है, कैन्टीन में मिलने वाली सब्सिडी, जो बहुत कम पैसे में खाना मिलता था, इन्हीं सदस्यों ने उस सब्सिडी को भी खत्म कर दिया और पूरा पैसा देकर अब कैन्टीन में खाना खाते हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, कोरोना काल में जब जरूरत पड़ी तो यही सांसद, जिन्होंने एमपीलैड फंड को छोड़ दिया और देश को इस संकट की घड़ी में मदद करने के लिए आगे आए। ?(व्यवधान) इतना ही नहीं, कोरोना काल में इसी सदन के सांसदों ने अपनी तनख्वाह में तीस प्रतिशत कटौती की और उन्होंने देश के सामने आए हुए संकट में अपनी बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हम गर्व से कह सकते हैं, यह सदन में बैठे हुए लोग भी कह सकते हैं, हमारे पूर्व जो सदन में बैठे थे, वे भी कह सकते हैं कि हम ही लोग हैं, जिन्होंने हम पर डिसिप्लिन लाने के लिए हमारे यहां जनप्रतिनिधित्व कानून में समय-समय पर कठोरता बरती। नियम हमने ही बांधे। हमने ही तय किया कि नहीं, जनप्रतिनिधि के जीवन में यह नहीं हो सकता। मैं मानता हूं, यह जीवन्त लोकतन्त्र का बहुत बड़ा उदाहरण है और यह सदन ने दिया है। यही माननीय सांसदों ने दिया है और पुरानी पीढ़ी के सांसदों ने दिया है। मैं मानता हूं कि कभी-कभी उन चीजों को भी याद करना चाहिए।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हम जो वर्तमान सांसद हैं, उनके लिए तो यह विशेष सौभाग्य का अवसर है। सौभाग्य का अवसर इसलिए है कि हमें इतिहास और भविष्य दोनों की कड़ी बनने का अवसर मिल रहा है। कल और आज से जुड़ने का हमें अवसर मिल रहा है और आने वाले कल निर्माण करने का एक नया विश्वास, नई उमंग, नये उत्साह के साथ हम यहां से विदाई लेने वाले हैं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिवस सिर्फ और सिर्फ इस सदन के सभी, साढ़े सात हजार जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, उनके गौरवगान का पल है। इन दीवारों से जो हमने प्रेरणा पाई है, जो नया विश्वास पाया है, उसको लेकर जाने का है। बहुत सी बातें ऐसी थीं, जो सदन में हर किसी की ताली की हकदार थीं। लेकिन, शायद राजनीति उसमें भी आड़े आ रही है। नेहरू जी के योगदान का गौरवगान अगर इस सदन में होता है, कौन सदस्य होगा जिसका ताली बजाने का मन न करे। ?(व्यवधान) लेकिन उसके बावजूद भी देश के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। ?(व्यवधान) हम सब अपने यहां सोच लें।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में और इन अनुभवी माननीय सांसदों के सामर्थ्य से हम नई संसद में जब जाएंगे तो नये विश्वास के साथ जाएंगे। मैं फिर एक बार, आज पूरा दिवस आपने इन पुरानी स्मृतियों को ताजा करने के लिए दिया, एक अच्छे वातावरण में सबको याद करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि अपने जीवन की ऐसी मधुर यादों को यहां हम जरूर व्यक्त करें, ताकि देश तक पहुंचे कि सचमुच में यह हमारा सदन, हमारे जनप्रतिनिधियों की गतिविधि सच्चे अर्थ में देश को समर्पित है।

इसका भाव लोगों तक पहुंचे, इसी अपेक्षा के साथ मैं एक बार फिर इस धरती को प्रणाम करता हूं, इस सदन को प्रणाम करता हूं। भारत के मंदिरों से बनी हुई हरेक दीवार की एक-एक ईंट को प्रणाम करता हूं। पिछले 75 साल में भारत के लोकतंत्र को नया साम्थर्य शक्ति देने वाली हर गूंज को, उस नादब्रह्म को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सदन की सीख, सदन के अनुभव, यहां की प्रेरणा, यहां की गूंज के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आज के दिन आप सब इसी तरीके से सकारात्मक वातावरण में चर्चा करें, सकारात्मक विषय रखें। यहां से जो कुछ भी सीखा है, हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी इस देश और लोकतंत्र को दिया है, उसके बारे में सकारात्मक विचार रखें। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री अधीर रंजन चौधरी जी।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I must appreciate your endeavour for offering this opportunity to ventilate our views on the *Samvidhan Diwas*. लेकिन बात यह है, अमृत काल का 75 साल कहा जा रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार सबसे पहले कन्सटीट्यूशन असेम्बली की जो सभा हुई थी, वह वर्ष 1946 में हुई थी और 26 नवम्बर, 1949 में संविधान एडॉप्ट हुआ था। 26 जनवरी, 1950 को इस देश में संविधान लागू हुआ था। लेकिन कहां से 75 साल का अमृतकाल लाया गया, यह मुझे समझ में नहीं आता है।

आज जब इस सदन का अंतिम दिवस है तो सही मायनों में भावुक होना स्वाभाविक है। कितने सारे विद्वानजनों, ज्ञानियों, पंडितों और देशी प्रेमियों ने इस सदन के साथ-साथ हमारे संविधान और देश के लोकतंत्र की रक्षा

करने के लिए न जाने कितने योगदान दिए होंगे। आज बहुत सारे पूर्वज इस दुनिया को छोड़ कर चले गए, हम उनको याद करते रहेंगे। जिन्दगी में सदन जरूर कहेगी कि जिन्दगी में कितने दोस्त आए और कितने बिखर गए। कोई दो दिन के लिए आया और किसी ने चलते ही सांस भर ली। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए। प्लीज बैठ जाइए नहीं तो नाम लेकर पुकारूंगा।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदय, जिंदगी में कितने दोस्त आए और कितने बिखर गए। कोई दो दिन के लिए आया और किसी ने चलते ही सांस भर ली, लेकिन जिंदगी का दूसरा नाम दरिया है, वह तो बस बहता रहेगा, चाहे रास्ते में फूल गिरे या पत्थर। इसी तरह सदन का कारवां चलता आ रहा है और आज भी चल रहा है। Today, I may come to that conclusion that this is the last day. Naturally, we all are present here to bid the adieu to our old building. Our magnificent building today is singing a swan song because tomorrow onwards, we will be shifting to a new Parliamentary edifice.

हम लोगों के पास ज्यादा समय तो नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि जब संसद में संविधान की चर्चा होती है या लोकतंत्र की चर्चा होती है तो माननीय पंडित नेहरू जी और माननीय बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात होती है। हम नेहरू जी को आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी को फादर आफ द कांस्टीट्यूशन की मान्यता देते हैं। हमें अच्छा लगा कि आज इस सदन में नेहरू जी के बारे में कुछ कहने का मौका मिलेगा।

मैं शुरूआत में कहना चाहता हूं **?**

The architect of modern India, Nehru ji, had said, "Parliamentary democracy demands many virtues. Of course, it demands ability, and certain devotion to work. But it demands also a large measure of cooperation, of self-discipline, of restraint. We know very well that there are not many countries in the world where it functions successfully. I think it may be said without any partiality that it has functioned in a large measure of success in this country. Why? Not so much because we, the Members of this House, are exemplars of wisdom, but, I think, because of the background of our country and because our people have the spirit of democracy in

them". Jahwaharlal Nehru ji detested cultism. He was humble in his submission to the constitutional requirement.

In an interview with Mr. R. K. Karanjia, he specifically mentioned, "You are wrong in using word like 'The Nehru Epoch' or 'The Nehru Policy'". Though he enjoyed massive majority in Parliament, he was tireless in listening to Opposition's voice and would never mock, deflect, pontificate, while answering questions asked of him. He never believed in steamrolling the Opposition and gave due respect to the feelings and sentiments of the Opposition Members. It was significant to note that during his tenure Parliament ran smoothly. He not only led the nation in a difficult situation but he was the prime force and pioneer who has given a wonderful beginning to our parliamentary democracy by his immense contribution.

मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, even the Speaker's bell would ring for Jawaharlal Nehru when he exceeded time limit while making his speeches in Parliament. It shows that no one was beyond Parliament's prerogative and that was Nehru's contribution. Analysing Jawaharlal Nehru's contribution to the development of parliamentary democracy in India has become significant and mere relevant in the contemporary context which forces us to recall the glorious beginning of our parliamentary democracy, where healthy debate and discussions were order of the day.

अगर सदन में माननीय जवाहर लाल नेहरू जी की चर्चा नहीं होगी, then it will be the equivalent of the performance of Hamlet without the presence of Prince of Denmark. 'At the Stroke of Midnight Hour', the iconic speech that was delivered in Parliament still reverberates the entire precincts of this House.

Sir, the most illustrious person, Dr. Baba Saheb Ambedkar, who is regarded as the Father of the Constitution, said, ?Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity, which are not to be treated as separate items in a

trinity. They form a union of trinity in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy. Equality cannot be divorced from liberty, liberty cannot be divorced from equality. Nor can equality and liberty be divorced from fraternity.?

Now, we need the mantra of Baba Saheb Ambedkar, the mantra of Jawaharlal Nehru and other stalwarts who have made this Parliamentary democracy glorious for us to be remembered again and again.

सर, सन् 1929 में भगत सिंह जी ने किसी को आहत करने के लिए बम नहीं फेंका था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को जगाने के लिए बम फेंका था। इस सदन पर सन् 2001 में आतंकवादियों ने हमला किया था। हमारे वाच एंड वार्ड तथा बहुत सारे लोगों ने इस आतंकवादी हमले को रोका था। आज हम उन सभी के लिए अपनी तरफ से श्रद्धा अर्पित करना चाहते हैं। इस सदन के सभी सदस्यों के साथ-साथ हमारे जितने भी स्टाफ्स हैं, उन्होंने मेहनत करते हुए इस सदन को आज इतना गरिमामयी बनाया है।

सर, आप सुनकर चौंक जाएंगे कि जब पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने भारत के प्रधान मंत्री पद को संभाला और देश की अगुवाई करने के लिए तैयार हुए, तब हिंदुस्तान के हालात क्या थे? क्या आपको पता है? हमारी औसत आयु मात्र 32 साल थी। हमारी साक्षरता महज 12 प्रतिशत थी। पर कैपिटल हमारा रोजगार केवल 245 रुपये थे। आप सोचिए कि एक तरफ अकाल, विभाजन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा, लाखों की तादाद में लोगों को जान गंवानी पड़ी और सारे देश में त्राहि-त्राहि मच गई थी, उस कठिन हालात में जवाहर लाल नेहरू साहब को इस सरकार को संभालना पड़ा और उस समय के हमारे आर्थिक हालात को भी आप देखिए कि रोजाना हमारे देश के हर व्यक्ति को रोजगार से मात्र 245 रुपये मिलते थे। 14-15 सालों में देश के लोगों का प्रति व्यक्ति रोजगार 72 हजार रुपये तक बढ़ाया गया था। अभी हम उससे और भी अधिक बढ़ेंगे। इसका मतलब है कि हमने किस जगह से शुरू किया था और किस जगह पहुंचे? इसीलिए उन्होंने उसी दिन कहा था कि, ?Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge.?

जवाहर लाल नेहरू जी ही नहीं, उस संविधान सभा में जितने भी लोग थे, उन सभी ने यह शपथ ली थी कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे और देश आगे बढ़ते-बढ़ते आज यहां तक पहुंचा। अभी चन्द्रयान की बात हो रही थी। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि सन् 1946 में हमारे देश की आजादी के पहले नेहरू जी के नेतृत्व में एटॉमिक रिसर्च कमेटी बनाई गई थी। सन् 1948 से हमारे देश में नेहरू जी के नेतृत्व में आज की मॉर्डन टेक्नोलॉजी और साइंस की तरफ

आगे निकलते हुए हमने देश के लिए इसरो बनाया। विक्रम भाई साराभाई की अगुवाई में नेहरू जी के दर्शन से यह ? इसरो? बना। यह आज नहीं बना है, यह वर्ष 1964 में बना। अपने देश में हम लोगों ने वर्ष 1975 में आर्यभट्ट सैटेलाइट आसमान में भेजा था। लेकिन, आज हम ?इसरो? को क्या कहेंगे? इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च कहेंगे या क्या कहेंगे, पता नहीं है। पता नहीं कहां से लाई गयी ?भारत? और ?इंडिया? जैसी तरह-तरह की बातें।

सर, मैं दोबारा इस सरकार से यह जरूर कहना चाहता हूं। ? (व्यवधान) यह तर्क नहीं है। मैं ?इसरो? की बात कर रहा हूं। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि, on the eve of Independence, the Constituent Assembly met at 11 p.m. with President Rajendra Prasad in the Chair. Sucheta Kripalani, a member from Uttar Pradesh, sang the first verse of Vande Mataram to mark the opening of the Special Session. Prime Minister Jawaharlal Nehru delivered his famous ?Tryst with destiny? speech. Speaker Mavalankar announced the death of Mahatma Gandhi at a sitting of the Lok Sabha on February 2, 1948.

Mavalankar ji said: ?We are meeting today under the shadow of a double calamity, the sad demise of the tallest man of our age who has led us from slavery to Independence and the reappearance of the cult of political violence in our country. Nehru ji said: ?A glory has departed and the sun that warmed and brightened our lives has set and we shiver in the cold and dark.?

सर, सदन में स्वतंत्रता और कांस्टिट्यूशन के मुद्दे पर चर्चा हो और महात्मा गांधी जी के नाम का जिक्र न हो तो अच्छा नहीं लगता है। हम लोग वाजपेयी जी का बहुत आदर करते हैं और अभी भी करते हैं। उन्होंने ताकत दिखाई थी। वर्ष 1974 में इंदिरा जी ने पोखरण में एटॉमिक एक्सप्लोजन किया था। उस समय से विदेशी ताकतों ने हमें कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन अटल जी नहीं रुके। नरसिम्हा राव जी के जमाने में भी न्युक्लियर एक्सप्लोजन करने के बारे में सोचा गया था, लेकिन उसको साकार अटल बिहारी वाजपेजी जी ने किया। उसके साथ-साथ उन्होंने सारी दुनिया को यह भी संदेश दिया कि हम ?नो फर्स्ट यूज? पॉलिसी अपना रहे हैं। उसके पहले हमारे खिलाफ सारी पाबंदी लगाई गई थी। उसको हटाने का काम किसने किया? उसको हटाने का काम हमारे मनमोहन सिंह जी ने किया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वे मौन रहते हैं। वे मौन नहीं रहे। जब जी-20 का

सम्मलेन हुआ था तो उस समय भी उन्होंने कहा कि ?यह अच्छा है हमारे देश के लिए?। वे मौन नहीं थे। वे बात कम करते थे और काम ज्यादा करते थे। फर्क यही है।

सर, ?इंडो-यूएस न्युक्लियर डील? किसकी अगुवाई में हुई? इसी सदन में इसी चेयर पर बैठे हुए सोमनाथ चटर्जी साहब ने देश के लिए इंडो-यूएस न्युक्लियर बिल का समर्थन किया और अपनी पार्टी को नकार दिया था। ये उदाहरण हैं। अगर ?इंडो-यूएस न्युक्लियर डील? नहीं होती तो आज अमेरिका हमारे साथ इतना जुड़ाव न दिखाता। यह भी हमें विचार करना पड़ेगा।

सर, हमारी इस पार्लियामेंट में क्या-क्या हुआ, उसके बारे में मैं एक छोटा-सा ब्यौरा देना चाहता हूं। इस सदन में वर्ष 1951 में ?रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट? पारित हुआ था, to ensure that people are given the right to vote. अगर वोट देने का अधिकार न होता तो आज बाकी बात करने की गुंजाइश हमें न मिलती।

The second one was the Essential Commodities Act, 1955, a law that has helped the Government to regulate the production, supply, and distribution of essential commodities such as drugs, oil, kerosene, coal, iron and steel, and pulses.

महोदय, तीसरा क्या हुआ? Green Revolution was launched in India in 1967. Then came the nationalisation of banks. Fourteen banks were nationalised which enhanced banking infrastructure and services, and created provision for cheaper credit to farmers.

जब सन् 1974 में एटॉमिक एक्प्लोजन हुआ था, उस समय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रधानमंत्री थीं। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं। जब हमारे देश में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति आई थी, तब स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। आज हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, इसकी शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने की थी। शायद हम सबको यह याद रखना चाहिए। सी-डॉट से लेकर ऑर्टिफिशिएल इंटेलीजेंस, जितनी भी उन्नति होती है, उसके पीछे क्या इतिहास है, हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए। हमें इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। History is the remembrance of the past. It transmits from generation to generation. हम इतिहास को कैंसिल चेक नहीं बता सकते हैं। History should not be treated as a cancelled cheque. Rather, it should be treated as a promissory note for future. Now, whatever cash is in hand, we should spend it wisely. That should be the agenda of any Government.

Then, the Anti-Defection Law was passed in the year 1985. यह एक और क्रांति थी।

The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 was also passed. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 was enacted to prevent atrocities against members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Hon. Speaker, Sir, the Panchayati Raj Institutions Act was enacted in 1992. ये एक और क्रांतिकारी एक्ट है। This Act aimed to decentralise power and ensure local-self Government enhancing grassroot democracy. आज देश में तीन सरकारें हैं। केन्द्र की सरकार, सूबे की सरकार, गांव की सरकार लोकल सरकार है। It was a social revolution, and that social revolution occurred without shedding even a drop of blood. That is the significant achievement of our former Government under the leadership of Shri Rajiv Gandhi ji.

The Members of Parliament Local Area Development Scheme was formulated in 1993. The Right to Information Act was passed in the year 2005. It is a landmark legislation that revolutionised transparency and accountability in governance. It empowered citizens to request information from public authorities, thus promoting openness and reducing institutional corruption.

Hon. Speaker, Sir, I would like to refer to the name of my leader, Madam Sonia Gandhi ji. Madam Sonia Gandhi ji took the initiative to pass the landmark legislation, that is, the Right to Information Act. History will remember it. The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 was also passed. The National Rural Employment Guarantee Act was also passed. ये नरेगा के खिलाफ कहते थे कि ये मरेगा। ये नरेगा नहीं, ये मरेगा, लेकिन नरेगा मरा नहीं, नरेगा जिया है। अभी भी नरेगा के सहारे ग्रामीण लोगों को जीवन जीने का मौका मिलता है।

महोदय, राइट टू एजुकेशन एक्ट है। एक और क्रांतिकारी विधेयक वर्ष 2009 में पारित किया गया था। The Right to Education Act made education a Fundamental Right for children aged 6 to 14 years.

Then, came the National Food Security Act of 2013. The Food Security Act aimed to provide subsidised food grains to large sections of the population ensuring food security. It sought to address malnutrition and hunger by guaranteeing access to essential food items.

महोदय, मुद्दा क्या है, आप जानते हैं? गरीबी बढ़ रही है। सारे देश में गरीबी बढ़ रही है। गरीबी सूचकांक में 117 देशों में हमारा स्थान 107वां है। कभी हमारे देश को देखते हुए ड्रेज़ और अमर्त्य सेन ने यह कहा था कि, ?it looks like islands of California in a sea of sub-Saharan Africa?. इसलिए यह गरीबी सबको चुभती है। एक तरफ कुछ चुनिंदा लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश की गरीबी भी बढ़ती जा रही है। इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। Sir, Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 was brought, Street Vendors Act, 2014 was passed. हमें बाद में विरोध करना पड़ा, क्योंकि सदन के अंदर हमें विरोध करने का अधिकार है और यह अधिकार हमें संविधान भी देता है।

सर, जब इण्डो-यू.एस. न्यूक्लियर डील की जब चर्चा होती थी, जब वोट ऑफ कान्फिडेंस इस सदन में हुआ था, तो कौन सी पार्टी, कौन से पक्ष में थी, शायद आपको ज्यादा जानकारी होगी। आज इस अवसर पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन डिमोनिटाइजेशन ऑफ करेंसी नोट इन 2016 का हमने विरोध किया। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स जीएसटी उस समय भी लाया गया था, जिस समय दूसरी सरकार थी, लेकिन फिर भी इसे लाने में जो कमियां थीं, उसे हम लोग बार-बार उजागर कर चुके हैं।

सर, हमने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड प्लाइट ऑफ कश्मीर के मुद्दे की आलोचना जरूर की थी। कश्मीर हमारा अंग है। आज भी कश्मीर में हमारी फौजों को जान गंवानी पड़ रही है। इससे यह साबित होता है कि उस दिन हमारी तरफ से जो शंका जाहिर की गई थी, वह सही है। आज मैं यह चाहता हूं कि हमारे सदन के अंदर फौजों के जो रणबांकुरे जान गंवा रहे हैं, उनके लिए कम से कम हमें थोड़ा मौन रखना चाहिए था, थोड़ा साइलेंट ऑब्जर्व करते तो अच्छा होता। एक तरफ मणिपुर और दूसरी तरफ जम्मू-कश्मीर जल रहा है, इसलिए हमें बहुत-कुछ करना बाकी है। यह तो सिर्फ एक झांकी है, लेकिन हमें बहुत कुछ करना बाकी है।

सर, एक डिवाइसिव लेजिस्लेन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, 2019 एंड एनआरसी लाया गया। हम लोगों ने सदन में इस तरह के डिवाइसिव लेजिस्लेशन का विरोध किया है। जो हमने किया है, वह हम बताते हैं। हमने विरोध किया है। हमने फार्म लॉज़ का विरोध किया है। हमारे विरोध से, देश के किसानों के विरोध से इस सरकार को वे बिल

वापस लेने पड़े। इसके बाद डिजिटल पर्सनल डाटा एक्ट का हम लोगों ने विरोध किया था। हमने जो किया है, उसकी वजह क्या है, वह हमने बता दी है। हमारी तरफ से ये सारी बातें रखी गई हैं। हम यह चाहते हैं कि आज की हालत में हम अपनी तरफ से एक मांग और रखना चाहते हैं। वह मांग यह है कि हमारे सदन में आप एक नियम चालू करें, जिसमें सिर्फ विपक्ष के लिए एक दिन डेडिकेटेड किया जाए। उस दिन विपक्ष सब कुछ बोलेगा। जो मर्जी हो, विपक्ष वह बोलता रहेगा। इसलिए एक दिन विपक्ष के लिए आप रख दिया करें।

सर, आपको शायद यह भी जानकारी होगी कि हमारी पार्टी की तरफ से, खासकर हमारी पार्टी की सीपीपी चेयरपर्स मैडम सोनिया गांधी जी ने वीमेन रिज़र्वेशन बिल के लिए सदन में कई बार सवाल किया है। उनकी ही अगुवाई में राज्य सभा में पारित हुए भी यह आज तक साकार नहीं हो पाया है। हमारी अपनी से फिर यह मांग करते हैं कि आपकी सरकार रहते हुए इस वीमेन रिज़र्वेशन बिल को पारित किया जाए। यह हमारे देशवासियों की मांग है। मुझे लगता है कि आप हमारी बात को जरूर गौर से सोचेंगे। हम यह कहना चाहते हैं कि अभी हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं और हमारे लिए बहुत सारे अवसर भी हैं। चैलेंजेस एडं अपॉर्च्युनिटीज़ के बीच हम यह कहना चाहते हैं कि आज एक माहौल पैदा होता जा रहा है कि मेज़ोरिटी होने से हम सब कुछ कर सकते हैं। Sir, there are fears of an ambition to establish one-party dictatorship. देश में यह एक माहौल पैदा हो रहा है। This has led to the sidelining of the Opposition?s role in Parliament and destabilisation of Opposition-led Governments in States through tactics like the purchase of Members of Legislative Assemblies and the selective use of central agencies such as Enforcement Directorate, CBI, Income Tax Department against Opposition Leaders and Ministers. Furthermore, the devaluation of Parliament and the erosion of Parliamentary procedures have become particularly pronounced during the second term of this dispensation.

In 2021, Parliament convened for fewer than 50 days with minimal discussion on legislation and inadequate scrutiny of legislative Bills. The decline in the referral of Bills to Standing Committees is also notable dropping from 60 per cent to 70 per cent during earlier Governments to only 22 per cent during the first term of this Government and a mere 13 per cent in the second term. आपके लिए अच्छा होगा। यह हमारे डेप्युटी लीडर हैं, इनसे पूछिए। ? (*Interruptions*) Additionally, the Opposition has been denied the right to raise issues and press

for votes during the legislative process further undermining parliamentary norms. The same is the status of Rajya Sabha. I do not know whether it will be allowed or not.

सर, मान लीजिए, मानकर चलिए, India?s transition from a one-party dominant system to a multi-party system and more recently, to a nascent one-party under this regime, has fundamentally altered the dynamics of engagement within Parliament. One positive aspect of India?s parliamentary story is its representativeness. Initially, in 1952, Parliament consisted mainly of lawyers associated with the freedom movement and pre-independence legislative bodies. But now, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBCs have all been included in the legislative mechanism. It is a very positive idea.

सर, मैं जानता हूं कि आपको थोड़ा जल्दी है और मैंने पहले ही बोल दिया था। सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में तरह-तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन सच तो यह है कि इनक्लूसिवनेस की बात होते हुए भी हमारी पार्लियामेंट इनक्लूसिव नहीं है। आप खुद देख लीजिए, नंबर्स देख लीजिए। आप माइनोरिटी कम्युनिटी के लोगों की संख्या देख लीजिए और खुद तय कर लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं आज के दिन कटुता नहीं चाहता हूं।

सर, अगर हिंदुइज्म की बात करें कि हिंदुइज्म क्या होता है? हिंदुइज्म में चार वेद हैं मिलियन्स ऑफ गॉड्स हैं, 18 उपनिषद हैं, 6 क्लासिकल स्कूल ऑफ फिलासफी हैं, दो एपिक्स हैं। ? (व्यवधान) ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। ? (व्यवधान) But what does it suggest? It suggests that plurality is the essence of our civilisation. We may be a young nation but certainly we feel proud of our old civilisation. सर, हमारे यहां की सिविलाइजेशन प्लूरैलिटी की बात करती है।

India as a nation or as a civilisation is an unending celebration of pluralism. Pluralism accommodates differences, and differences in turn embody a dissent. सर, हम यह कहना चाहते हैं कि जब ये लोग कहते हैं कि ?वसुधैव कुटुम्बकम्? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि सबकी भावना और चिंता को शामिल करना चाहिए। सर, हमारी संस्कृति में यह कहा गया है ? ?अहंकारम् बलं दर्पम्? कहकर हमारे हिंदू धर्म में वर्जित किया गया है। सर, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी को अहंकार को छोड़ना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपमें बहुत सारी क्षमता हो, लेकिन इसका वर्जन करना चाहिए।

अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च: संश्रिता: ।

मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोभ्यसूयका: ॥

इसका मतलब यह है कि ऊपर वाले के गुस्से का आप आमंत्रण न करें तो बेहतर है। सर, इसलिए आज जब सदन का अंतिम दिन है, मैं उन बुजुर्गों को सलाम करता हूं जो हमारे बीच आज नहीं हैं ? (व्यवधान) सर, मैं एक बात लास्ट में रखना चाहता हूं। सर, हमें यह भुगतना पड़ता है, इसलिए मैं आपके सामने यह बात रखना चाहता हूं। यह कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन।

Sir, freedom of expression is perhaps the most fundamental parliamentary right of a Member of Parliament. Every Member is entitled to freely and fearlessly express himself on the Floor of the House *inter alia* on burning issues of the day and matters of urgent public importance.

If a Member fails to do so under one of the available procedural devices, he often takes recourse to what has come to be known as the ?Zero Hour?. While unparliamentary or objectionable expressions may be expunged from the proceedings of the two Houses of Parliament by their respective Presiding Officers under the existing rules, shutting off or blinding the proceedings of any House under the Presiding Officer?s direction that nothing of what is said without his permission would go on record may be of questionable desirability inasmuch as in that case the reports of the proceedings cannot really be regarded any more as a faithful record of all that happened.

This applies equally well to the expurgated and edited version of the selected proceedings that may be telecast. In any case, when the Question Hour or any other part of the proceedings is telecast live, how can the Presiding Officers? expunction orders operate?

सर, हम इसीलिए चाहते हैं कि हमारे अधिकारों को हमें दिया जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि सदन की जो गरिमा है, वह हमेशा बरकरार रहे। आज स्पेशल सेशन है या नॉर्मल सेशन है, यह किसी को पता नहीं है। हमें बाहर से मीडिया वालों की तरफ से पता चलता है कि स्पेशल सेशन है। जब मिड नाइट सेशन होता है जैसे आज़ादी के एक दिन पहले 14 अगस्त को हुआ था, वैसी मिड नाइट चर्चा नहीं होती है। जैसे नरेन्द्र मोदी जी जीएसटी लेकर आते हैं, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होती है और स्पेशल सेशन्स में बाकी चर्चा होती है तथा उसके साथ-साथ बाकी लेजिस्लेशन

नहीं हो सकता है। यहां पर आपने 8-9 मुद्दों को शामिल किया है। इस तरह से आप कैसे इस सदन की गरिमा को बरकरार रखेंगे? हमें क्वेश्चन आवर में शामिल होने का मौका नहीं मिलता है। जीरो आवर में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता है फिर आप कहते हैं कि सदन की गरिमा को बनाए रखना चाहिए।

सर, हम ओल्ड से न्यू में जा रहे हैं। हम ओल्ड को भूलना नहीं चाहते हैं। Old is always gold. Sir, there is a saying, ?old horse is best to ride?. Accordingly, old house is best for us. हम नए सदन में जाएंगे, लेकिन पुराने सदन को याद रखेंगे। मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूँ कि राजेश खन्ना जी की एक पिक्चर थी। उसमें उन्होंने कहा था कि ?जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं? हम रहें या न रहें, लेकिन आज सदन के अंदर हम जो कर रहे हैं, उसे हमारी पीढ़ियां याद रखेगी, इसलिए जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। यही बात कहते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

-

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, from 1960 onwards, DMK, presently presided over by the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Shri M.K. Stalin, has been part of all the historical discussions in this House and also in the other House.

12.49 hrs (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

Though this is called a special Session, there is nothing special about it. This is just another Session. The new Parliament House has been constructed at an enormous cost without a felt need. Money has been coughed out by the Government when there is so much financial crunch.

New Parliament House was inaugurated with much fanfare. Why was the last Session not held there? Was it due to any *vastu* consideration or is it that only today you could find an auspicious moment?

More than an auspicious time, what is needed is an auspicious agenda of business which augurs well for the wellbeing, peace, progress and happiness of 143 crore people.

This Session in the new premises seems not to be a Special Session but an Emergency Session to carry out certain urgent mission of the Ruling Party to fulfil certain ulterior objectives only in violation of democratic norms.

This sitting will take stock of India?s journey as an Independent nation. We got Independence in 1947. The 75th year celebration fell last year in 2022. We have already stepped into the 76th year. If at all any special event were to take place of our long journey, it should have been done last year.

Okay, even accepting for a while that we are commemorating our 75 years of Parliament, such a special sitting should have been held in the historic Parliament House where the county's destiny was decided, furthered, nurtured and endured since 1947.

India, our country, our dear Nation, the largest and vibrant democracy in the world, is what it is today because of the invaluable contributions of, firstly, the people of this country. Then come the political parties and their leaders who steered Government. For the majority of the time, that is for 60 years, the Government of India was run by parties other than the present party.

The strong base of the modern India, the developed India, was laid by the six decades of planned work done by several leaders starting from Jawaharlal Nehru ji, the light of Asia. The contributions of Prime Ministers such as Shri Lal Bahadhur Shastri ji, Shrimati Indira Gandhiji, Shri Morarji Desai, Shri Choudhary Charan Singhji, young Prime Minister and leader Shri Rajiv Gandhi ji, and Shri Narsimha Rao ji are great indeed.

A tower of strength of the backward masses, who constitute more than 60 per cent of our population, Shri V. P. Singh ensured social justice to them which was denied for these marginalized fourth level people, so called *sudras*. His contribution is immense and invaluable.

It will stand out and shine in our modern history of progress. His Government was pulled down with a vengeance by forces inimical to empowerment of weaker sections.

Leaders and their parties, who led the country with a lot of sagacity and farsightedness, whenever there was political instability when single party majority evaded mainstream parties, it was like saving and protecting a stranded person. It happened in 1989, 1996, 1998, 1999, 2004, and 2014.

The leaders who came to the rescue of the nation at critical times were Deve Gowda ji, I. K Gujral ji, Atal Bihari Vajpayee ji, and Dr. Manmohan Singh ji. The political leaders who played a great role then were our DMK leader, Kalaignar Karunanidhi, NTR, George Fernandes, Communist Party leaders like Indrajit Gupta, Somnath Chatterjee, Surjeet Singh etc. When we look back at the last 75 years, the contributions of these tall leaders is great and needs special mention.

The contributions of opposition parties, mostly of the regional parties like DMK in the national politics and governance, have a special place. Their constructive opposition, criticism, and suggestions have helped the Governments from time to time to take corrective measures. It is because they have represented the regional interests and linguistic minority population groups.

DMK is in Parliament since 1962. Our founder leader Anna, who was held in high esteem by his contemporary leaders like Nehru ji, Vajpayee ji, and others, spoke for the political rights of States, protection, and development of various classical languages like Tamil. Though he advocated a separate Dravida Nadu in 1962 when Chinese forced a war on us, he felt that territorial integrity of India was of paramount importance. Though Anna gave up Dravida Nadu, he proclaimed loud the reasons for a separate nation which still exists. That way, it was a sagacious advice to the Central Government. After all, India is a Union of States. That is the Constitutional position. Around 560 Princely States and kingdoms including Princely States

like Kashmir and Hyderabad, and small kingdoms like Pudukkottai in Tamil Nadu joined later the Independent India. Sikkim was the last to join Indian Union.

In the last 75 years, promises given to these Member States and the just aspirations of the people of the States, with varied cultures and traditions, have been broken by the Union of India. The latest example is the repeal of Article 370 and snatching away the special status of Jammu and Kashmir. It is just like rubbing salt on a serious wound. That large State has now been broken into two Union Territories, whereby the emotions and rights of the people of Kashmir have been trampled upon. While looking back to India's 75 years, patting our backs and claiming credit for the impressive performance of Chandrayaan by individual leaders and parties is not appropriate. The success we have seen so far is the success of 143 crore people of this country. Without their support, strength, labour and commitment, nothing is possible.

What we have to really introspect is the failures we have faced in these 75 years. These failures are the result of broken promises as seen in Kashmir, Manipur, Tamil Nadu and other States. The Union of India should go extra mile to get full confidence of the people of the States and fulfil the regional aspirations in terms of secularism, equal rights for development, linguistic, political and democratic rights. While mentioning about the crucial role played by DMK Party in ensuring stability of the National Government at the Centre, I have to tell you about the support extended to Indira Gandhi ji?s Government in 1969 and Vajpayee ji?s Government in 1999. After the vertical split suffered by Congress in 1969, Indira ji?s Government lost majority. It became a minority Government. This happened after our Leader Anna had passed away in 1969. The Congress was not our friend then. But what mattered to our great Leader Kalaignar, who succeeded Anna as the Chief Minister and President of DMK, was the stability of the Union of India. Still, the scars of 1962 war with China were paining us. Therefore, Kalaignar decided with a clear vision to support Indira ji with our 26 Members in Lok Sabha. With our continued support, she was able to bring in revolutionary policy measures like abolition of privy purse, nationalisation of banks and also launched other poverty alleviation

programmes. Anna was a good friend of Atal ji. After a very long political struggle, he was able to lead BJP to power in Centre in 1998. It was a feeble and ragtag coalition with a particular Party.

Poor Vajpayee ji, a gentleman Leader, was carrying on with his Government, as is said in Tamil ?Nithya Kandam, Poorna Aayusu?, which means, ?Daily death threat but still alive.? This was the condition of Vajpayee ji?s Government. The Government was in ICU for 13 months. She was gifting life to Vajpayee ji?s Government on a daily basis. What a pity! Ultimately, she pulled out and the Government fell after 13 months in March 1999. During the No Confidence Motion in Lok Sabha, DMK supported the then Prime Minister, Vajpayee ji but he lost by one vote.

In the subsequent elections, we supported Vajpayee ji's candidature for the Prime Minister. It was because, as I said, he was a gentleman politician, a Statesman and above that, he did not have animosity towards all the minorities. He willingly agreed to the Common Minimum Programme with the alliance partners. He stuck to *Rajadharma*. Not only that, Vajpayee ji asked his other Leaders in his Party to stick to *Rajadharma*. He was able to complete his full term as the Prime Minister with prestige and hope. The Pokhran test and Kargil victory was possible because of the stability of Vajpayee ji?s Government, for which DMK' s support and our Leader Kalaignar's support was the main reason.

The present Ruling Party should revisit the pages of India's recent history, refresh itself with these important moments and appreciate how DMK had played a responsible role in providing stable Government in the Centre. In building the modern India, the role of our young former Prime Minister Thiru Rajiv Gandhi ji, has an exceptional place. In fact, he is the father of the so-called ?Digital India?. His confidence in the involvement of people at village level resulted in the passage of Panchayat Raj Act and the empowerment of rural people?s

representatives. His sacrifice of his life in pursuit of public service is unparalleled in India's history.

With these words, I once again thank you very much for giving me this opportunity.

13.00 hrs

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, I rise to speak on the discussion on Parliamentary Journey of 75 years starting from *Samvidhan Sabha* - which has not yet been discussed in detail at all in the House - Achievements, Experiences, Memories and Learnings. This is the last day of the current Parliament House, and this is possibly the last agenda in the current Parliament House we are going to discuss.

On this day of nostalgia, we feel a flood of memories from the past and pledge to preserve our best democratic traditions for the future. The journey began just before Independence with the convening of the *Samvidhan Sabha* or Constituent Assembly. The list of Members registered and presented their credentials on the discussion held on December 9, 1946. Bengal had been a veritable roll of honour. Many speakers took part. I would just remember their names and their role. It reads as follows: 1. Dr. B.R. Ambedkar from Bengal; 2. Mr. Sarat Chandra Bose; 3. Mr. Kiran Shankar Roy; 4. Mr. Frank Reginald Anthony; 5. Mr. Satya Ranjan Bakshi; and 6. Dr. Prafulla Chandra Ghosh. The list included another 25 Members from Bengal who took part in this debate for the final publication of the Indian Constitution.

Sir, the proceedings of this Constituent Assembly would have been very dull. Dr. Ambedkar said in his final speech in the Samvidhan Sabha. ?If all Members had yielded to the rule of party line or party discipline, in all its rigidity, then, it could be a gathering of 'yes' men only.? But a few persons raised their voice of their own, going outside of the resolution that was before the House. There were rebels rising to lend qualified support to Dr. Ambedkar's motion to pass the Constitution. One of these rebels, Hari Vishnu Kamath suggested - "We, the people of India", and that was inducted in the Constitution with the proposal of Hari Vishnu Kamath - "We, the people of India".

We had come to the end of a long journey which was, however, "the beginning of a longer, a more arduous and a more hazardous one". True to the Indian genius, he noted, "our struggle, our awakening, began with a spiritual renaissance which was pioneered by Ramakrishna Paramahansa Dev, Swami Vivekananda, and Swami Dayananda. In the wake of those spiritual leaders came the political renaissance and the cultural renaissance of which the torchbearers, the leaders, the guides were Lokamanya Tilak, Aurobindo and Mahatma Gandhi, and, last but not the least, Netaji Subhas Chandra Bose." Today, we once again pay our tribute to those great leaders of our freedom struggle.

The journey of the next 75 years started seven and a half decades ago, and convening of this session of the 17th Lok Sabha, in this historic Lok Sabha. Before moving from an old building to a new one, we need to understand the true meaning of the name of our country, "India, that is, Bharat." We are happy and comfortable with both names. That we want to reiterate here also.

While seeking inspiration from achievements, experiences, and memories of the past, we must take the main learning for the future. We, who are currently in the opposition, rededicate ourselves to defending democracy against authoritarianism and commit ourselves to building our new India on the strong foundations of secularism and federalism.

One of our colleagues, Sugata Bose, is now the Head of the History Department in the Harvard University. When he was the MP in the Sixteenth Lok Sabha, he delivered a beautiful speech on this subject which I remember very much.

India has a parliamentary system of Government. We have been watching it since the last 75 years. At the Union, Parliament is the supreme legislative body of India. Our parliamentary democratic system stands upon the principles of communal harmony, secularism, and unity of the country.

After the Constitution was passed, the ethos of our Constitution vibrated as unity in diversity. This spirit is to be kept maintained. India is a country which almost believes on principles of *Nana Bhasa Nana Maat Nana Paridhan Bibidher Majhe Dekho Milan Mahan.* This is unity in diversity. This spirit was reflected from the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, and that should be reflected so long as we remain in the country.

We speak *ek jati ek pran ekota, ei desh amader bisesata.* This country is Godly to us, and this ?one country? feeling should percolate to the hearts of every Indian. We believe in the principles of unity amongst Hindu, Buddha, Sikh, Jain, Parsi, Muslim and Christian. Somehow, we are finding this idea being not implemented in all parts of the country.

The Indian Parliament is famous for its ornamental speeches, records of debates and discussions since its inception. The spirit of brotherhood and feeling of respect always used to be maintained between one party MPs and the other party MPs. Now, we are lacking in this culture. This system has vanished. The Prime Minister was expressing that there were no claps from the Opposition. I was hearing his speech. But this system has collapsed, and this is not a good sign which we are going to face.

The Indian Parliament on different occasions and at different eras has proven how much powerful the Indian Parliament is at the time of any crisis of the nation. The whole Parliament stands by India or Bharat.

Earlier, the Prime Ministers of all times responded to the questions raised by the Members but somehow, we have not been finding this since the last 10 years. Why is it happening? I have been here since the Twelfth Lok Sabha. I have interacted with so many Prime Ministers in the Question Hour but this time I am not finding it. I hope this will be reflected in the new House.

The process of continuous discussions in connection with international and very important national issues was part of regular parliamentary practice. Now-a-days, it is totally

invisible.

The Indian Parliamentarians have shown unity amongst themselves when China and Pakistan invaded India. Atal Behari Vajpayee Ji praised Indira Gandhi by pronouncing her as Maa Durga at the time of war in Bangladesh. We still remember it. There are exemplary precedents like this in the history of Indian Parliament. The spirit of the Opposition praising the Treasury Benches and the Treasury Benches praising the Opposition was reflected in the House on many occasions and at several times. But now it is totally invisible.

Keeping faith upon international solidarity and brotherhood, our Parliament has expressed solidarity with many other countries which have fought for their Independence.

I was first elected in the Twelfth Lok Sabha as the Trinamool Congress candidate. At that time, under the leadership of our Party Leader Mamata Banerjee, it was for the first time a new political party entered into the Parliament.

At that time, she raised her voice in Parliament for one-third reservation for women in Lok Sabha and State Assemblies. We still remember the incident when she caught one Member of Parliament by the neck when he was going to tear the Bill which was going to be placed on the Table of the House. Now, Sonia ji has also written a letter to the hon. Prime Minister to take it up. Our demand is that when we move to the new parliament building, let this Women?s Reservation Bill be tabled and passed without further delay. Let it be done with a positive note so that this Parliament can initiate its journey with a very positive outlook.

Sir, all of us have witnessed the power of one vote, and we have seen the power of the Parliament also, how peacefully the voting pattern went on. Just next to me was sitting Chandrashekhar ji. He asked me, ?Sudip, what is the result of the voting?? I said, ?Vajpayee ji has been defeated by margin of one vote only.? He said to me, ?Oh, if I had the idea, I could have voted for Vajpayee ji by which the voting pattern could have been different.? So, these are the memories, which haunt me always.

Sir, let the present House run with a positive note. A common principle of parliamentary democracy is that the House belongs to the Opposition. I often tell it in all-party meetings convened by the hon. Speaker that in a parliamentary democratic system the House should belong to the Opposition. But nowadays, Bills are being passed without debates or discussions. It is not a good precedent. Both sides have to be more objective in their approach and outlook. It is only when the Ruling Party takes a positive decision, it becomes possible. Otherwise, it is not possible for the Opposition to run the House in a proper manner.

Sir, a midnight Parliament Session was convened to celebrate the launch of Goods and Services Tax. It was held to make it historical. But many important and extraordinary situations prevailing in the country are not being allowed to be raised and discussed in the House.

Sir, brute majority in Parliament of one political party at this present Parliament reflects that arrogance is not desirable. But my long experience says that if a brute majority persists, they are in a mood to grab the voice of the Opposition. It is neither desirable nor supported by the hon. Members. So, we will approach to the Ruling Party to practice some restraint in this regard in the coming Sessions.

Since long it is proven that Parliament Sessions must reflect more positivity and become result-oriented. But in last few Sessions, or in last few years, the Parliament Sessions are not becoming result-oriented. That is a part of sorrow. The attitude of the Ruling Party of Parliament can make it viable and functioning. If it continues, people will start losing their faith in the parliamentary system of democracy. They may ask what Parliament is going to give to us. Once people start losing faith upon the parliamentary system, it would be a very dangerous situation. So, we must try to remain more committed and faithful at the 75th Year of Indian Independence to see that the parliamentary democratic system remains alive with its massive strength.

Sir, when we are entering into the New Parliament Building, let all the systems be approached, be focussed, be presented, be ventilated in a positive manner. All the country should feel the change from one building to another building. When we move, we carry forward with us good feelings. Good sense of ideas should prevail, and each one of us should become respectful to each other.

Lastly, I must say the slogan that whatever manner the country proceeds, we must say, ? long live secularism and federalism?. The federal structure of the country is under a big threat where West Bengal is one of the major victims. I should take it up. We are trying our best to draw the attention of the Government. As the Leader of the Trinamool Congress Party in Lok Sabha, I should keep it on record as mentioned.

Sir, I repeat that no attempt is to be made to create a division between India and Bharat. We firmly stand by both.

Jai Hind. Jai India. Jai Bharat.

HON. CHAIRPERSON: Shri. Magunta Sreenivasulu Reddyji.

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): Thank you very much, hon. Chairperson, Sir.

I would request Madam Sonia Gandhiji to stay in the House for one minute more because I want to tell the House about my experience in the 12th Lok Sabha when I was a Member elected from the Congress Party under her leadership.

HON. CHAIRPERSON: She will listen to you definitely.

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY: Yes, Sir. She was my leader.

Sir, I compliment our hon. Prime Minister for conducting the G20 Summit successfully through which the name of India is now known everywhere in the whole world. He has really put a lot of effort and hard work for making this happen. I compliment him once again for this.

13.17 hrs (Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair*)

Sir, there is one more thing that the Chief Minister of Andhra Pradesh, Shir Y.S. Jagan Mohan Reddy wishes all the hon. Members of Parliament on the occasion of this discussion on ?Parliamentary Journey of 75 Years starting from Samvidhan Sabha?. He has also been a Member of this House two times.

Sir, I wanted to share my experiences as a Member of Parliament as my colleague Sudipji has mentioned. I entered into this House after getting elected to the 12th Lok Sabha. At that time, Madam Soniaji was the President of the Congress Party. I had won on a ticket given by the Congress Party and came to the 12th Lok Sabha in this House.

As my colleague, who spoke before me, mentioned, at that time, when AIADMK withdrew support to the Vajpayeeji?s Government, their strength came down and it became a minority Government. At that time, a Confidence Motion was moved by Vajpayeeji. The voting used to take place by way of slips generally. Everybody was tense and wanted to know the result. Due to the floor management, we all thought that Vajpayeeji would come out successfully. Lastly, when the result came, the Government was defeated by one vote. At that time, Shri Giridhar Gamangji, the then Chief Minister of Odisha, was also a Member of Lok Sabha. He came and voted. Otherwise, the result of the voting would have been a tie and the vote of the Speaker would have decided the final outcome. At that time, hon. Shri G.M.C. Balayogi was the Speaker. This shows that finally the Parliament also depends on nature only. When we see all these things, we can say that God has to decide all these things. When we have looked at all these experiences, we cannot forget them in our lifetime.

Sir, I have also seen a lot of speakers in this House because I entered Lok Sabha about 25 years back. Before that, my late brother and sister-in-law were also Members of Parliament. I used to come to the Central Hall regularly and enjoy, sitting over there in the luxury of the Central Hall.

When you sit in the Central Hall and look at the dome, you will feel so comfortable because now you are going to miss that in the new Parliament. This experience cannot be generally felt. Only memories will be there always for us.

During 14th Lok Sabha, many important agreements happened. The Indo-US agreement happened on 23rd August, 2006. The Bill was passed at that time. This agreement was also an important thing. Later, in 14th Lok Sabha itself, on 22nd July, 2008, there was Confidence Motion for Dr. Manmohan Singh ji. That also was an important thing. It was about floor management. That was also an important thing. All these important things used to happen at the stroke of midnight only. So, the result of these things was so joyful at that time.

Then, if you look at 15th Lok Sabha also, the worst thing happened for our State of Andhra Pradesh. The division of the State happened. Andhra Pradesh has been divided into two States, that is, Andhra Pradesh and Telangana. On 18th February, 2014, for bifurcation, the AP Reorganisation Bill had been passed. But the problem so far is even after nine-and-a-half years, whatever promises were made on the floor of both the Houses have not been fulfilled. The resolution for special category status which has been passed by the State of Andhra Pradesh, so far, we have not got any benefit out of it. There has been no hope. Our hon. Chief Minister, Jagan Mohan Reddy garu used to come and meet Prime Minister and other related Ministers also. I request, through you, Sir, that special category status is a must for Andhra Pradesh for the development of the State. Our Chief Minister, Jagan Mohan Reddy garu is working hard. If it is granted to us, we can do a lot of wonders there.

Now, I will come to the 17th Lok Sabha. We are here in the 17th Lok Sabha. In this Lok Sabha, passing of Article 370 is a great thing. Introduction of GST, and other things also happened. I want to share all my experiences here. This House has got 543 Members only. I used to tell my colleagues that becoming a Member of Parliament is the God?s, nature?s gift.

One should be lucky to become a Member of Parliament in this House because 140 crore people are there now. Only 543 people are recognised. This is a temple of democracy. Whatever is passed in the Parliament, panchayats should also look into that. They have to implement that. When the temple of democracy is there, we have to make suggestions also. It is very much required.

To tell you frankly, Sir, my dear colleague also has mentioned some of the things. Number of working days has to be increased here. That is the main thing. The other thing is Private Members? Bills should be implemented properly also. The third thing is 30 per cent of the agenda should be suggested by the opposition parties. Then only the House can function properly. Apart from that, respect for MPs is really coming down from what I could see now. Earlier, when I entered Parliament in 1998, 25 years back, the Minsters used to give appointments right away without much time or anything and the Secretaries also used to give appointments right away. Now, that is lacking. Not only this, in our country the strength of Council of Ministers is fixed at ten per cent only. The strength of the Ministers has been decided long ago. Ten per cent of the Rajya Sabha and the Lok Sabha Members can only be inducted in the Council of Ministers. This thing had been decided when the population was only 50-60 crores. Now, the population has increased to 140 crores. This percentage has to be increased automatically to take care of the public so that everybody can get the benefits of the Central Government. The States also should be given more powers, which has to be done by the Central Government.

Sir, in conclusion, I would say that this has been a beautiful year. Actually, for 75 years we are living in this atmosphere. We are going to miss it. Emotionally and personally also, I feel that I am missing a great thing. But we have to go with the changing times; we need to hand over everything for the sake of youngsters. You have to create a modern and beautiful atmosphere for the future generations. That is why our hon. Prime Minister also has taken up

the task. I must compliment him also for building a new Parliament. Thank you very much for giving me a lot of time.

श्री गिरिधारी यादव (बांका) : माननीय सभापति महोदय, आज हम लोग जिस हाऊस में बैठे हुए हैं, जो वर्तमान बिल्डिंग है, वह बहुत पुरानी बनी हुई है। अभी हमारे सम्माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि यह बिल्डिंग इस देश की जनता के पैसे द्वारा बनायी गयी है। बड़ी अच्छी बात है। आज हम लोग उसको आज विदाई दे रहे हैं और नए भवन में हम लोग कल से जाएंगे। इस भवन को हम लोग बहुत प्रणाम करते हैं। आजादी के 75 सालों के इतिहास में इसने बहुत सारे दिन देखे हैं और बहुत अच्छे से भारत का लोकतंत्र चलता रहा है।

संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाया गया था, उस संविधान सभा में डॉ. अंबेडकर की मुख्य भूमिका संविधान को बनाने में थी। उन्होंने कहा था कि भारत एक संप्रभु, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। लेकिन जो संविधान में लिखा है, उसकी आत्मा के विपरीत आज काम हो रहा है। लोग धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। लोग हाउस में जय श्री राम कह रहे हैं। लोग हाउस में कुछ-कुछ बोल रहे हैं। समझ में ही नहीं आता है कि हमारे अंबेडकर जी ने जिस संविधान की रचना की थी, जिसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द का उपयोग उन्होंने प्रस्तावना में ही किया है, उसके बारे में क्या भावना है, इन लोगों को समझ में आता है कि नहीं जो इन नारों को लगाते हैं। चुनावों में तो देखते हैं कि देश के जो बड़े नेता हैं, वे हनुमान जी की गदा ले कर कहते हैं कि वोट दे दो। जबकि संविधान में धर्मनिरपेक्ष कहा गया है और धर्म के नाम पर वोट मांगने से तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। हमको ताज्जुब लगता है कि इन लोगों को पता नहीं है कि लोकतंत्र तो लोकलाज से चलता है। यदि कोई लोक लाज ही खत्म कर देगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? लोकलाज बचा कर रखिए, तभी लोकतंत्र चलेगा। जहां तक हम लोगों की बात है, हम लोग हर अच्छे काम का हमेशा सपोर्ट भी करते हैं। हमारे सम्माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि मैं इस सदन का एमपी बना। महोदय, वे कभी इस सदन के एमपी नहीं बने, वे सीधे प्रधान मंत्री बन गए। एमपी की शपथ उन्होंने बाद में ली और प्रधान मंत्री का पद पहले लिया। ? (व्यवधान) सुनिए, विदाई पर भी बोल रहे हैं। लेकिन उनको एमपी की तरह समझ में नहीं आता है। वे बोलें कि हमने सब बंद कर दिया है। उन्होंने एमपी की एक दिन की तनख्वाह भी नहीं बढ़ाई है। क्या जो गरीब एमपी हैं, जैसे हम लोग हैं, प्रधान मंत्री जी तो आज मेट्रो में चढ़ते हैं, हम तो रोज़ मेट्रो में चढ़ कर प्लेन पकड़ने जाते हैं, हमारे पास गाड़ी के लिए पैसा ही नहीं है तो कहां से जाएं। हमारे जो गरीब एमपी हैं, उनका भी ध्यान रखिए। अब निशिकांत दुबे जी की तरह हम बड़े आदमी तो हैं नहीं, वे मेरे बारे में जानते हैं, चौबे जी मेरे बारे में जानते हैं कि कैसे हम गरीबी में चलते हैं। इसलिए हम यह चाहते हैं कि संविधान सभा के द्वारा जो आत्मा संविधान में डाली गई है, उसको बचा कर रखा जाए। बहुत सारे लोग, जिनका देश की आजादी में कोई रोल नहीं है, देश का संविधान बनाने

में कोई रोल नहीं है, हमने अखबार में पढ़ा कि कोई विवेक देबरॉय जी हैं, वे कह रहे हैं कि संविधान ही बदल देंगे। यह बताइए कि संविधान कैसे बदल देंगे? हम चाहते हैं कि संविधान के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, यह सब काम नहीं होना चाहिए, तभी लोकतंत्र बचेगा।

देश की जनता ने बड़े-बड़े सत्तारूढ़ दल को चने चबवा दिए हैं। यह भारतवर्ष की जागरुक जनता है, जब-जब इस देश की सत्ता पर रहने वालों को अहंकार हुआ है, तब-तब उनको चने चबवाने का काम इस देश की जागरुक जनता ने किया है। उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम इस देश की जनता ने किया है। यह हमारा लोकतंत्र है। यह लोकतंत्र कोई एक दिन का नहीं है। वैशाली के जमाने से इस देश में लोकतंत्र चला आ रहा है। क्या हमारा लोकतंत्र कोई आज से है? यह जो ट्यूडर पार्लियामेंट कही जाती है, अंग्रेज़ लोग बोलते हैं कि पहले मेरे यहां ट्यूडर पार्लियामेंट थी। महोदय, ब्रिटेन में जब लोकतंत्र था, उसके पहले से मेरे यहां लोकतंत्र था। लिच्छवी का गणतंत्र, वैशाली का गणतंत्र, जो गणतंत्र इस देश में है, उसकी एक परंपरा रही है, उसी परंपरा के हम लोग हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका में जब ट्रंप और बाईडन के बीच राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उस समय ट्रंप ने वहां के सदन पर हमला कर दिया कि हम ही राष्ट्रपति रहेंगे। लेकिन इस देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। जब-जब सत्ता परिवर्तन की बात आई हो, इस देश की जनता ने, इस देश के नेता ने, चाहे वह किसी दल का राजनैतिक नेता हो, किसी भी दल से प्रधान मंत्री हो, स्वेच्छा से जा कर राष्ट्रपति के यहां इस्तीफा देने का काम किया है। हम तो 3 बार लोक सभा के सदस्य रहे हैं। 11वीं लोक सभा में मुझे 3 प्रधान मंत्रियों को देखने का मौका मिला है। वाजपेयी जी 13 दिन के लिए प्रधान मंत्री बने थे, उन्होंने तुरंत जा कर इस्तीफा दिया।

देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस्तीफा दिया। गुजराल जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस्तीफा दिया। यह हमारा स्वस्थ लोकतंत्र है। जिनका यहां बहुमत रहेगा, वही प्रधानमंत्री रहेगा, नहीं तो उसके बाद हम सीधे राष्ट्रपति के यहां जाते हैं और इस्तीफा देते हैं। यह किसी के द्वारा नहीं होता है, यह तो इस देश की हजारों साल की परिपाटी है और उसके द्वारा ही हमारा लोकतंत्र चल रहा है।

इस हाउस ने उस दिन को भी देखा है, इस हाउस ने बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ देखी है, लेकिन हम सब मिल कर रहते हैं। जब हम लोग आपस में किसी बात पर बहस करने लगते हैं तो हमारे जो सीनियर मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनके पास हम लोग तुरंत जाकर इस बात को कहते हैं। वह कहते हैं कि आप लोग शांत रहें। हम लोगों ने इसी हाउस में वाजपेयी जी को भी देखा है। मैं वर्ष 1996 में भी मेम्बर था। जब वाजपेयी जी बोलने के लिए खड़े होते थे तो हम

सारे लोग उनकी बातों को सुनते थे कि वह क्या बोल रहे हैं, लेकिन आज क्या परिपाटी है? जब विपक्ष के लोग बोलते हैं तो सत्ता पक्ष के एक भी एमपी नहीं रहते हैं। ? (व्यवधान)

निशिकांत जी, क्या यह कोई उपस्थिति है? उस समय हम सब लोग उपस्थित रहते थे। आज इस देश में स्वस्थ लोकतंत्र का हनन हो रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी के लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। लोक सभा चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है। कोरम पूरा करना सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है। यह विपक्ष का काम नहीं है। आप जो कह रहे हैं, वह ठीक नहीं है। इस सच बात को आप स्वीकार कीजिए। आप ऐसा नहीं कहें, क्योंकि हम कोई ऐसी बात नहीं बोल रहे हैं। यह आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन आप किसी की बात नहीं सुनेंगे। आप तब बोलेंगे, जब सब लोग चले जाएंगे। आज स्वस्थ लोकतंत्र का हनन हो रहा है। इस पर भी हमारे सम्माननीय अध्यक्ष महोदय को विचार करना चाहिए। जब तक हम लोग इस पर विचार नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों का काम कैसे चलेगा?

आप देख लीजिए। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने संविधान की अवधि के बारे में बताया। आज कोई विवेक देबरॉय या ओबरॉय नाम का व्यक्ति है, वह कौन है, उसको मैं नहीं जानता हूं। इस बारे में मैंने पेपर में पढ़ा है। वह कहता है कि हम संविधान ही बदल देंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? आज बाहर का आदमी बोल रहा है कि हम संविधान बदल देंगे।

कल हम लोगों को फोटोग्राफ सेशन के लिए एपीयर होना है। इस बारे में हम लोग पेपर में पहले ही पढ़ लेते हैं। इसकी सूचना हमारे पास बाद में आती है कि कल हमारा ग्रुप फोटोग्राफ सेशन होने वाला है। मैंने नोटिस ऑफिस में जाकर पूछा कि क्या होने वाला है। उसने इसके बारे में मुझे जानकारी दी। आज सबेरे मैंने पेपर में देखा कि यह पहले ही छप गया है। पहले हम लोगों को सूचना मिलनी चाहिए। हम लोग लोकतंत्र में हैं। पहले एमपी के पास सूचना जाती थी, उसके बाद मीडिया में सूचना आती थी। अब तो हमारे पास बाद में सूचना आती है और मीडिया में पहले चली जाती है। अब बहुत सारी बातें हैं, उनके बारे में आप सब जानते हैं।

हमारा जो लोकतंत्र बना है, उसको बनाने में अंबेडकर साहब, नेहरू जी और लोहिया जी से लेकर बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया है। इस बात को हम सभी जानते हैं कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से काम किये। इस हाउस ने आरक्षण का बिल भी पास किया है। वी.पी. सिंह जी के नेतृत्व में जब आरक्षण का बिल लाया गया था, उस समय कितना दुराव था, लेकिन सब लोगों ने उस बात को मान लिया। हमारे माननीय सदस्य राम कृपाल जी बैठे हैं। अर्जुन सिंह जी ने शिक्षा में आरक्षण का बिल लाया था, लेकिन आप धीरे-धीरे सभी चीजों का निजीकरण कर रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना में जो सोशलिस्ट वर्ड लिखा हुआ है, वह तो खत्म हो रहा है। आप सभी चीजों को पूंजीपतियों के हाथ

बेच रहे हैं। आप सारे होटलों को बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं। अब तो संविधान की प्रस्तावना ही खत्म हो रही है। जो संप्रभुता वर्ड है, वह बचेगी या नहीं बचेगी, इस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। सोशलिस्ट वर्ड तो पहले ही खत्म हो चुका है, सेकुलरिज्म खत्म हो चुका है। आप चुनी हुई सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं। अभी तक एक संप्रभु शब्द ही बचा हुआ है। उसको भी बचाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। बाकी चीजें तो खत्म ही हो चुकी हैं। आप सब चीजों को खत्म ही कर रहे हैं। आपके पास बहुमत है, इसलिए आप इन चीजों को खत्म कर रहे हैं। जो सत्ता पक्ष और विपक्ष बना हुआ है, सबको मिल कर काम करने की आवश्यकता है। आज एक भी एमपी की सलाह नहीं ली जाती है। हम लोगों की जो स्थिति है, आज हमारे कहने से एक पैसेंजर ट्रेन भी नहीं रुकती है। यह हम सभी एमपीज़ की हालत है। हम रिजर्वेशन टिकट को कंफर्म कराने के लिए रिक्वेस्ट लेटर डालते हैं, लेकिन इसकी भी गारंटी नहीं होती है। हम लोग मंत्रियों के पास जो चिट्ठी लिखते हैं, उसका जवाब भी नहीं आता है। हमारे मंत्री लोग चिट्ठी का जवाब भी नहीं देते हैं। हम सभी एमपीज़ का मान-प्रतिष्ठा भी इस शासनकाल में गिरी है। इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। तनख्वाह तो मिल ही नहीं रही है, हम लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए इन सभी चीजों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि जब हम नए संसद भवन में जाएं तो वहां नए उत्साह के साथ जाएं, नई सोच और नए विचार के साथ जाएं। लोकतंत्र में जो संप्रभुता है, उसको बचाने के लिए हम सभी काम करें। हम सेकुलरिज्म को बचाएं, सोशलिजम को बचाएं और गणतांत्रिक राज्य बनाने का कार्य करें। हम सभी सदस्य मिलकर इसके लिए कार्य करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

जय हिन्द।

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhartruhari Mahtab.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Sir.

HON. CHAIRPERSON: I think it was an unexpected call for you. You were not ready.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Yes, I do not have the habit of jumping the queue. I was expecting Shiv Sena to speak.

HON. CHAIRPERSON: The Shiv Sena Member came late.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, it is definitely a nostalgic moment, nostalgic in the sense that when you leave one House and go to a new one, you have all the expectations of the new House and you have all the expectations of how it would be. As we have seen the other day when the New Parliament Building was

inaugurated, the technologically advanced devices which have been installed at all our seats is lacking here. Here, it is very difficult. You also know it yourself that we have to squeeze our legs to sit in these benches. But the best part is that we do not relax while sitting in this House, the Lok Sabha. We always sit on the edge. The people also put us on the edge always so that we strive to get elected again and again.

I remember the day I first got elected to this House in 1998. Our Party got elected to Parliament for the first time. During that period, there was a lot of anxiety as to how long the Government will last because it was a conglomeration of 26 political parties led by Atal ji. Anxiety was there and while sitting in the Central Hall, when you have nothing to do or when you are anxious, you look upwards. All of us were sitting in the bench. I still sit in the last bench of the Central Hall and some of my friends always allow me to sit in that bench. We looked up. And in the inverted dome, we saw a number of hexagons. That time, one of my friends said, "my intention is to be a Member of this House at least for two terms". Then I asked him, "What do you mean by two terms?" He said, "Ten years. अगर 10 साल हो गए तो यहां मेंबर होने के लिए काफी हैं, फिर हम अपने प्रोफेशन में निकल जाएंगे"। At that time, I suggested, of course, very foolishly, that let us count the hexagons which are up there. I am yet to count it. Let us count them and the day we get the correct answer, you may think that that is the last term of yours in this House. Mr. S. C. Udasi has already counted it. He has been repeatedly telling us the eventuality. I am a shortsighted person. I am very poor in arithmetic. I am yet to complete the counting and I still venture to count them.

Sir, we are celebrating the Amrit Kaal of Bharat, Independent India. We are in the 75th year of our Independence. I bow my head in reverence to those freedom fighters who gave away their present for our future, for our tomorrow. Let us not forget that it is because of their sacrifice, their *titiksha*, *tapasya*, and tyag, we gained freedom and in *Swadheen Bharat*, our forefathers framed the Constitution not by diktat of a few but democratically after a full-fledged discussion, deliberation and debate.

It is the Constitution that has guaranteed us to remain one as a nation. They deliberated for two years and eleven months. Hon. Prime Minister mentioned the time period. Many

kingdoms ruled different parts of the present-day India in different eras. At no point of history, the borders of the present were borders of the past.

This political map came into existence 75 years ago. A question may arise, is it the language that keeps us together? Andhra Pradesh sharing the same classical language, Telugu, split into two States. Madhya Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh being Hindi speaking States also split in the not so recent past. If language cannot unite even the States and provinces, how can it be the basis of a nation? Are we united because of culture? Culturally, Bengalis and Bangladeshis share similar linguistic culture, icons, food, dress, but they have different majority religions and have fought bitter battles a few decades ago. Is it Hinduism that defines the unity of India? Then why is Nepal a different country? Had religion been the defining force of a nation, then all Muslim countries would be one nation? All Christian countries would also be in one nation? But that is also not the case. As we see, none of the factors like language, religion or culture guarantee to remain one as a nation. The political landmass that we call Bharat or India is because of our Constitution. Article 1 defines our nation today. And that was framed in this edifice 75 years ago.

We all believe in the Constitution. It is our respect towards our National Flag, National Anthem and National Emblem that holds us to our nation. It is our trust in electoral democracy despite its flaws. We all believe that all are equal before the law, irrespective of gender, race, religion, caste, language or culture, and this keeps us together. This present model has so far proved better in keeping us together. If we forget this, it will splinter into many parts like how it was for most parts of our history.

Our Republic is commemorating the 150th birth year of Sri Aurobindo, the 90th death anniversary of Bipin Chandra Pal, and the 103rd birth anniversary of Bal Gangadhar Tilak. Long before, in 1905, these three intellectual giants laid the foundation of our freedom struggle with clarity on the power of Swaraj, nationalism and Sanatan Dharma. It is the great resilience and

tolerance of the Indian people that have contributed to the unity amidst fascinating diversity. It is the spirit of togetherness, tolerance and acceptance of other points of view that have bound us together, the people of Bharat, of diverse regions and culture while extreme individualism and separatism have marked the evolution of European nationalism.

Admittedly, all was not well with the Indian civilization in its journey towards unity and integration of our nation. We should remember the painstaking effort that Sardar Patel had made in uniting this country. The princely States were declared as independent, and there were certain major princely States of that era who wanted to ally with Pakistan. If Karachi Port access was to be provided, Jodhpur was supposed to ally with Pakistan. If Visakhapatnam Port access was supposed to be provided, then Hyderabad would have emerged as a bigger country, including the eastern State provinces within it, today after 75 years. But that was dealt with very strongly and a great nation was formed.

Today, a number of fault lines are still there. The fault lines have been too many in modern India that we have inherited. A few are from the past, and new ones have been created after the Independence. I will just give some instances. Caste exists. That is a major fault line in our country. Communal divide is there. No matter what we say, it is there. Terrorism is the biggest enemy. Ultra-communism or communist revolt is also affecting a large part of our country. Paradox of personal laws is glaring. The Constitution guarantees freedom of expression. Yet, repressive personal laws take away basic, fundamental rights of an individual. This was demonstrated in the late eighties when Shah Bano got a verdict from the Supreme Court, and it was undone here in this House. Yet, the concept of Bharat has existed for more than 5000 years from the Harappan age till date. In spite of all the vicissitudes, the sense of oneness exists.

The Parliament has been the platform of many events that have shaped this nation in the last 75 years. The Constitution is instrumental in making this country vibrant, modern and

forward looking. It ensures rule of law for which independence of Judiciary has been protected and guarded religiously. Our Constitution is dynamic. The first amendment moved by the first Prime Minister Jawaharlal Nehru, in May, 1951, just a year after the Constitution was adopted in the Constituent Assembly, clearly demonstrates keeping in tune with time. Here, I would like to quote what Pandit Nehru had stated: ?Now, we come to this House for amendments because we have noticed some lacuna. We have various interpretations by the court.? And he goes on explaining. This House knows very well that there are many kinds of Constitutions in the world. There is the Constitution which is not written down; I am citing the United Kingdom?s Constitution. Also, he has mentioned about the Constitution of the United States. There he says: ?We have a written Constitution like the Constitution of that great country where the Constitution, to some extent, limits the authority of the Parliament or of the Congress, so, bringing a semblance of both together where rigidity will be a little bit flexible and one moves ahead.? That is how the first amendment relating to addition of Articles 31A and 31B was incorporated so that an elected Government can prepare specific programmes for the development of the country.

Hon. Chairperson, Sir, the basic structure is a moot point which, I believe, should be discussed when we are discussing about the 75 years of our Independence. The hon. Supreme Court ? (*Interruptions*) Sir, I need a little bit of time.

Rule of law means the parameters of decision making, and discretion always remains circumscribed by the Constitution. We were witness to the revocation of Article 370 in this House. The Uniform Civil Code is another relevant matter that needs to be fulfilled as the Constitution has stipulated.

A lot of talk is being made about ?One Nation, One Election?. Various views are expressed. A Committee has been formed. Let us wait for their recommendations. But I feel

that it is not something that is unachievable. I believe that it is a necessity. We cannot have elections every year.

We should also remember what Gandhi ji has said. He always said that India belongs to all who live in it. Feeling other?s pain is the mark of a good individual. The Prarthana that is also sung in every Gandhian Ashram is:

?वैष्णव जन तो तेने कहिये,
जे पीर परायी जाणे रे ।?

जो दूसरों की पीड़ा जानते हैं, वही वैष्णव होते हैं। And that is the essence of our Republic and the mantra of our Constitution.

Hon. Chairperson, Sir, during my 25 years in this House? (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, he has completed silver jubilee. It is an important matter. ? (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, during my twenty-five years in this House, I have seen stringent laws being enacted, like POTA in a Joint Session, and the division of this House relating to Indo-US Nuclear Treaty. I witnessed Atal ji?s Government fall by one vote when *naitikta* was given a go by.

I had the fortune to represent our Parliament in the making of the Right to Information Act of 2005. I felt elated the other day when I received a small note from the then Prime Minister after criticising him forcefully in this House relating to the nuclear agreement, and I was totally taken aback. That demonstrated the true democratic temper of the then Prime Minister, Dr. Manmohan Singh.

We also saw GST being implemented in the midnight hour. India celebrated 25 years of Independence, and the freedom fighters were presented with a copper plate by the then Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi. On the 50th year of Independence, when Mr. Sangma was sitting

in the Chair, Parliament held a special session which continued beyond midnight. I do not know how long this sitting will be held today. But that continued beyond midnight till 3 o?clock in the morning. On completion of 75 years, not only a special session is being held, but a new and magnificent *Sansadiya soudha* has been constructed, and the session will start there from tomorrow.

This Sansad Bhavan has been functioning since 1927. The Central Hall was the library and became the venue of the Constituent Assembly. The Supreme Court, when it came into existence, was functioning in the Rajya Sabha House.

So, these are certain instances which we remember. I do not know what will happen once we move out to the new s*oudha*.

Before concluding, I will just mention one aspect. In this House, in Lok Sabha, when the Ruling Party had brute majority of more than 400 Members during Rajiv Gandhi?s time, a Constitution Amendment was made and the Tenth Schedule was added. For the first time in the Constitution, ?Party? was mentioned. Earlier, in the Constitution, ?Party? was never mentioned. It was all individual Members. The rights of the individual were recognised. But after the addition of the Tenth Schedule, ?Party? came into existence. By that, all of us have lost our voice. We cannot express our individual opinion here, no matter how much we oppose certain aspects of a Bill. When there is a Whip, the terror of Whip is very much hanging on our heads. That needs to be corrected. If not today, in future, I believe the people of India will correct it because with rampant fractured mandate, that became a necessity. But I think it is necessary now that individual Members should express themselves in this House. Unless you do that, the discussions and deliberations in the House become sterile. We know what Madam Supriya Sule is going to speak. We anticipate what Nishikant Dubey is going to speak. We also know what Prof. Sougata Ray is going to speak because every view expressed here today is because of the Party. The Party gives a diktat that this is the view and it has to be expressed in

the House. I also follow that. I also follow another point, that is we have committed to the rules and regulations of the process of the Parliament. We never jumped to the well of the House. BJD perhaps is the first party that never joined others to jump to the well of the House and this has been recognised by the Leader of the House, by the Deputy Leader of the House and also by the Chairman.

That is why I say there are certain customs and regulations which need to be followed for a proper functioning of the House. The best part that is enshrined in our Constitution is this, that yes, I should have the strength to listen to the views. I may not accept the other?s point of view but should I quarrel with him. He has a different point of view. Let me accept it. That is what Hinduism is all about. That is what Indianness is all about. We always have different paths. That is what *Bhartiyata* is about. That is the reason why I would say the other may have a different point of view. That is what Swami Vivekananda had said in his Chicago speech. It is not that I do not tolerate religion. I accept that point of view. That is what Swamiji had said. So, let us have that point of view. Let us hear others and by hearing others, we can frame our own opinion and still hold to our own opinion.

With these words, I conclude.

Thank you, Sir.

14.00 hrs

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे संविधान सभा से शुरू हुई 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख के बहस पर बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं हिन्दू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनकी वजह से आज मुझे इस सदन में आने का मौका मिला है। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इस सदन में बैठने का मौका मिला है और कल नये सदन में भी बैठने का मौका मिलेगा। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। कल 19 सितम्बर को गणेश चतुर्थी है।

पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश में गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश उत्सव मनाया जाता है। आप सभी को पता है कि जब हम गृह प्रवेश करते हैं, तो गणेश जी की ही पूजा करते हैं। कल एक पवित्र दिन है। कल के पवित्र दिन में हम नई संसद में प्रवेश करेंगे, तो यह सभी सदस्यों के लिए एक भावुक क्षण है।

सभापति महोदय, भारत का संविधान 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 24 नवंबर, 1950 को सभा के सदस्यों द्वारा औपचारिक रूप से हस्ताक्षित किया गया था और संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था। सन् 1579 में इस देश में आने वाला पहला अंग्रेज एक ईसाई धर्म प्रचारक था। उसके बाद कुछ व्यापारी व्यापार करने आए, लेकिन वे शासन करने के लिए रुक गए। सन् 1765 में अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया। बाद में इसे धीरे-धीर संसद के अधीन कर दिया गया और इसकी जगह संसद का अधिकार आ गया और अब तक यह जारी है।

सभापति जी, इन दिनों देश भर में ?भारत? और ?इंडिया? नाम पर खासी बहस चल रही है। भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद कहता है कि इंडिया, जो कि भारत के राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान सभा में भी इस विषय को लेकर काफी बहस हुई थी। संविधान सभा में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भारत नाम रखने की पुरजोर वकालत करते हुए कहा था कि भारत नाम रखने से गरिमा लौट आएगी। हजारों सालों की गुलामी से हमारी पहचान ही मिट गई थी। इस विषय में इतिहास को किनारे नहीं किया जा सकता है। संविधान सभा में ?भारत? और ?इंडिया? को लेकर हुई बहस को भी याद रखना चाहिए। दरअसल, संविधान सभा में लंबी बहस के बाद इंडिया, दैट इज, भारत लिखा गया था और इस बहस में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने भारत को देश की पहचान से जोड़ा था और उनका कहना था कि इंडिया, दैट इज, भारत के स्थान पर भारत, दैट इज, इंडिया लिखना उचित रहेगा।

महोदय, इस डिबेट में कांग्रेज के एक दिग्गज नेता श्री कमलापति त्रिपाठी जी ने कहा था कि यदि आप लोगों को लगता है कि संविधान में दैट इज लिखना जरूरी है, तो भारत, डैट इज, इंडिया लिखना चाहिए। उन्होंने देश का नाम भारत रखने पर उसे गौरव, स्वाभिमान और स्वदेशी प्रतीक से जोड़ा था। त्रिपाठी जी ने कहा था कि जब कोई देश दूसरे के दिए नाम और प्रतीकों का इस्तेमाल करता है, तो उसकी आत्मा मर जाती है। भारत ने एक हजार साल की गुलामी में सब कुछ खो दिया है। हमने अपनी संस्कृति, इतिहास, सम्मान, मानवता, आत्म-सम्मान और यहां तक की आत्मा को भी खो दिया है। भारत नाम रखने से पुराना गौरव वापस लौटेगा का तर्क देते हुए त्रिपाठी जी ने यह भी कहा था कि हजार साल की गुलामी से निकलकर हम अपनी पहचान हासिल करेंगे। भारत नाम हमें हमारी संस्कृति से

परिचय कराता है। उन्होंने यह भी कहा था कि वैदिक काल से ही साहित्य में देश का नाम भारत ही रहा है। इसके अलावा वेदों, पुराणों और ग्रन्थों में भी भारत का वर्णन मिलता है।

सभापति महोदय, 18 सितंबर, 1949 को हुई इस बहस में स्वतंत्रता सेनानी हरगोविन्द पंत जी ने भी भाग लिया और इंडिया शब्द का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह नाम हमें उन विदेशियों द्वारा दिया गया था, जो इस भूमि की समृद्धि के बारे में सुनकर हमारे देश की संपत्ति को लूटने यहां आए और हमसे हमारी आज़ादी छीन ली। संविधान सभा में इंडिया शब्द का पुरजोर विरोध करने वालों में कई तो संविधान सभा के सदस्य थे। जब संविधान सभा में इस विषय पर बहस हो रही थी, तो हरगोविन्द पंत आखिरी व्यक्ति थे, जिन्होंने इस पर अपनी बात रखी थी।

महोदय, फिर आज कांग्रेस को क्या हो गया है? कांग्रेस पार्टी के नेता कमलापति त्रिपाठी जैसे अपने नेताओं की वाणी को भूल गए हैं। श्री एच. वी. कामथ ने सभा में सबसे पहले भारत नाम रखने का प्रस्ताव रखा था। यह सर्वविदित है कि संविधान के पहले ड्रॉफ्ट में भारत लिखने की मांग श्री कामथ, श्री गोविन्द वल्लभ पंत, श्री हरिगोविन्द पंत और श्री कमलापति त्रिपाठी जैसे नेताओं ने की थी। आज के कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ग्रन्थ पढ़ने से परहेज है, तो फिर जानकारी कहां से आएगी? बिना इतिहास जाने ये लोग अपने दिग्गज नेताओं को झुठला रहे हैं और उनको गलत साबित करने पर तुले हुए हैं। ये सब एक व्यक्ति का विरोध करने के चक्कर में अपने ही दिवंगत नेताओं को बेइज्ज़त कर रहे हैं।

सभापति महोदय, संविधान सभा ने एक ऐसी पद्धति अपनाई, जो सुव्यवस्थित, सुलभ और स्वीकार्य थी। मौलिक मान्यताओं को सभी ने माना और उन पर सहमति व्यक्त की। अभी की आधी सदी में किसी भी प्रमुख सामाजिक संगठन या राजनीतिक दलों ने कभी भी संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया है। संविधान केवल अपने सदस्यों की राय का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि यह उस समय की व्यापक सहमति को दर्शाता है।

संविधान सभा का चुनाव भारत की जनता द्वारा किया गया था। उस समय कोई वैश्विक वयस्क मताधिकार नहीं था। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, जिसके आधार पर संपूर्ण शासन व्यवस्था चलती है। संस्थापकों ने नवजात गणतंत्र के लिए शासन प्रणाली के रूप में संसदीय लोकतंत्र को चुना था।

सभापति जी, भारत की स्वतंत्रता का यह 76वां वर्ष है। इस पूरे काल में देश में 15 प्रधान मंत्रियों की सरकार बनी। आज कुछ लोग कहते हैं कि पिछले दस सालों में मोदी जी ने क्या किया, लेकिन ये लोग बहुत ही बखूबी से भूल जाते हैं कि पिछले 76 वर्षों में कुल मिलाकर 54 वर्ष सिर्फ कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी। इसमें भी कुल मिलाकर 38 साल एक ही परिवार राज कर रहा था। मैं उनको बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने

महिलाओं का सशक्तिकरण, बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया, स्वच्छ भारत मिशन, नागरिकों को वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का सीधा हस्तांतरण, गरीबों और उन लोगों के लिए बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की, जो बैंकिंग के दायरे में नहीं आते थे। किसानों के लाभ के लिए प्रणाली, नीतियां और कार्यक्रम, हाशिए पर मौजूद लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू कीं, फिर भी, ऐसे कई अन्य क्षेत्र हैं, जिन पर अभी भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार बढ़ी दृढ़ता से संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है। एनडीए सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत के संविधान को सही रूप में लागू करने और देशवासियों को उनके मौलिक अधिकारों के अनुरूप जीने का अवसर प्रदान किया है।

सभापति जी, वर्ष 2023 में हमारे देश की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। हमारा संकल्प नये भारत का निर्माण करना है। नया भारत एक आधुनिक समाज होगा, जिसमें करुणा का लोकाचार समाहित होगा। एक ऐसा समाज, जहां सभी हितधारकों के सर्वांगीण विकास और भागीदारी का ध्यान रखा जाता है, चाहे वह बच्चा हो, युवा हो या वृद्ध, पुरुष हो या महिला, गरीब हो या वंचित, जहां सुलभ, सस्ती और उच्च शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और पोषण, जहां प्रत्येक भारतीय अपनी क्षमता का एहसास करने और ऐसा करने में सक्षम है, जिससे हम में से हर कोई संतुष्ट और खुश हो। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार इसके लिए दृढ़ता से आगे बढ़ रही है। इसे ही कहते हैं, ?सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास?।

सभापति जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अपने गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त करने और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की अपनी यात्रा शुरू की है। बुनियादी ढांचे के विकास, रेलवे के आधुनिकीकरण और विस्तार, बंदरगाहों के विकास, हवाई अड्डों के विकास, शहरों के विकास, चिकित्सा विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में विकास, खेल में विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास, अंतरिक्ष में विकास के क्षेत्र में उपलब्धियां हैं। इसके अलावा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा में विकास, देश की रक्षा में विकास और भारत में विशाल आबादी के लिए खाद्य उत्पादन आदि है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एक बहुत छोटी अर्थव्यवस्था का दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित होना। मैं इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। अर्थव्यवस्था की वृद्धि भारत को जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में ले जा सकती है। एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि आजादी के बाद से भारत में लोकतंत्र की सफलता है।

सभापति जी, देश के संविधान ने प्रत्येक नागरिक को बोलने की आज़ादी दी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई जाये। कुछ व्यक्ति अभिव्यक्ति की आजादी का गलत फायदा

लेकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अंत में, मैं यही कहूंगा कि भारत का संविधान सभी प्रावधानों का पूर्ण मिश्रण है और इस प्रकार प्रावधान और अनुच्छेद ही इसे राज्य का सर्वोच्च कानून बनाते हैं। संविधान के किसी भी अनुच्छेद को लागू करने और व्याख्या करने में हमेशा संविधान सभा की आत्मा पर विचार किया जाना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल करने का प्रयास किया है, ताकि किसी देश में शासन कैसे होगा, इस बारे में अस्पष्टता की कोई गुंजाइश न रहे और इसलिए यह भारतीय संविधान की विशेषता है, जो इसे अपने आप में एक संपूर्ण संविधान बनाती है और देश का एक व्यापक दस्तावेज़ है।

सभापति महोदय, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहूंगा कि सभी सदस्यों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और गणेश चतुर्थी की भी शुभकामनाएं देता हूं। जब भी हम नए सदन में जाएंगे तो पूरी जिम्मेदारी के साथ जाएंगे। नए भारत के निर्माण के लिए सभी का सहयोग रहेगा। जब मैं पहली बार इस सदन में आया था, मेरे साथ उस वक्त के एक्स मिनिस्टर अनंत गीते जी थे। उन्होंने मुझ से कहा था कि हमारे पूरे देश की आबादी 140 करोड़ की है, लेकिन केवल 545 लोगों को ही इस सदन में आने का मौका मिलता है। उन 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहां पर आते हैं तो जिम्मेदारी से देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद।

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): धन्यवाद सभापति महोदय। आपको धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं अपने नेतृत्व के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने इतिहास में अंकित होने वाली इस चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया है।

महोदय, देश और दुनिया में अनेकों घटनाएं ऐसी होती हैं, जो इतिहास के पन्नों में अंकित होती हैं और उनमें से भी कुछ ऐसी होती हैं, जिन्हें इतिहास स्वयं में समेटकर गौरवान्वित होता है और आज जो घट रहा है, इसको अवसर के रूप में बदलने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के प्रति मैं सम्पूर्ण देशवासियों की तरफ से आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिनके कारण भारत के महान लोकतंत्र के 75 वर्ष की संसदीय यात्रा के अवसर पर हम सभी को अपनी संसदीय प्रणाली पर गर्व करने का अवसर मिला है। मैं सदन की प्रैस गैलरी में बैठे हुए मीडिया के साथीगणों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं जिनके बिना ये यात्रा अधूरी थी और संविधान सभा से लेकर अभी तक जो इस संसदीय प्रणाली का हिस्सा रहे हैं।

महोदय, यह यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तब आकाशवाणी के माध्यम से पूरे देश ने उसको सुना था। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि आपका ध्यान इस तरफ रहे। सभापति महोदय, आपका ध्यान इस तरफ रहे। तब आकाशवाणी के माध्यम से देश ने संविधान सभा की पहली बैठक और उसकी पूरी कार्यवाही को सुना था और आज संसद टीवी के माध्यम से देश प्रत्यक्ष

रूप से इस चर्चा को सुन रहा है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस पूरी यात्रा में संसद के सभी अधिकारी और कर्मचारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

महोदय, अभी कुछ दिनों पहले ही जी-20 का ऐतिहासिक सम्मेलन भारत की धरती पर हुआ है। पूरे विश्व में जिसने भारत की साख बढ़ाई है और प्रत्येक भारतवासी को जिस पर गर्व और गौरव की अनुभूति हुई, ऐसा वो सम्मेलन भारत मंडपम में जब आयोजित हुआ तो हम में से अनेक लोगों ने देखा होगा कि वहां ?लोकतंत्र की जननी भारत? यह प्रदर्शनी लगी थी और विश्व में लोकतंत्र का उद्गम किस तरह से भारत में हुआ इसका सुंदर चित्रण उस प्रदर्शनी में है। लेकिन यह मान्यता देश और दुनिया के सामने इतने प्रभावी रूप से लाने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं।

महोदय, ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है और इस ऋग्वेद में हमारी लोकतांत्रिक परम्पराओं का स्पष्ट उल्लेख है। 40 स्थानों पर ऋग्वेद में और 9 स्थानों पर अथर्ववेद में गणतंत्र शब्द का उल्लेख आता है यानी हजारों सालों से हमारे भारत में लोकतंत्र की सनातनी परम्परा रही है। ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 174वें सूक्त के पहले श्लोक के अनुसार देश में राजा या राष्ट्राधिपति के चुनाव तब भी होते रहे हैं और वह श्लोक है ?

आत्वा हर्षिमंतरेधि ध्रुव स्तिष्ठा विचाचलि:

विशरत्वा सर्वा वांछतु मात्वधं राष्ट्रमदि भ्रशत।

अर्थात हे राष्ट्र के अधिपति मैं आपको चुनकर लाया हूँ। आप सभा के अंदर स्थिरता बनाए रखें। सारी प्रजा आपको चाहेगी और आपके द्वारा राज्य का पतन भी नहीं होगा। अथर्ववेद के तीसरे अध्याय के चौथे भाग का जो दूसरा श्लोक है ?

त्वां विशों वृणतां राज्याय त्वामिमा: प्रदिश पंच देवी:

वर्ष्मन् राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्य ततो न उग्रो वि भजा वसूनि।

अर्थात देश में बसने वाली प्रजा, देश के नागरिक आपको राष्ट्राधिपति या प्रतिनिधि चुने, यह विद्वानों की बनी उत्तम मार्गदर्शन पंचायतें आपका अनुमोदन करें। ऐसे अनेकों श्लोक, अनेकों मंत्र हमें वेदों में मिलेंगे, जो इस बात को रेखांकित करते हैं कि लोकतंत्र हमारे सनातन की परंपरा है।

हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र भारतवासियों के खून में है। इसलिए भारत को लोकतंत्र की जननी अर्थात मदर ऑफ डेमोक्रेसी, प्रधान मंत्री जी के द्वारा कहना भारत के लोकतंत्र की ताकत का अहसास करवाता है। चाहे महाभारत

हो या बौद्ध साहित्य, सभी में गणतांत्रिक प्रणाली का उल्लेख हमें मिलता है। इसके बहुत विस्तार में मैं न जाते हुए केवल इतना ही कहूंगा कि वैशाली साम्राज्य में जितने भी गणराज्य रहे हैं, वे सभी लोकतांत्रिक प्रणाली के उदाहरण हैं। यहां तक कि वैशाली के पहले राजा विशाल का भी चयन चुनाव के द्वारा ही हुआ था।

जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके 20 साल के पश्चात जब यूनान के राजदूत मेगस्थनीज भारत में आए, वह कार्यकाल चन्द्रगुप्त मौर्य का था, उन्होंने भारतीय गणराज्यों के बारे में बहुत विस्तार से उल्लेख किया है कि कितनी सुंदर व्यवस्था उस समय पर इसकी हुआ करती थी। हम कह सकते हैं कि यह गणतंत्र प्रणाली, यह लोकतंत्र हमें विरासत में मिला है और हमने इसे दुनिया को दिया है, लेकिन आजाद भारत के बाद या आजादी के समय में जो परिस्थितियां बनीं, जब अंग्रेज इस बात के लिए मजबूर हुए कि उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा, तब लोकमान्य तिलक की मांग पर संविधान सभा के गठन को मंजूरी मिली। जब देश आजाद हुआ, उसके पश्चात संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में कुल 165 बैठकें कीं। यह हमारा जो सेन्ट्रल हॉल है, वहां 9 दिसम्बर, 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें बोलने वाले पहले वक्ता आचार्य कृपलानी थे। 26 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को मान्यता दी और इस संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी, वह 24 जनवरी, 1950 को हुई और हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी, 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ और जिसके कारण देश में लोक सभा और राज्य सभा का निर्माण हुआ। लोक सभा के इस पवित्र मंदिर में पहला सत्र जो प्रारंभ हुआ था, वह मंगलवार 13 मई, 1952 का दिन था। लोक सभा के पहले अध्यक्ष जिनके बारे में माननीय प्रधान मंत्री जी ने अभी कहा था। मावलंकर जी ने अनेकों आदर्श और परंपराएं इस सदन में स्थापित कीं। उसके बाद हमारे जो माननीय अध्यक्ष हुए, उन्होंने भी अनेकों परंपराएं स्थापित कीं। हमें यह कहते हुए खुशी होती है कि वे परंपराएं जो तब प्रारंभ हुई थीं, वे हमारे वर्तमान लोक सभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी के समय तक अत्यंत प्रभावी रूप से चल रही हैं। इसी के कारण से भारत में एक मजबूत और स्वस्थ संस्कृति, गणतंत्र संस्कृति, लोकतांत्रिक संस्कृति की नींव स्थापित हुई है।

सन् 1952 के बाद से अभी तक लगभग इन 71 सालों में अनेक विद्वान सांसदों के भाषणों को सदन ने और इस देश ने सुना है। इसी सदन में जवाहर लाल नेहरू और पीलू मोदी जी, जवाहर लाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जी, नेहरू जी और फिरोज गांधी जी के बीच की नोंक झोंक को सदन में और देश में लोगों ने सुना है। ऐसे बड़े प्रमुख वक्ता थे, जिन्होंने सदन में ऐतिहासिक वक्तव्य दिए हैं, उनमें मधु लिमये, डॉ. लोहिया, श्रीपाद डांगे, आचार्य कृपलानी, इंद्रजीत गुप्त, ओमप्रकाश त्यागी, प्रकाशवीर शास्त्री, लाल कृष्ण आडवानी, कार्तिक ओराव तथा मधु दंडवते ऐसे अनेकों नाम हैं, जिन्हें यहां पर ले पाना संभव नहीं होगा।

प्रो. सौगत राय: सुषमा स्वराज जी का नाम भी लीजिए।

श्री राकेश सिंह: दादा, आप जो नाम बोल रहे हैं, हम उनका नाम भी जोड़ लेते हैं। ? (व्यवधान) सुषमा स्वराज जी हमारी नेता थीं। सुषमा स्वराज जी के भाषणों से आज भी लोग प्रेरणा लेते हैं। उनमें हम सभी लोग भी शामिल हैं। ? (व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी ने विस्तार से इन सभी नामों का उल्लेख किया है। माननीय चंद्र शेखर जी भी उनमें रहे हैं। तब से लेकर अभी तक इस विशाल देश में लोक सभा और राज्य सभा के माध्यम से लोकतंत्र का अविरल प्रवाह जारी है, लेकिन महोदय इसमें एक अपवाद भी है। लोकतंत्र की जो धारा प्रवाहित हुई थी, उसमें 26 जून, 1975 से 23 मार्च, 1977 का कालखंड यानी आपातकाल के 21 काले महीने, वह लोकतंत्र के इस मंदिर पर एक दाग है। अभी अधीर रंजन जी यहां पर होते तो काफी अच्छा लगता। वे काफी सारी बातें कह रहे थे। उन 21 महीनों में देश के सभी मौलिक अधिकारों का हनन करके, देश ही जैसे पूरा कारावास में बदल गया था, लेकिन महोदय, हमारे देश का लोकतंत्र ही परिपक्व नहीं है, बल्कि देश की जनता भी परिपक्व और समझदार है। इसलिए उसने एक रक्तहीन क्रांति करके लोकतांत्रिक पद्धति के माध्यम से ही व्यवस्था को बदल दिया।

महोदय, भारत के लोकतंत्र की सुंदरता देखिए। जब हम संसदीय प्रणाली पर बात कर रहे हैं, तो आपातकाल के उन अंतिम दिनों में लोकतंत्र के इस दाग को हटाने के लिए बाबू जगजीवन राम, आचार्य कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, हेमवती नंदन बहुगुणा और चंद्र शेखर जी जैसे लोग भी सामने आए, जो कांग्रेस की संस्कृति में ही पले-बढ़े थे, लेकिन उन्होंने देश के माथे के इस काले दाग को स्वीकार नहीं किया और संघर्ष का रास्ता अपनाया। हमारी संसदीय प्रणाली पर समय-समय पर अनेकों महत्वपूर्ण लोगों ने अपने विचार रखे हैं। चाहे डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम हों, जयप्रकाश नारायण जी हों, देश के प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी हों, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, श्री लालकृष्ण आडवाणी जी हों, इन सभी के विचार समय-समय पर आए हैं। मैं उनके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। सभी ने भारत के लोकतंत्र की ताकत और उसके महत्व को स्थापित किया है।

इस समय पर हम जरूर अम्बेडकर जी को स्मरण करना चाहेंगे। जो ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, वह उसके चेयरमैन थे। अम्बेडकर जी ने यह कहा था कि हमने जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा बनाई गई सरकार का सिद्धांत जब स्थापित किया है, तो हमें यह प्रतिज्ञा भी करनी चाहिए कि हमारे रास्ते में जो बुराइयां खड़ी हैं, हम उनको मिटाने में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरतेंगे और देश की सेवा का इससे बेहतर कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। यह अम्बेडकर जी का मानना था।

महोदय, यह विचार अम्बेडकर जी के हैं। अब इसकी व्याख्या अलग-अलग तरह से लोग अपने-अपने तरीके से कर सकते हैं। लेकिन एक मायने में उनका विचार एकदम स्पष्ट है कि प्रतिज्ञापूर्वक बुराइयों का समापन करना या मिटाना। अधीर जी अभी यहां से चले गए। ?(व्यवधान) अगर वह होते तो हम उन्हीं को प्रतीक के रूप में मान लेते। वह यहां नहीं हैं।

महोदय, देश यह जानना चाहता है कि क्या भ्रष्टाचार देश की सबसे बड़ी राजनैतिक और सामाजिक बुराई नहीं है? अगर जब यह है और देश के गरीब से गरीब आदमी को इस बुराई से बचाने के लिए उनके जन-धन खाते खोले जाते हैं, तो क्या यह भ्रष्टाचार पर एक सबसे बड़ी नकेल नहीं है? वह उन परिस्थितियों में कि आजाद भारत के इतिहास में 57 सालों तक जिस पार्टी की सरकारें देश और प्रदेशों में रही हैं। एक पूर्व प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हम यहां से एक रुपया भेजते हैं तो केवल 15 पैसे गांवों तक पहुंचता है, तो क्या उस परिस्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि जब जन-धन योजना के तहत खाते खोले गए तो भ्रष्टाचार की बड़ी नकेल के रूप में कांग्रेस भी इसकी सराहना करती। क्या यह देश के लोकतंत्र और संविधान निर्माता अम्बेडकर जी के विचारों का सम्मान नहीं है? मैं फिर से अधीर जी को याद करना चाहूंगा। वे कई सारी बातें कह कर गए थे। उन्होंने कहा कि देश में गरीबी बढ़ रही है।

महोदय, यह अपेक्षा होती है कि जब सदन में कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का नेता अपनी बात रखेगा तो कुछ अध्ययन के साथ रखेगा। लेकिन यह कहते हुए खेद है कि बगैर अध्ययन के उन्होंने सारी बातें रख दीं। केवल राजनीतिक आरोप लगाने के लिए आज के दिन का चयन किया, अन्यथा मुझे भी उनकी बातों का उत्तर नहीं देना पड़ता। उन परिस्थितियों में जब देश में साढ़े 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से हटकर अलग हो गए, तब वे कहते हैं कि गरीबी बढ़ रही है। उन्होंने मनरेगा के बारे में भी आरोप लगाया कि इसको मरेगा बोल दिया गया। मनरेगा को मरने के लिए हमने नहीं छोड़ा, कांग्रेस ने छोड़ा। उन्होंने नाम तो मनरेगा दिया, लेकिन पैसा कितना दिया? अभी वे यहां पर होते तो सुनते कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारों ने तीन गुना ज्यादा पैसा इस मनरेगा योजना के लिए दिया है। ? (व्यवधान) आज जियो टैगिंग के माध्यम से सीधे खाते में पैसा पहुंचता है, जो वे नहीं कर पाए थे। यह इससे बड़ी भ्रष्टाचार पर नकेल और क्या होगी। उन्होंने आज के दिन जब संसदीय प्रणाली के पक्ष में बातें करनी थीं, तब उन्होंने हमारी इस संस्था के, इस सदन के क्वेश्चन ऑवर के बारे में भी बातें रखी कि बोलने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन आज कोई बताये कि पिछले ये तीन सत्र होने को आ रहे हैं, कौन यहां की कार्यवाही को बाधित कर रहा है? कौन यहां पर क्वेश्चन ऑवर होने से रोक रहा है? जो रोक रहे हैं, वही यह सवाल खड़े करें कि उन्हें क्वेश्चन ऑवर में बोलने के लिए नहीं मिलता है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति कोई दूसरी नहीं हो सकती है।

अभी वे महिला रिजर्वेशन पर अपनी बात रखकर बस्ता लेकर चले गए। लेकिन विचार करना चाहिए कि 57 साल तक शासन करने के बाद ये सारी बातें क्या वे इस बात के लिए छोड़ कर गए थे कि देश में कभी नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री के रूप में आयेंगे और उस समय देश की समस्याओं का निराकरण होगा। महिला रिजर्वेशन पर बोलने से पहले एक बार उनको कम से कम याद करना चाहिए था कि कांग्रेस ने इस दिशा में क्या काम किया? वे तो आज भी, अगर चन्द्रयान चांद पर उतर रहा है, तो 1964 में नेहरू जी ने इसरो का गठन किया था, उन्होंने 1974 बोला या 1964 बोला, भाभा का गठन किया था। वे इसको उसको जोड़ते हैं कि तब भाभा का गठन हुआ था यानी अनुसंधान प्रारंभ हुआ था तो चन्द्रयान जो आज जा रहा है, उसका क्रेडिट कांग्रेस को जाना चाहिए। इतनी बचकानी बातें इस सदन के भीतर कांग्रेस के किसी नेता से उम्मीद नहीं की जा सकतीं। ? (व्यवधान)

महोदय, 75 सालों की यह संसदीय यात्रा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मरण के बगैर अधूरी है और सभी इस बात को क्वोट करते हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने बहुत गर्व के साथ कहा कि उन्होंने कहा था कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए, देश रहना चाहिए और लोकतंत्र मजबूत बनना चाहिए। क्योंकि देश का लोकतंत्र महान है और इसकी संसदीय यात्रा भी इतनी प्रेरणादायक है कि उसको समझने के लिए दो उदाहरण ही काफी हैं।

देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी जब पहली बार सदन में आते हैं तो लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर की सीढ़ियों पर वे माथा रखकर नमन करते हैं। जो यह साबित करता है कि लोकतंत्र के इस सर्वोच्च मंदिर के प्रति भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधान मंत्री जी के मन में कितना सम्मान है। जब उन्हें कांग्रेस के नेता लोकतंत्र के बारे में ज्ञान देते हैं, जिन्होंने देश के माथे पर आपातकाल जैसा काला दाग लगाया तो फिर देश की जनता को उन पर हँसी आती है। लोकतंत्र की मर्यादा और उसका सम्मान देखना हो तो हमें एक बार फिर से देश के प्रधान मंत्री जी का आचरण देखना होगा कि इसी सदन के भीतर एक दिन जब वे प्रवेश कर रहे होते हैं तथा एक माननीय सदस्य का वक्तव्य चल रहा होता है तो वे वहीं ठहर जाते हैं। क्योंकि यह मर्यादा है कि जब कोई सदस्य अपना वक्तव्य दे रहा हो तो उसको लांघ कर नहीं जाना चाहिए। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधान मंत्री जी तब तक वहां पीछे खड़े रहते हैं जब तक हमारे उस सदस्य का वक्तव्य पूरा नहीं हो जाता, उनका भाषण पूरा नहीं हो जाता। इससे ज्यादा देश की संसदीय प्रणाली पर, देश के प्रधान मंत्री के विश्वास का और कौन सा दूसरा उदाहरण होगा। यह घटना केवल आज के लिए नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देने वाली घटना होगी।

महोदय, अटल जी ने कई बातों के माध्यम से देश और लोकतंत्र के बारे में अलग-अलग तरह से अपनी बातें रखी थीं। जिसमें उन्होंने एक बार कहा था कि हम केवल अपने लिए न जिएँ, बल्कि औरों के लिए भी जिएँ। हम राष्ट्र के लिए अधिकाधिक त्याग करें। अगर भारत की दशा दयनीय है, तो दुनिया में हमारा सम्मान नहीं हो सकता। किन्तु, यदि हम सभी दृष्टियों से सुसम्पन्न हैं, तो दुनिया हमारा सम्मान करेगी।

दूसरा, उन्होंने कहा था कि गरीबी, दरिद्रता गरिमा का विषय नहीं है, बल्कि यह विवशता है, यह मजबूरी है और विवशता का नाम संतोष नहीं हो सकता। इन दोनों बातों को उद्धृत करने का केवल एक मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने इस पीड़ा से, इस दंश से न केवल देश के गरीबों को मुक्ति दिलाने का काम किया है, बल्कि देश के लोकतंत्र को भी मजबूत करने का जो प्रयास किया, उसकी निरंतरता जारी है।

यहाँ मैं नेहरू जी को भी उद्धृत करना चाहूँगा। नेहरू जी ने संविधान सभा की बैठक में एक संकल्प पर चर्चा के दौरान 22 जनवरी, 1947 को यह कहा था। कांग्रेस उस पर आपत्ति कर सकती है, इसके लिए मैं वह रेकॉर्ड भी लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा था- ?एक व्यक्ति जो भूखा है, गरीब है, जिसके शरीर पर पहनने को कपड़े नहीं हैं और उसके लिए वोट का भी महत्व नहीं है, हमें उस पर विचार करना है। ?

महोदय, कितना विचार करना है? हम अपने इस महान् लोकतंत्र में कब तक लोगों को भूखा और गरीब रखकर उनके वोट के महत्व की प्रतीक्षा करेंगे? क्या 57 साल का समय कांग्रेस की सरकारों के लिए कम था?? (व्यवधान) यह आपको पहले उन्हीं से पूछना चाहिए। जो प्रश्न किये गए थे, केवल उनके उत्तर दिए जा रहे हैं, । ? (व्यवधान) उस समय यह बात आपको उधर बोलनी चाहिए थी। मैं केवल उत्तर दे रहा हूँ।

यदि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी उसकी गरीबी दूर करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का पक्का मकान उसको देते हैं, जिसके घर में दीपावली के दिन भी बिजली का बल्ब नहीं जला, उसके घर में बिजली का कनेक्शन देते हैं, ?उज्ज्वला? की रोशनी देते हैं, शौचालय देते हैं, कोरोना से लेकर अभी तक मुफ्त का राशन देते हैं और ऐसा करते समय, वे बिना किसी भेदभाव के अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हैं, सबको समान अवसर देते हैं, तो क्या यह उस गरीब को वोट का महत्व समझाना और देश में लोकतंत्र का सम्मान करना नहीं है? यदि सम्मान है, तो क्या कांग्रेस कभी इसके पक्ष में कुछ कहना चाहेगी?

महोदय, अभी आप कह रहे थे कि यह आज का विषय नहीं है। यह मैं भी जानता हूँ, लेकिन जिस समय कांग्रेस के नेता इस बात को यहाँ पर रख रहे थे, मुझे आश्चर्य है कि आप में से किसी ने उनको नहीं टोका कि यह आज का

विषय नहीं है। आज जब उसका उत्तर मिलना शुरू हो रहा है तब आप कह रहे हैं कि यह आज का विषय नहीं है। चलिए, मैं उसी बात पर आता हूँ, जो आज का विषय है।

महोदय, इस सदन में अनेक फैसले हुए हैं। लेकिन इस सदन में इतिहास की गलतियों को सुधारने वाले भी कुछ ऐसे फैसले हुए हैं, जो इतिहास में दर्ज हुए हैं। इसी सदन के अन्दर जम्मू-कश्मीर को लेकर भी अनेक बार चर्चाएँ हुई हैं। इसी सदन के सदस्य रहे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो गलती उस समय हो रही थी, उसका उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ?देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे। ?? (व्यवधान) आपको इतनी आपत्ति हो रही है। ? (व्यवधान) आप यह बताइए कि मैंने कब कहा कि उन्होंने हाउस में कहा। ? (व्यवधान) मैंने कब कहा कि हाउस में कहा। ? (व्यवधान) मैंने कब कहा? ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please sit down.

....(Interruptions)

श्री राकेश सिंह: मैंने कब कहा कि वे हाउस में बोल रहे थे? ? (व्यवधान) मैंने यह नहीं कहा कि वे हाउस में बोल रहे थे। ? (व्यवधान) लेकिन सदन का सदस्य रहते हुए उन्होंने कहा था और यह आपको सुनना पड़ेगा। ? (व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): वे वर्ष 1952 में सदस्य थे। ? (व्यवधान)

श्री राकेश सिंह: मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने सदन का सदस्य रहते हुए कहा था और आपको यह सुनना पड़ेगा। ? (व्यवधान) कश्मीर के मामले में आपको जो तकलीफ होती है, उस समय कश्मीर के लाखों-करोड़ों लोगों का भविष्य आपको ध्यान में नहीं आता। ? (व्यवधान) जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्याएं होती हैं, मासूम लोगों की जब इज्ज़त छीनी जाती हैं, उनकी हत्याएं होती हैं, उनका खून बहता है, तब आपको ध्यान में नहीं आता है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या कहा था? ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.

*....(Interruptions) ?**

श्री राकेश सिंह : महोदय, मैं बड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहूँगा। ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except what Shri Rakesh Singh ji is saying.

*....(Interruptions)**

श्री राकेश सिंह: उन्होंने कहा था कि देश में स्वतंत्र राज्य का दर्जा देने की मांग करने वाले? (व्यवधान) आप सुन लीजिए इस बात को। ? (व्यवधान) क्या शेख अब्दुल्ला इस बात के लिए तैयार होंगे कि जम्मू-कश्मीर के भीतर, जम्मू और लद्दाख के लोगों को भी अवसर देंगे कि वे स्वतंत्रता की माँग करें और यह उनको मिले। ? (व्यवधान) यह उन्होंने कहा था। ? (व्यवधान) तब यह बात उन्होंने बोली थी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ होगा। ? (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं जो भी कह रहा हूं, वह देश के संसदीय इतिहास के संदर्भ में कह रहा हूं। यह पुरानी बात है, जिसका उल्लेख मैंने किया है। ? (व्यवधान) दादा, इतनी ही फुर्ती से आप तब खड़े होते, जब जम्मू-कश्मीर पर यह बिल आया था और वहां लोग धारा 370 समाप्त करने का विरोध कर रहे थे। तब आपके ध्यान में नहीं आया कि आपको उसके बारे में, उसके विरोध में कहना चाहिए? लेकिन उन्होंने कहा कि देश की अखंडता के साथ यह खिलवाड़ स्वीकार ? (व्यवधान) दादा, आप तो बैठ जाओ। ? (व्यवधान) कल्याण दादा, आप तो बैठो। ? (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, the rule is this that if anything is *sub judice,* before the court, that should not be discussed in the Parliament. The amendment to the Constitution in respect of Article 370 relating to Kashmir is *sub judice* in the Supreme Court. ? (*Interruptions*)

श्री राकेश सिंह: हम जम्मू-कश्मीर पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम केवल इसके इतिहास की जानकारी दे रहे हैं। ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I will go through the records and expunge.

श्री राकेश सिंह: अगर कुछ गलत हो, जो नियम के विरुद्ध हो, तो आप जरूर हटाइएगा। अगर कुछ गलत हो, तो जरूर हटाइए।

हम सभी इस बात के गवाह हैं कि इसी सदन में, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी, जब धारा 370 और 35(ए) के खात्मे का बिल लेकर आए, तो इतिहास में दर्ज होने वाली बहस भी इसी सदन में हुई थी

और जिसका जवाब देते हुए ? (व्यवधान) दादा, परेशान मत होइए, कोई भी ऐसी बात नहीं हो रही है। आप अपने इस हथियार का उपयोग सारे वक्तव्यों में करते हैं, लेकिन तब ही करते हैं, जब बात यहां से रखी जाती है। जब वहां से बात होती है, तब आपके हथियार बाहर नहीं निकलते। इसका जवाब देते हुए माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व तो क्या, जान भी न्यौछावर करनी पड़ी, तो वह कर देंगे। ? (व्यवधान) कश्मीर भारत का अखंड और अटूट हिस्सा है। ? (व्यवधान) आज, धारा 370 और 35(ए) की समाप्ति के साथ जम्मू-कश्मीर विकास की नई इबारत लिख रहा है।

महोदय, अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं, वह शायद इनको अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, स्वस्थ विपक्ष का होना। स्वस्थ लोकतंत्र केवल सत्तापक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। उसमें जिम्मेदारी और भागीदारी बराबरी से कैसी होती है, यह मैं आपको अभी बता देता हूं।

हम सभी को याद होगा, इतिहास में, रिकॉर्ड में मिल जाएगा, दादा तो उसको जरूर ढूंढ निकालेंगे। जब हम संसदीय परंपरा के 75 वर्षों की बात कर रहे हैं, तो संसद के माननीय सदस्य मधु लिमये जी के नाम का उल्लेख भी मैं करना चाहूंगा। इंदिरा गांधी जी ने जब लोक सभा में बजट पेश किया, वह आर्थिक लेखानुदान था। जब भाषण समाप्त हुआ, तो मधु लिमये जी ने तत्काल व्यवस्था का प्रश्न उठाया, लेकिन स्पीकर ने उनको अनुमति नहीं दी, सदन उठ गया। मधु लिमये जी स्पीकर के चेम्बर में गए और वहां जाकर उन्होंने कहा कि आज एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपने लेखानुदान तो प्रस्तुत किया, लेकिन मनी-बिल तो प्रस्तुत ही नहीं हुआ। आप रिकॉर्ड चैक कर लीजिए, अगर ऐसा है, तो आज रात को बारह बजे के बाद देश के सारे कामकाज रुक जाएंगे, कोई भी महकमा एक रुपया भी खर्च नहीं कर पाएगा। यह सुनने के बाद स्पीकर महोदय भी हतप्रभ रह गए। रिकॉर्ड बुलाया गया, रिकॉर्ड बुलाने के बाद पाया गया कि मनी-बिल प्रस्तुत नहीं हुआ है। मैं मजबूत विपक्ष की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सुझाव भी मधु लिमये जी ने ही दिया। उन्होंने कहा कि अभी भी आपके पास समय है। आप तत्काल सभी विपक्षी नेताओं को बुलाइए और आज सदन की बैठक आप बुलाइए। आप लोगों को जानकार हैरानी होगी, आपमें से कई लोगों को शायद जानकारी भी होगी कि उस समय रेडियो से बकायदा घोषणा कराई गई कि जो जहां है, वह तुरंत वापस लौटे। सदन की बैठक हुई और रात में बैठक करने के बाद मनी-बिल पास किया गया और इस तरह से देश का कामकाज चला। यह है मजबूत और सकारात्मक विपक्ष। ? (व्यवधान) उस समय कांग्रेस के साथ यह विपक्ष था। हम वैसी उम्मीद तो कांग्रेस से नहीं करते, विपक्षी साथियों से नहीं करते, लेकिन सकारात्मक भूमिका में वे दिखाई दें, इतनी अपेक्षा जरूर हमारी होती है।

महोदय, इसी सदन में बहुत सारे ऐसे कानूनों को भी हमने समाप्त किया है। 1,400 से ज्यादा ऐसे कानून, जिनकी उपयोगिता लगभग समाप्त हो चुकी थी। उनके बारे में बहुत विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको खत्म करने में भी 70-75 साल निकल गए, तब जाकर वे कानून समाप्त हुए।

महोदय, जब संसदीय प्रणाली की बात आती है, तो पूरा सदन एक है, इस पर चर्चा होती है। आज इस सदन में उपस्थित विभिन्न विचारों और दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले अपने सभी साथी सदस्यों का मैं आह्वान करना चाहूँगा कि यह गौरवशाली यात्रा सामूहिक है। माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि यह साझा है और हमारे सामूहिक प्रयासों की कहानी है। अब जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता और संकल्प से देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और हम विश्व में एक महाशक्ति के रूप में जाने जा रहे हैं। इस समय हम पूर्णत: भारतीय ज्ञान और भारत की अपनी आर्थिक ताकत के बूते बने संसद के नए भवन में प्रवेश करके गुलामी के प्रतीकों को हटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं तब यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि उस नए भवन को भावी पीढ़ियों और भविष्य के भारत की नींव रखने वाले लोकतन्त्र के ऐसे मन्दिर के रूप में स्थापित करें, जहाँ मन्दिर के घंटे से नाद की तरह एक ही गूँज हो, ?सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबका प्रयास?। विश्वास मानिए 140 करोड़ भारतीयों के स्वप्न को हम सब मिलकर पूरा कर लेंगे, इस मन्त्र में इतनी ताकत है, आवश्यकता है राजनीति का चश्मा आँखों से उतारने की।

महोदय, बहुत कुछ कहने को है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो माननीय सदस्य हैं, आज दूसरा मानस बनाकर यहाँ पर बैठे हैं और इसलिए अन्त में मैं कहना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने देश को उन ऊँचाईयों पर पहुँचाया, जहाँ पर पहुँचने की कल्पना इसके पहले कोई कर नहीं सकता था। आज पूरी दुनिया में भारत के नाम का डंका बज रहा है और इसलिए कुछ पंक्तियाँ उनको समर्पित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूँगा।

?वे परख रहे हैं तूफानों में कितनी ताकत है,
वे देख रहे हैं आँधियों की कितनी आहट है,
पर मन में संकल्पों की राहत है,
काँटों से कीलित पथ पर कदमों की छाप उकेरी है,
हाथों को वज्र बनाकर,
अंधियारों में दीप जलाती वह एक जान अकेली है,
वह एक जान अकेली है।?

इसी के साथ हम सभी कल जब उस नए सदन में प्रवेश करेंगे तो भविष्य के एक नए भारत के संकल्पों के साथ हम अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए प्रवेश करेंगे। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I stand here on behalf of the NCP for this very important discussion which was actually started by the hon. Prime Minister on a very emotional note. He after a long time today spoke as a statesman. So, I was presuming that this debate was not about the *tu tu mein mein* which we usually do. But unfortunately, when the hon. Member from the Treasury Benches started speaking, he made it really political, which is not what the hon. Prime Minister?s speech says. So, I will follow the Prime Minister?s speech first but I will seek your help, guidance, and time for two minutes to give a few clarifications to the hon. Members. I would not speak as much as the hon. Member does but I would like to give a few clarifications before I make it a little political with your permission.

India is the largest democracy in the world. Democracy, freedom, secularism, fraternity, equality ? this is what B. R. Ambedkar ji gave us in this Constitution, which we are also proud of. This is the organisation, the temple of democracy, the Parliament, where we all are absolutely blessed that we have had the opportunity to speak on behalf of millions of Indians to debate, deliberate, have discussions, and make sure that the last person becomes first. That is what really the common agenda is whether you are sitting on this side or that side.

I appreciate the hon. Prime Minister?s speech today where he appreciated that governance is continuity. Various people have contributed over the last seven decades to build this country which we all love equally. It is not that which side you will love less or more, whether you call it India or Bharat. It is your own country. We are all born here. We are all blessed to be here. I think I would take the point forward by mentioning what Mahtab ji said that unity in diversity. This is the beauty of India. I think that is what clearly comes across in most of the speeches which were made.

Here, I would like to quote Dr.B.R. Ambedkar. In the Constituent Assembly, he once said:

?The Constitution is a Federal Constitution. The Union is not a League of states united in a loose relationship, nor are the States the agencies of the Union, deriving powers from it. Both the Union and the States are created by the Constitution, both derive their respective authority from the Constitution.?

14.46 hrs (Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki *in the Chair*)

I am a Member of Parliament since 2009. Clearly, this is a huge legacy that we have been blessed to have. Here, I felt a little sorry and I would put it on record. Unfortunately, two persons who had highly influenced my parliamentary work have not been mentioned by the BJP today. Though they come from the BJP, I feel that they were one of the tallest leaders and extraordinary parliamentarians whom we looked up to. They are: hon. late Sushma Swaraj ji and hon. late Shri Arun Jaitley ji, who constantly talked about cooperative federalism. It is not about this side or that side: good work has to be appreciated.

Sir, about the building that we are all sitting in today, it was Herbert Baker who opened it on 18th January, 1927. This building was built with sand stone which came from Dholpur. Dushyant Singh ji comes from Dholpur. Shri S.P. Baghel ji is here from Agra. The clay for this building had come from his Parliamentary Constituency. So, Dholpur and Agra have contributed substantially in the construction of this building. So, we should thank the contribution of Dholpur and Agra. Thousands and thousands of Indian artisans, about whom we are so proud of, and which teaches us about our legacy, have contributed for this work.

Here, everybody talked about Pandit ji and President Rajendra Prasad ji. The hon. Prime Minister mentioned about them. Every wall, every tile, every bench has a story to tell. They cannot articulate it, but there are so many stories, decisions and controversies that the walls of this beautiful Parliament have seen. I would definitely like to put on record that besides all the Prime Ministers, which the hon. Prime Minister mentioned, there were also statesmen like C. Rajagopalachari ji, Sarvepalli Radhakrishnan ji, Sardar Patel ji, Y.B. Chavan ji,

C.D.Deshmukh ji, Madhu Dandavate ji, and Pranab Mukherjee ji. This debate would be incomplete if we do not talk about Pranab Mukherjee ji from whom we all learnt so much while we were sitting here.

A lot of debate has gone about the Bills. They did a lot of good work; we did a lot of good work. So, nobody can take away what each other did here, but I would definitely like to make a few suggestions while we are here.

I would like to highlight about the average age, which is something for us to deliberate upon. These are just observations and suggestions for us to deliberate as a team. The average age of today?s Parliament is much older than when we really started; and this is one of the youngest countries. So, whichever side we sit on, we must think about this factor for sure.

I would speak about the women MPs now. Most of these women here today have been asking for the Women?s Reservation Bill. My friend, Kanimozhi, Dimple and everybody who is sitting here, have been concerned over it. All the parties are concerned, and we support it. But there was a question, which Rakesh Singh ji raised, on which I would just like to put the record straight. He said: ?For quite a long period, you were in Government. What did you do about it?? Let me tell him that the first women President of India was Shrimati Pratibha Tai Patil and she was from the Congress. The first Prime Minister of this country was Shrimati Indira Gandhi, a woman, was from the Congress. Similarly, the first Speaker of Lok Sabha who was a woman was Shrimati Meira Kumar ji, and she was from the Congress. So, this is what we have done.

Sir, I would like to put one more thing on record which probably Rakesh Singh-ji missed out that the Women?s Reservation Bill was also brought out by us. Unfortunately, we did not have the numbers and so we could not pass it. That was also brought by the Congress. The late Rajiv Gandhi-ji and the then Chief Minister of Maharashtra Shri Sharad Pawar ji were the

first people who brought 33 per cent reservation for women in every Panchayat in this country. I am very proud to say that Maharashtra was the first State to bring it to 33 per cent, and then we raised it to 50 per cent. So, this is what has been done for women.

Since we are all deliberating here, I take this opportunity to say that 50 per cent of India?s population is women. So, why do we not all deliberate this in the New Parliament Building. Maybe this can be the first decision that the hon. Minister can take in the new building. We will all support him if he brings in reservation for women in Parliament and in Assemblies. We all will whole-heartedly support this Bill.

Sir, there is another small observation which I would like to make. Please do not take it negatively. This is the first time in Lok Sabha as I mentioned that we had no Deputy Speaker. This must be the only term since Independence where there has been no Deputy-Speaker. Shri Meghwal ji was just here. I would like to bring it to his notice and Pralhad ji?s notice. While we are moving to the New Parliament Building, they should take this issue up for having a Deputy Speaker, may be for few months because we do not know when they are going to announce the Elections. But this is a record that there has been no Deputy Speaker in this term. I think, this is something, which none of us should support.

Now, I would make another suggestion about the sittings of the Lok Sabha. Their number should go up. In 1956, the number of sitting was 151 days.

Why cannot we have more days? We are all happy to work. What do we get elected for? It is for us to come here, deliberate and make sure that we serve the nation. So, is it not something that we can do? The Supreme Court also works in sometimes. This Government constantly brings Ordinances. This Government has brought a record number of Ordinances. So, why do not we have more Parliament days? Why does this Government need to bring so many Ordinances? If they are in such a hurry, call for a Parliament session. Instead of having four sessions, we can have six sessions. What is the problem?

The other thing is that the number of voters has gone up. So, Constituencies are becoming huge now. Is that something that the Government would consider? This is a very positive suggestion that I would like to make to the Government. The Constituencies are going from 23 lakh to 25 lakh strong. Is it possible for an MP to manage those numbers even with the MPLADs that we get? Is there something that we can all deliberate, and see? I am saying this because anyway there are more seats coming there.

Another suggestion is stronger Committees. The Committees are wonderful. They do very good work. But can we have stronger Committees and give them more authority? This could be another suggestion.

Another suggestion that I would like to make is about the Question Hour. Allowing Question Hour is something even Om Birla ji has always recommended in our All-Party Meetings. Can we find a consensus? I would like to recommend as an MP that that is one hour where we can really take the Government to task. So, can we unanimously suggest that no Question Hour should be disrupted by whoever is sitting on whichever side? I think that this is something we all should consider. ? (*Interruptions*) We have seen him in the ?well? many times.

Another suggestion that I would like to make is on the Private Members Bills. ? (*Interruptions*) Do not be hubris. As regards the Private Members Bills, a lot of MPs work very hard and do a lot of work to bring those Bills, but they are almost toothless. Can we strengthen that part where there is more meaning, more visibility, more authority in those Bills? Maybe, we can debate it and deliberate on it. Otherwise, it is just a piece of document on which we argue, but it goes nowhere. I think that is one legislation that we must look into and see what more we can do.

As regards the Opposition, I know that it is a numbers game, but many times the Treasury Bench gets hours to discuss. The Minister sometimes speaks for 90 minutes and we

are the Opposition. So, if Rakesh Singh ji really wants वे कह रहे थे कि मधु दंडवते जी के समय जैसा सक्षम ऑपोजीशन चाहिए। हमें थोड़ा और वक्त दे दीजिए। We will make some very good suggestions, which will be productive. I have not criticized, but I have only given you suggestions. ? (*Interruptions*) केवल मुझ पर ही नहीं, हम सब पर थोड़ा और विश्वास रखिए। हम लोग और सुझाव दे देंगे। Another thing which we need to talk about is the media. The hon. Prime Minister was very gracious to the media today, and he said that we need to encourage the media for the time they have put in. The media is not allowed here. So, why cannot we see what more visibility or what better way we can work with the media?

Another point that I would like to make is about the support team of the Secretariat?s Library and Research Wing. With new technology coming, is there more ways we can find out whether research teams can work better with every Parliamentarian hereon where the funds need to go up? India has a large budget. Why not we spend more money on the research and library for research people? I think that would really give a lot of help and support to all the Members of Parliament.

Another point that I would like to bring to your notice is that Maharashtra has contributed substantially to the Chair. I mean, the hon. Prime Minister was very kind to take Mavlankar ji?s name, but I would like to put on record the names of Shivraj Patil ji, Manohar Joshi Sir and Sumitra Mahajan ji whom he had mentioned. But she was Ms. Maharashtra and Mrs. Madhya Pradesh. So, she was a daughter from Maharashtra who got married into Madhya Pradesh. We have had a long legacy of very good Parliamentary work. So, I feel that Maharashtra has contributed substantially, and we are very proud to be integrated in this temple of democracy for it to be fair and to be just, which our Constitution wants.

Now, Rakesh ji?s two small points that I would like to clarify. He talked about ?भ्रष्टाचार?. Rakesh ji, I am completely with you. आप भ्रष्टाचार के लिए कोई भी इंक्वायरी कर दीजिए, we will support you 100 per cent because I remember the hon. Prime Minister coming to Maharashtra. तब

एनसीपी के बारे में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था that it is a ?Naturally Corrupt Party?. उन्होंने दो इंक्वायरी के बारे में कहा था। एक, इरिगेशन स्कैम के बारे में और दूसरा, बैंक के बारे में था। I request you with folded hands with full humility कि माननीय प्रधान मंत्री जी की जो इच्छा है, उसे आप पूरा कर दीजिए। I will support it wholeheartedly. आपने जो भ्रष्टाचार की बात उठाई थी, उसे आप प्लीज़ कर लीजिए। We will support you wholeheartedly. ये दोनों ही नहीं, बल्कि और चार भी हैं, कोई ए.बी.जी. है और बहुत सारे हैं।

Another thing that you said about the Congress, which I repeat that this is not about relationships. भाई की बात है तो पार्लियामेंट में मेरे 800 भाई हैं, एक थोड़ी है।

So, my suggestion to you is that there are many such cases which the hon. Prime Minister was very deeply pained by. So, I understand his pain. उनका जो दुख है, भ्रष्टाचार के बारे में उनको जो करना है, वह पूरी ताकत के साथ हम उनके साथ खड़े रहेंगे। If there is any such thing he wants to do in Maharashtra, we will wholeheartedly support and we will want to see where his debate is gone. There is another thing that he said about Congress. सबसे ज्यादा आज बीजेपी को आप देखें, it is very Congress heavy. आज अगर आप महाराष्ट्र में या यहां पर भी जब देखें, तब पुरानी कांग्रेस और पुरानी एनसीपी के लोग आपके यहां हमारे से ज्यादा हैं। हमारे यहां नए लोग आ रहे हैं, लेकिन आपके यहां ये ज्यादा हैं। So, I think you really need to reinspect. आप हमें कहते हैं कि 60 सालों में आपने क्या किया है। 60 सालों में जिन्होंने भी जो भी किया है, वह अब सारी वॉशिंग मशीन उस साइड में है। इस साइड में अभी कोई नहीं रहा है। We are very happy because we are completely with you. We are mostly very honest and committed to the cause and that is why we joined politics. Why did we come to this temple of democracy? We came to this temple of democracy not to do *tu tu main main*. We genuinely wanted to influence policy to serve this nation for the betterment. यहां बैठें या वहां बैठें, देश के लिए तो अच्छा ही सोचेंगे न? ऐसा थोड़े ही कहेंगे कि एक-दूसरे के खिलाफ कुछ सोचेंगे।

I would like to finish my speech by quoting shri Somnath Chatterjee who was here for ten terms. He said, "The greatness of Parliament lies not just in the majestic building but is derived from and sustained by quality of debates that they place inside the House".

I am eternally grateful to the people of Baramati who gave me this opportunity to stand here. I have no identity here, my identity is my Constituency and my people. I am eternally grateful to be a part of this esteemed place, the temple of democracy. I commit myself to working here and working within the rules of the Constitution.

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे ?संविधान सभा से अब तक 75 वर्षों की संसदीय यात्रा ? उपलब्धियां, अनुभव, स्मृतियां और सीख? पर चर्चा में भाग लेने के लिए इस ऐतिहासिक दिन पर अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपके साथ-साथ मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, आदरणीय बहन जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

महोदय, आज हम धन्य हैं कि हमारे बीच बाबा साहब डॉ. भीम राव अंबेडकर साहब का जन्म हुआ। जो उस ज़माने में इस भारत देश में फैली कुरीतियां, भेदभाव, ऊँच-नीच, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विषमताओं को समाप्त करने के लिए अपने जीवन के अंतिम समय तक कार्य करते रहे। हमारे प्रदेश में तो एक कहावत भी है कि जाके पैर न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। कहने का तात्पर्य यह है कि बाबा साहब ने स्वयं छुआछूत, ऊंच-नीच, और उत्पीड़न को सहा था। इसलिए जब संविधान सभा में उनको मौका मिला तो पछिड़ों, दलितों और महिलाओं के लिए संविधान में हक दिलाने का काम किया।

महोदय, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान सभा की अंतिम बैठक में यह भी कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसके मानने वाले लोगों की नीयत साफ नहीं है तो संविधान कभी अच्छा नहीं हो सकता है। सन् 1950 में बाबा साहब जब इस संविधान को लिख कर, और देश को सौंप कर निकल रहे थे, उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी जी हुआ करते थे। आचार्य कृपलानी जी ने कहा कि अंबेडकर तुम आज बहुत खुश हो। बाबा साहब ने उत्तर दिया कि हाँ मैं आज बहुत खुश हूँ। उन्होंने आगे कहा कि पहले राजा के परिवार में ही राजा पैदा होता था। मैंने आज देश के संविधान में यह व्यवस्था कर दी है कि भिखारी के परिवार में भी राजा पैदा हो सकता है। इसकी व्यवस्था मैंने संविधान में लिख कर दी है। अब इस देश में राजा के घर में ही राजा पैदा नहीं होगा, एक गरीब परिवार में भी राजा पैदा होने की व्यवस्था को मैं लागू करने का काम कर रहा हूँ। कृपलानी जी ने बाबा साहब से कहा कि आपका समाज तो कमज़ोर है, गरीब है, अशिक्षित है, लाचार और कमज़ोर है। हम उनका वोट पैसे से लेने का काम करेंगे। हम आपके समाज का वोट, उनको डरा कर लेने का काम करेंगे। उनका वोट हम खरीदने का भी काम करेंगे। लेकिन बाबा साहब ने आचार्य कृपलानी जी से एक बात कही कि आपकी यह बात सही है कि मेरा

समाज गरीब है, कमज़ोर है, पिछड़ा है, शोषित है, अशिक्षित है, लाचार है। लेकिन कृपलानी जी एक बात याद रखें कि जिस दिन मेरा समाज अपने वोट की कीमत समझ जाएगा, उस दिन वह तुम्हे भी लाचार बनाने का काम करेगा।

15.00 hrs

उनके समाज ने वोट का महत्व समझा। अब वोट का महत्व समझने के बाद, वर्ष 1952 में जब पहला चुनाव हुआ, जिस व्यक्ति ने देश का संविधान लिखा हो, देश में गैर-बराबरी की व्यवस्था को खत्म किया हो, इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना की हो, इस देश के अंदर भाईचारा कायम किया हो, इस देश में सभी को बराबरी का हक दिया हो, इस देश में राजा की वोट की कीमत और भिखारी की वोट का कीमत भी एक करने का काम जिन्होंने किया हो, ऐसे व्यक्ति जब चुनाव में गए तो उस वक्त कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू जी की हवा थी, पूरे देश में उनका संदेश था, लेकिन बड़े दुख की बात है कि ऐसे नेता को हराने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने उनका विरोध करके काजरोलकर जी को चुनाव जीता कर बाबा साहब को चुनाव हराने का काम किया। यह कितनी दुख की बात है।

आज जो लोग परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब के साथ जो शोषण कांग्रेस ने किया, मैं समझता हूं कि किसी और ने उनका शोषण करने का काम नहीं किया। बाबा साहब अंबेडकर पहले चुनाव में हार गए थे। मैं मुस्लिम समाज के उस व्यक्ति को बधाई देना चाहता हूं, जो बंगाल से चुनाव जीत कर आए थे। उस मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी सीट से इस्तीफा देकर बाबा साहब को चुनाव जीता कर लोक सभा में भेजने का काम किया। उसके बाद बाबा साहब कानून मंत्री बने, लेकिन सरकार में रिमोट किसके हाथ में था? आज इधर के लोग रिमोट की बात करते हैं। उस वक्त रिमोट किसके हाथ में था? बाबा साहब कानून मंत्री थे। इस देश को पुरुष प्रधान देश माना जाता था। बाबा साहब चाहते थे कि अगर देश के अंदर पुरुषों को पूर्ण अधिकार है तो महिलाओं को भी पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब इस देश के अंदर हिन्दू कोड बिल लेकर आए। हिन्दू कोड बिल लाकर देश में उन्होंने व्यवस्था दी कि इस देश के अंदर अगर महिला चपरासी बनेगी तो वह अधिकारी बनने का भी काम करेगी। अगर इस देश में कोई महिला प्रधान बनेगी तो वह प्रधानमंत्री भी बनने का काम करेगी। ऐसी व्यवस्था परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी ने हिन्दू कोड बिल के माध्यम से देने का काम किया। लेकिन, दुर्भाग्य है कि उस वक्त की सरकार ने बाबा साहब को इतना परेशान करने का काम किया कि उन्होंने अंत में आकर कानून मंत्री से इस्तीफा देने का काम किया। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।

साथियो, उसके बाद बाबा साहब ने आर्टिकल 340 में पिछड़ों को 27 परसेंट का आरक्षण दिया। उन्होंने आर्टिकल 341 और 342 में एससी/एसटी को 15 परसेंट व 7.5 परसेंट का आरक्षण देने की बात कही। वर्ष 1952 में

सरकार बनी और बाबा साहब ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण दिलाने की व्यवस्था कर दी । जब उन्होंने पिछड़ों की बात कही तो कांग्रेस ने काका कालेलकर कमीशन बनाने का काम किया। उसने आरक्षण देने की बात नहीं की। उनको जो 27 परसेंट आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने काका कालेलकर कमीशन बनाने का काम किया। उसके बाद मंडल कमीशन बनाने का काम किया गया। वर्ष 1989 में इस देश का नौवीं लोक सभा का चुनाव हुआ। जिस जनपद से मैं चुनकर आया हूं, उसी जनपद से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी नौवीं लोक सभा में चुन कर आई। जब वह नौवीं लोक सभा में चुन कर आई, उस वक्त वी.पी. सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन उनके पास तीन वोटों की कमी पड़ रही थी। उनके पास तीन सांसदों की कमी थी।

उस वक्त आदरणीय वी.पी. सिंह जी बहन कुमारी मायावती जी मिले थे। उन्होंने कहा कि आप हमें तीन वोटों के समर्थन के लिए पत्र दे दें तो मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। उन्होंने कहा कि इसके बदले कोई मंत्री पद ले लीजिए। उस समय मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरी तीन बातें मानेंगे तो मैं आपको समर्थन पत्र दे दूंगा। यह बड़ी खेद की बात है कि इस देश के अंदर कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक शासन किया और उसने नाचने वालों को, गाने वालों को, खेलने वालों को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने का काम किया, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस देश का संविधान लिखा, उसे भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। मैं आपको समर्थन दे दूंगा, लेकिन आपको सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना पड़ेगा। वी.पी. सिंह जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी शर्त को मानता हूं। उस वक्त मान्यवर कांशी राम साहब ने यह भी कहा कि हमारी दो-तीन मांगें हैं। यह देश धर्मनिरपेक्ष देश के नाम से जाना जाता है, इस देश में सबको बराबरी का अधिकार है, संविधान के तहत सबको बराबरी का हक है। यह देश सभी धर्मों का सम्मान करता है। इसलिए किसी भी धर्म को यह इजाजत नहीं कि कोई व्यक्ति दूसरे धर्म का शोषण इस देश के अंदर करने का काम करे। माननीय कांशीराम साहब ने तीसरी मांग में कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट इस देश में अभी तक लागू नहीं हुई है। परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर साहब ने संविधान में 27 पर्सेंट का आरक्षण पिछड़े समाज के लोगों को दिया है। मैं चाहता हूं कि देश के अंदर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो । पिछड़े समाज को आर्टिकल 340 में यह व्यवस्था दी थी कि 27 पर्सेंट, चाहे वह नौकरी में हो, चाहे राजनीति में हो, उनको हक और अधिकार मिले। वी.पी. सिंह जी ने उस वक्त हां कर दी। वे प्रधान मंत्री बन गये। परम पूज्य बाबा अंबेडकर साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित कर दिया। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की बात आई तो वी.पी. सिंह जी भी हीलाहवाली करने लगे। उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया।

माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि अगर आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं करेंगे तो मैं बोट क्लब पर धरना दूंगा। उन्होंने बोट क्लब पर धरना दिया और वी.पी. सिंह जी से कहा कि देश हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। यह नारा मान्यवर श्री कांशीराम साहब ने देने का काम किया। उन्होंने वी.पी. सिंह जी की सरकार में कहा था कि हम वोट से लेंगे पीएम और सीएम और आरक्षण से लेंगे एसपी, डीएम। उन्होंने यह नारा दिया। मान्यवर कांशीराम साहब का बोट क्लब हाउस में 6 महीने तक धरना चला। उन्होंने वी. पी. सिंह जी से कहा कि अगर आपने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की तो मैं आपकी सरकार को गिरा दूंगा। रात को 12 बजे, उस वक्त देवीलाल जी देश के उपप्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनसे मान्यवर कांशीराम साहब मिले और कहा कि आप चिंता न करें। आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट की मेरी वकालत करो, मैं आपको देश का अगला प्रधान मंत्री देखना चाहता हूं। वे मान्यवर कांशीराम साहब की तरफ देखकर हंसे। वे बोले कि तुम्हारे पास तीन तो सांसद हैं, तुम देश का प्रधानमंत्री कैसे बना दोगे? वे बोले कि मैं ऐसे बना दूंगा कि मैं साढ़े 22 पर्सेंट खुद बैठा हुआ और पिछड़ों के आरक्षण को लागू करने के लिए 54 पर्सेंट की वकालत कर रहा हूं। इतने लोग आपको वोट देंगे, तो आपको देश का प्रधान मंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। जब यह बात वी.पी. सिंह को पता चली तो रात में 12 बजे माननीय प्रधान मंत्री ने अपनी कैबिनेट को बुलाया और इस देश के अंदर 27 पर्सेंट का आरक्षण देकर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का काम किया। आज पिछड़े समाज के लोगों को 27 पर्सेंट का आरक्षण है। चाहे वे हिंदू हों या मुस्लिम भाई हों, 27 पर्सेंट के आरक्षण की बदौदत नौकरी पा रहे हैं। वे आज नगर निगम, नगरपालिका, जिला पंचायत, अध्यक्ष जिला पंचायत में चुनाव जीतकर जा रहे हैं, यह किसी और की बदौलत नहीं है, परम पूज्य बाबा अंबेडकर साहब के आर्टिकल 340 के 27 पर्सेंट आरक्षण की बदौलत जीतकर जा रहे हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि आज 75 साल इस देश की आजादी को हो गए हैं, लेकिन बाबा साहब ने संविधान में दलितों को जो व्यवस्था दी थी, वे अभी भी अपने अधिकारों से वंचित हैं। मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना चाहता हूं कि राजस्थान में दलित समाज का युवक मूंछ रखने को तड़पता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। मध्य प्रदेश में दलित के ऊपर पेशाब करने की घटना घटित होती है। पूरे देश में दलितों के ऊपर शोषण हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि यह देश तरक्की करे तो आप दलितों के शोषण को रोकने का काम करो। दलितों को उनकी बराबरी के अधिकार में लाओ, दलितों की लड़ाई को अपनी लड़ाई की तरह लड़ो। वे भी आपके अपने परिवार के हैं। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 75 साल में आज हम लोग संकल्प लें कि जब नये संसद भवन में प्रवेश करें, लोकतंत्र के इस पुराने मंदिर से नये मंदिर में जाएं, तो वहां पर सरकार की

सोच बदलें। पूरे देश में दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, वह अत्याचार बंद हो और हर दलित को न्याय मिले। मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस डिबेट पर बोलने का मौका दिया। 75 सालों का इतिहास सुबह से हम लोग सुन रहे हैं। अच्छी बातें भी हैं, मीठी भी हैं, खट्टी भी हैं, सभी कुछ है। हमने प्रधान मंत्री जी का पहली बार सकारात्मक भाषण भी सुना। पहली बार हमने देश के एक बहुत बड़े राजनीतिक इंसान जवाहर लाल नेहरू जी की तारीफ इस दल से पहली बार सुनी। वह फ्रीडम फाइटर जो नौ सालों तक जेल में रहे और उन्होंने देश को उस वक्त संभाला था, जब हमारे देश में गाड़ियों में लकड़ी के पहिए चला करते थे। पहले साइंस और टेक्नोलॉजी में कहीं नहीं थे, हम धीरे-धीरे आगे बढ़े। आज हम उस दौर में आ गए, जहां सॉफिस्टिकेटेड गाड़ियां हैं और हर तरह की सुविधाएं मय़स्सर हैं, हमारी तरक्की होती चली गई।

मैं जब पहली बार सदन में आया, मैं पहली बार का सांसद हूं, मैंने सदन की शेप देखी तो मुझे बापू का रंग-बिरंगा गुलदस्ता याद आ गया, जहां हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर भाषा बोलने वाले लोग, हर रंग के लोग मौजूद थे। उसी गुलदस्ते की खूबसूरती मैंने इस पार्लियामेंट में देखी। हमने वह दौर भी देखा जब जवाहर लाल नेहरू जी के बाद मिसेज इंदिरा गांधी जी तशरीफ लायीं। इंदिरा गांधी के जमाने में हमने एटॉमिक ब्लास्ट किया था, हम एटॉमिक पॉवर बने थे। वह पल हमारे लिए भी स्मरणीय है, गौरवशाली है।

इसी तरह से हमारे देश ने हमेशा से इंसानियत की खिदमत की है। वर्ष 1971 में जब पड़ोसी देश ईस्ट पाकिस्तान में इंसानियत पर जुल्म हो रहे थे तो हमारी प्रधानमंत्री जी ने अपनी फौजें उतार दीं और उस मुल्क को आफतों और जुल्म से बचा लिया था। ये तमाम बातें हमारे देश में होती चली आईं।

हमने बहुत सी चीजें नकारात्मक भी देखी हैं। सत्रहवीं लोक सभा में हमारे एक साथी जो हमारे साथ थे, जो देश के नेता हैं, उनको ऐसे-ऐसे चार्जेज में फंसाया गया, उनका नाम आजम खान साहब है। वह हमारे कुलीग थे, कहीं मुर्गी चोर, कभी बकरी चोर, कभी भैंस चोर, पता नहीं उनके ऊपर क्या-क्या इलजाम लगाए गए और आज भी उनको टार्चर किया जा रहा है। उस नेशनल लीडर के साथ यह सब कुछ हुआ। जब हमने अपने संरक्षक से शिकायत की तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने अध्यक्ष जी को भी बहुत असहाय पाया। हमने प्रधानमंत्री जी से मिलने की कोशिश की, लेकिन हमें टाइम नहीं मिला।

प्रजातंत्र में ये परंपराएं हमारी समझ में नहीं आतीं कि प्रजातंत्र इस तरह से आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। सत्रहवीं लोक सभा में कुछ ऐसे बिल पास हुए, सीएए आ गया, तीन तलाक का बिल आया, आर्टिकल 370 हटाया गया, इस

सबसे हिन्दुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी की दिल-आसारी हुई। इसका संदेश देश के अंदर क्या गया? संदेश यह गया कि किसी को हिजाब से परेशानी होने लगी, किसी को नमाज से परेशानी होने लगी, किसी को मजिस्द से परेशानी होने लगी, किसी को मदरसे से परेशानी होने लगी। क्या यह वही बापू का देश है जहां पर हम सब प्यार-मोहब्बत से रहते थे। मंदिरों के तहखाने में एक तरफ नमाज पढ़ते थे और एक तरफ पूजा करते थे। हमने इस तरह से देश को आजाद कराया, जहां एक थाली में खाना खाते थे। आज हम किस जगह पर आ गए हैं? यहां मंदिर न हो, यहां मस्जिद न हो, यहां अज़ान न हो, यहां नमाज न हो। क्या पैदा करने वाला मेरा कोई और है और आपका कोई और है? क्या पालनहार अलग-अलग हो गए हैं?

यह राजनीति बहुत खतरनाक दौर से गुजर रही है। देश के लिए बहुत खतरनाक है। अगर आज हमने नहीं समझा तो आने वाला भविष्य हमारा अंधकारमय है। हमें प्यार-मोहब्बत से आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने कानून पास किए। अब हम इस सदन से दूसरे संसद भवन में जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा प्यार-मोहब्बत, साम्प्रदायिक सौहार्द, सर्व धर्म समभाव बना रहे और हम वसुधैव कुटुम्बकम के फंडामेंटल पर आगे बढ़ें। तभी हम दुनिया में महाशक्ति बन सकते हैं। हम नई पार्लियामेंट के अंदर विमेन रिजर्वेशन बिल लाना चाहिए। समाजवादी पार्टी उसकी पक्षधर है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम के लिए अलग से रिजर्वेशन हो। ये रिजर्वेशन पार्टियों के ऊपर लागू हो, इलेक्शन कमीशन के ऊपर लागू नहीं होना चाहिए, पार्टियां अपने हिसाब से टिकट दें। कहीं ऐसा न हो कि जहां बड़े-बड़े नेता चुनाव में खड़े होते हैं और इलेक्शन कमीशन उनसे नाराज है तो उस सीट को महिला सीट डिक्लेयर कर दे।

हम चाहते हैं कि नई पार्लियामेंट में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को और स्ट्रेन्देन किया जाए ताकि एक साम्प्रदायिक सौहार्द बने। लोग देश में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मौका खोज रहे हैं। अगर आप प्लेस ऑफ वर्शिप को स्ट्रेन्देन करेंगे तो हम प्यार मोहब्बत से, एकता से और गंगा-यमुनी तहजीब से अपनी नस्लों को ये तहजीब देकर चले जाएंगे। कहीं वह हालात पैदा न हो जाएं, आप यकीन मानिए वरना हमारी नस्लें हमें कभी याद नहीं करेंगी। आज देश की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों की है, जो बहुत फिक्रमंद हैं, बहुत परेशान हैं कि हमारी नस्लों का आगे क्या होगा? हमें कहां इंसाफ मिलेगा? क्या हमारी बात सुनने वाला कोई होगा? हालांकि मैंने इस संसद में देखा है, मैं ट्रेजरी बेंचिस वालों को धन्यवाद देता हूं कि जब भी हमने लोगों की किसी समस्या की बात कही तो इन्होंने हमारी मदद की, जब भी हमने कोई क्वेरी की तो हमारी मदद की। हमारे मतभेद जरूर हैं, हम संसद के अंदर हैं या बाहर हैं, हम सब एक हैं।

महोदय, जी-20 सम्मेलन हुआ, हमें खुशी है कि देश का नाम आगे बढ़ा। इस तरह के आयोजन पहले भी हुए हैं और होते रहने चाहिए। हमें जी-20 से किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। यहां नॉन-एलाइन मूवमेंट का भी बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश का फंडामेंटल ?सर्व धर्म सम्भाव? है, वसुधैव कुटुम्बकम है, अगर हमने इसे नहीं बचाया तो हम देश को नहीं बचा पाएंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): माननीय सभापति जी, पिछले सात दशकों का जो संसदीय सफर रहा है, उसके ऊपर सदन में चर्चा हो रही है, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे उसमें भाग लेने का मौका दिया।

महोदय, 9 दिसंबर, 1946 को पहली बार भारत की संवैधानिक सभा की बैठक सैंट्रल हाल में हुई थी, लेकिन उसका परिप्रेक्ष्य था। अगस्त, 1945 में दूसरे महायुद्ध की समाप्ति हुई थी और पहली बार परमाणु शक्ति का उपयोग किया गया था। वर्ष 1939 से 1946 तक लाखों लोग पूरी दुनिया में मारे गए थे। उस परिप्रेक्ष्य में भारत की आजादी का संग्राम चल रहा था और संविधान सभा की बैठक हुई थी। यह वह संघर्ष था जिसने उस संवैधानिक सभा को जन्म दिया लेकिन यह 90 साल पहले शुरू हो चुका था। वर्ष 1857 में आजादी की पहली लड़ाई हुई और उसके बाद अंग्रेजी साम्राज्यवादों ने तय किया और भारत की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथ में ले ली, तब एक संघर्ष का दौर शुरू हुआ। वर्ष 1885 से भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है, वह लगभग कांग्रेस पार्टी के इतिहास के समानांतर चला।

महोदय, वर्ष 1920 में निर्णायक मोड़ आया जब पहला महायुद्ध समाप्त हुआ। वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए और उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसके बाद वर्ष 1930 में ?सिविल डिसओबिडिएंट? मूवमेंट हुआ। वर्ष 1942 में ?भारत छोड़ो? आंदोलन हुआ। लाखों भारतीयों ने अपनी कुर्बानियां दी थीं और इस संग्राम का नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। एक लंबे संघर्ष के बाद मुल्क 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुआ। उस आजादी के साथ एक आपदा भी आई कि धर्म के नाम पर इस देश का विभाजन हुआ। 14 अगस्त, 1947 को संविधान सभा दोबारा इसी सैंट्रल हाल में मिली, जहां पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने भाषण दिया था ? Tryst with Destiny. तब भारत के संविधान निर्माता ने यह बात तय की कि एक धर्म के आधार पर विभाजन के बावजूद जिस भारत का वह निर्माण करेंगे, उस भारत में चाहे कोई किसी मज़हब से, चाहे किसी जाति से, चाहे किसी सम्प्रदाय से, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबको बराबरी का दर्जा दिया जाएगा।

वह जो मूल भावना थी, उस मूल भावना को उन्होंने भारत के संविधान में पिरोया। शायद जो शब्द पंथनिरपेक्ष, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सन् 1976 में भारत के संविधान में जोड़ा गया, उसका जो उसका मूलभूत ख्याल था,

जब उस संविधान को ढाला गया, जब कांस्टीट्यूशनल डिजाइन किया गया, तो उस डिजाइन में उस ख्याल को बहुत केंद्रीय तरीके से इनकॉरपोरेट किया गया। जब हम संविधान की चर्चा करते हैं, तो बहुत-सी धाराओं की चर्चा करते हैं, पर कई धाराएं ऐसी हैं, जिन्होंने मूलभूत रूप से इस मुल्क का सुधार किया और एक बुनियाद रखी। मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में धारा-17 को शामिल किया और उन्होंने कहा कि जो सदियों से चली आ रही छुआछूत की कुरीति है, इसे संवैधानिक तौर से हम समाप्त करेंगे। उन्होंने धारा-18 को शामिल किया। धारा-18 ने कहा कि राजा-महाराजाओं की परंपरा को हम समाप्त करते हैं। धारा-23 को उसमें इनकॉरपोरेट किया, जिसने कहा कि जो बेगार हैं, जो लोगों से जबरदस्ती काम कराया जाता है, उस बेगार को हम समाप्त करते हैं। मैं इन धाराओं का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि जो सामाजिक असामानता है, जो आज भी हमारे मुल्क की सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे पहले अगर किसी ने संवैधानिक तौर पर उसे समाप्त करने की कोशिश की, तो वे भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर, पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा अनेकों वे लोग थे, जिन्होंने संविधान सभा में बैठकर अपने विवेक से ऐसे संविधान की संरचना की, जिसने सबको बराबरी का दर्जा देने की कोशिश की। उसके बाद वर्ष 1955 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट इस सदन ने बनाया। उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 में हुआ, ताकि सबको बैंकों का फायदा मिल सके। वर्ष 1971 में राजा-महाराजाओं की बची-खुची संपत्ति, प्रिवीपर्सेज को समाप्त किया गया। उसके बाद इस सदन ने मरहूम स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया, जो यह था कि भारत के युवाओं पर उन्होंने भरोसा किया और मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की, जो शायद सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम था। वर्ष 1993 और 1994 में हमारी संसदीय प्रणाली को और ब्रॉड बेस बनाने के लिए पंचायती राज से जुड़े हुए प्रावधान भारत के संविधान में जोड़े गए। जहां पहले एक समय भारत का जो लोकतंत्र था, जिसमें 543 सदस्य लोक सभा में बैठते थे तथा 250 सदस्य राज्य सभा में बैठते थे तथा जो विधानसभा और विधान परिषद् में चुनकर आते थे, उन तक सीमित रह जाता था, संवैधानिक तौर पर यह सुनिश्चित किया गया कि हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसमें लाखों-लाख लोग चुनकर आएं और उससे भारत का लोकतंत्र मजबूत किया गया।

वर्ष 2005 में आरटीआई का कानून, वर्ष 2006 में मनरेगा का कानून, वर्ष 2009 में नि:शुल्क शिक्षा का कानून, वर्ष 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट, ऐसे कई क्रांतिकारी कदम इस सदन में उठाए गए और मुझे यह कहने में गर्व है कि इन सब क्रांतिकारी कदमों को आमतौर पर सर्वसम्मति से इस सदन ने पारित किया। यह भारत के लोकतंत्र की सही क्षमता और शक्ति को दर्शाता है। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले दो-तीन बातों का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। सुप्रिया सुले जी ने भी उन बातों का जिक्र किया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वर्ष 1952 से लेकर वर्ष 1971 तक

भारत की संसद लगभग 120 से लेकर 130 दिन एक साल में मिला करती थी। वर्ष 1971 से लेकर जो समय है, वह कम होता गया और यह घटकर वर्ष 2014 तक लगभग 80 से 85 दिन तक रह गया। वर्ष 2014 के बाद वह और घटकर 45 से 50 दिन तक रह गया।

मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसे इस सदन में कानून पारित किया गया था कि किसी भी मंत्रिमंडल में दस प्रतिशत से ज्यादा लोग मंत्री नहीं बनेंगे, उसी प्रकार हमें एक कानून पारित करना चाहिए कि भारत की संसद लगभग 120 से 130 दिन हर वर्ष मिलेगी और यह अधिक जरूरी है हमारी विधान सभाओं के लिए। कई विधान सभाएं ऐसी हैं, जो साल में एक हफ्ते के लिए मिलती हैं। यह किस तरह का लोकतंत्र है? इसलिए, यह प्रावधान करना जरूरी है कि जो बड़े राज्य हैं, उनकी विधान सभाएं 100 दिन तक मिले और जो छोटे राज्य हैं, उनकी विधान सभाएं 75 दिन तक मिले। इसके साथ-साथ सर्वसम्मति से सदन में एक कानून पारित हुआ था, जिसको हम टेंथ शेड्यूल कहते हैं, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है। शायद समय आ गया है कि उस एंटी डिफेक्शन लॉ को भी हम दोबारा से अपने संज्ञान में लें, क्योंकि उसका जो मूलभूत उद्देश्य था, वह उसको पूरा करने में असफल रहा है। पिछले कुछ वर्षों की जो घटनाएं हैं, वे उसको बहुत साफ तौर पर प्रमाणित करती हैं। लेकिन, जो हमारी संसदीय प्रणाली में लोकतंत्र है, उसके ऊपर उसका बहुत नकारात्मक असर पड़ा है।

आखिर में, मैं यही कहूंगा कि सदन में जो सत्तारूढ़ दल है, उसका अपना एक स्थान है। यह सदन, सत्तारूढ़ दल जो विधेयक लेकर आता है, उसको पारित करने के लिए बना है। लेकिन, इसके साथ-साथ इस सदन में विपक्ष का भी एक स्थान है। जो विपक्ष के मुद्दे हैं, जो इस देश के मुद्दे हैं, जो भी सत्तापक्ष में बैठा हो, हम भी वहां बैठते थे, आज ये बैठते हैं, कल घटनाक्रम क्या रहेगा, कभी-कभी उनके अनुकूल नहीं होते। लेकिन, हमारी संसदीय प्रणाली तब मजबूत होगी, जब सत्तारूढ़ दल के लिए भी चीजें अन-कंफर्टेबल हों। उसके ऊपर भी इस सदन में पूरी तरह से चर्चा होनी चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सितम्बर, 2020 से इस सदन में चीन के ऊपर एक बार भी चर्चा नहीं हुई, जो हमारे सामने राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है।

महोदय, आखिर में, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। यह सब 70 सालों में संभव इसलिए हो पाया, क्योंकि जो संविधान के उसूल थे, जो संविधान की बुनियाद थी, और जो उसकी मूल भावना थी, उसके प्रति हम पूरी तरह से समर्पित रहे और जो संविधान निर्माताओं का ख्याल था, हमने उसके ऊपर पूरी तरह से खरे उतरने की कोशिश की है।

मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि इस देश में यह बहस बंद होनी चाहिए कि भारत का जो संविधान है, उसकी जगह हम कोई और संविधान लेकर आएंगे। इस चर्चा से भारत नकारात्मक रास्ते पर चलता है और भारत का जो लोकतंत्र है, वह कमजोर होता है।

मैं एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE (HOOGHLY): Thank you, Sir. I am greatly honoured that you have allowed me to put my views on the auspicious occasion of 75 years of journey of our great Parliament.

?वन्दे नितरां भारतवसुधाम्,

दिव्य हिमालय-गंगा-यमुना-सरयू-कृष्णशोभितसरसाम्"

देव भूमि हिमालय, गंगा, यमुना, सरयू, कृष्णा और कई नदियों के साथ चमकने वाली भारत की भूमि को मेरा नमन।

सभापति महोदय, 75 वर्ष के समय काल में संविधान सभा के गठन से आज तक भारत निरंतर विकास के नये आयामों को छू रहा है। Days after Bharat overwhelmed the world by landing Vikram on the unexplored south pole of the moon, an achievement Modiji monitored every moment, a big shining diamond was added to the crown of Bharat Mata when Bharat hosted G20 Summit. जी-20 के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश के 60 शहरों में 200 से ज्यादा सफल बैठकें हुई हैं, जो अपने आपमें इतिहास बन गया।

सभापति जी, कभी इस देश की सत्ता पर बैठे लोग केवल एक परिवार की बात करते थे, परंतु आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ?वसुधैव कुटुम्बकम्?, जो सनातन धर्म का मूल संस्कार तथा विचारधारा है, उसका संदेश संपूर्ण विश्व को दे रहा है।

Modiji said and I quote: ?India?s successful Moon mission is not India?s alone. Our approach of ?One Earth, One Family, One Future? is resonating across the globe.? We must know that Bharat is the first nation that has reached the South Pole as no other country was able to reach there. The able and effective leadership of our Prime Minister and this Government could make it possible.

Atul Prasad Sen had written:

?Bharat abar jagat sabhai sreshtho asono lobe?

It means, Bharat will once again reclaim her seat in the world Stage.

?*Bharatbarsho surjer ek naam; amra royechi sei surjer deshe?*

आज उसी सूर्य पर भारत ?आदित्य एल-वन? लॉन्च कर सूर्य का अध्ययन कर रहा है। बहुत दुख की बात है कि जो विपक्ष के लोग हैं, वे उसको लेकर भी राजनीति करते हैं। मैं बस उनसे इतना कहूंगी कि आपके पड़ोसी मुल्क इसलिए खुश हैं कि उनके झंडे पर चांद है। आप लोग इस बात पर गर्व कीजिए कि आज हमारा तिरंगा चांद पर है। अब विश्व के जो भी देश भारत आएंगे, वे संपेरे का खेल नहीं देखेंगे, बल्कि स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत के बढ़ते हुए कद को देखेंगे।

Following Bharat?s Independence from the British rule in 1947, its members served as the nation's first Parliament, as the 'Provisional Parliament of Bharat'. The Assembly met for the first time in New Delhi on 9th December 1946, and its last session was held on 24th January 1950. The first task of this Assembly was to free India through a new constitution, to feed the starving people, and to clothe the naked masses, and to give every Indian the fullest opportunity to develop himself according to his capacity. This was certainly a great, great task. आज हम यहां बैठे हैं। एक दिन हमारे पूर्व नेताओं ने यहां बैठकर देश के संविधान का निर्माण किया था। मैं उनको नमन करती हूं।

सभापति जी, आज़ादी के बाद से अच्छे-बुरे, हर प्रकार के कालखंड को इस देश के लोगों ने देखा है। परंतु हमारा लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास सदैव अटल रहा है। किसी ने कहा है कि ?मुश्किलों से कह दो उलझा न करें हमसे, हर हालत में जीने का हुनर आता है हमें। ? सन् 1952 में हुई लोक सभा की बैठक में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इसी सदन में यह कह दिया था कि ?I will crush the Jana Sangh.? उसका जवाब देते हुए हमारे आदर्श डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि ?I will crush this crushing mentality.?

किसी भी लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम एक लंबे कालखंड तक विपक्ष में रहे हैं। हमने तो वह समय भी देखा है, जब हमारे मात्र दो सदस्य होते थे और सत्ता पक्ष के लोग ?हम दो, हमारे दो? बोलकर मजाक उड़ाते थे। तब अटल जी ने कहा था कि अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। आज वह भविष्यवाणी सच होती जा रही है। इस देश की 140 करोड़ जनता ने हमें लोकतंत्र के इस मंदिर में लगातार दो बार बहुमत देकर भेजा है।

सभापति जी, हमने संसदीय यात्रा में एक समय वह भी देखा है, जहां सन् 1962 का युद्ध हारने के बाद नेहरू जी की शांति नीति के विरोध में उनके द्वारा नामित सांसद और प्रसिद्ध कवि दिनकर जी ने संसद में अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था कि ?

?रे, रोक युधिष्ठिर को न यहां,
जाने दे उनको स्वर्ग धीर,
पर, फिरा हमें गाण्डीव-गदा,
लौटा दे अर्जुन-भीम वीर।
कह दे शंकर से, आज करें,
वे प्रलय-नृत्य फिर एक बार,
सारे भारत में गूंज उठे,

हर-हर-बम-बम का फिर महोच्चार। ?

आज जो विपक्ष लोकतंत्र पर बड़े-बड़े भाषण देता है, वह विपक्ष इमरजेन्सी पर क्यों मौन है? जिस विपक्ष के युवराज आज विदेश में जाकर भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, ऐसा भाषण देते हैं, आज मैं उनको याद दिलाना चाहती हूं कि उनकी दादी अपनी सत्ता बचाने के लिए इस देश में इमरजेन्सी लेकर आई थीं। सन् 1975 में एक व्यक्ति की सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास किया गया।

अटल जी, लालकृष्ण आडवाणी जी, जय प्रकाश नारायण जी, मुरली मनोहर जोशी जैसे विपक्ष के नेताओं और समाज के प्रमुख लोगों को जेल जाना पड़ा। यहां तक इस सदन में अधिकारों को भी समाप्त कर दिया था और मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, परंतु उन लोगों को शायद इतिहास समझ में कम आता था कि ये तानाशाही यहां पर स्वीकार नहीं होगी। यह देश लोकतांत्रिक मूल्यों का जीता जागता उदाहरण है। अंतत: परिणाम आपके और हमारे सामने है। कबीर का एक दोहा है, जो शायद वर्तमान में विपक्ष पर सटीक बैठता है।

बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोय,

जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय।

सभापति जी, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि वर्ष 1986 में प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को केवल राजनीति के कारण इस सदन के माध्यम से पलट दिया था और मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया था। वे भूल गए थे कि the Parliament has always made efforts to promote Nari Shakti and also for the upliftment of poor and weaker sections of the society. इसी सदन में जब प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी आए तो उन्होंने तीन तलाक को समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को आत्मसम्मान से जीने का मौका दिया है। कांग्रेस सरकार द्वारा कश्मीर में अनुच्छेद 370 लगाकर उसे विकास की मुख्य धारा से अलग करने का प्रयास किया, परंतु हमने हमेशा कहा था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है, वह सारा का सारा है। आज अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। This House has also been the witness of many historical debates ranging from the debate on Midnight Freedom to the debate on Citizenship Amendment Act. The CAA was passed to provide Indian citizenship to the illegal migrants who entered India on or before 31st December, 2014. इसी सदन में 73वें और 74वें संविधान संशोधन में महिलाओं को पंचायत में 33 परसेंट का आरक्षण दिया है और इसी सदन में परमाणु परीक्षण और वैश्विक नीतियों पर भी चर्चा करते हैं।

This House passed the 124th Constitution Amendment Bill, 2019, providing for people from Economically Weaker Sections to avail 10 per cent reservation in Government jobs and educational institutions. This Parliament approved the Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2019, which gives powers to the Centre and States to declare any individual as terrorist and confiscate his property. This Act is definitely a correct procedure to make my country more secure.

I must also acknowledge that since last 75 years, this auspicious House had passed many Acts which have shaped our country. These include Right to Education Act, Right to Information Act, Information Technology Act, Panchayat Raj Act, etc. इसके अलावा ?वन नेशन, वन राशन कार्ड? लाए, 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन दिया तथा इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर की इन्हीं 75 सालों में

घोषणा हुई है। जब प्रधान मंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी ने नेता प्रतिपक्ष अटल जी को पाकिस्तान के मंसूबे पर पानी फेरने के लिए जेनेवा भेजा था तो अटल जी राजी हो गए थे, क्योंकि उस समय राजनीति नहीं, देश जरूरी था। उस समय कांग्रेस ने बोला था कि यह राव साहब की चाल है, लेकिन वाजपेयी जी ने कहा था कि देश हमारी प्राथमिकता है, राजनीति नहीं। अटल जी जेनेवा गए और देश को जिताकर लेकर आए।

सर, हमारे लिए सबसे पहले देश है, लेकिन कुछ लोगों के लिए देश से बढ़कर एक परिवार है। इसी सदन में देखा है कि कैसे वर्ष 1971 में पाक से युद्ध के दौरान वैचारिक मतभेद होते हुए भी जब राष्ट्र की बात आई तो हमारे तत्कालीन वरिष्ठ नेता विपक्ष अटल जी ने इंदिरा जी की सरकार का समर्थन किया था। आज का यह विपक्ष समर्थन तो दूर की बात है, सेना के ऊपर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। However, this House also witnessed the fall of Vajpayee Government by only one vote. A BJP Prime Minister was ousted by a single vote of a Congress Chief Minister. It was one of the most unfortunate incidents in the history of Indian Parliament. सुषमा स्वराज जी ने एक बार सदन में कहा था कि इस सदन में सत्ता का स्थानांतरण कभी भी गोली और बम से नहीं होगा, लेकिन आज बंगाल में लोकतंत्र के नाम पर हिंसा हो रही है, लोग मर रहे हैं।

Sir, I represent the State of West Bengal, from where *Kaviguru* Rabindranath Tagore came, where Netaji Subhash Chandra Bose flourished, where Swami Vivekanand was born, and where Ishwar Chandra Vidyasagar served. My State was the epicentre of democratic norms and values. हमारे वेस्ट बंगाल से बहुत सारे सीनियर जनप्रतिनिधियों ने इन 75 सालों में यहां पर प्रतिनिधित्व किया, जिनमें डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्री एनसी चटर्जी, श्री हीरेन मुखर्जी, श्री प्रणब मुखर्जी, श्री ज्योतिर्मय बसु, श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री इन्द्रजीत गुप्ता, प्रियरंजन दासमुंशी, गनीखान चौधरी, तपन सिकदर आदि प्रमुख हैं।

When I speak of crisis, one cannot ignore the crisis the Bharat and the world continues to face. The recent sacrifice of our best soldiers at Anatnag is a reminder that our enemies are still not ready to backtrack despite the losses they suffered when Modi ji gave an effective reply to the 2019 Pulwama attack. No Congress Government had ever dared to send soldiers across the LoC to destroy terrorist camps on Pakistan soil but Modi ji ने पाकिस्तान को जवाब दिया तो एविडेंस मांगने लगे। सर, ये तो वो लोग हैं, जिन्होंने वैक्सीन पर भी पॉलिटिक्स की थी।

सर, कल प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस था। मैं उनको शुभकामना देती हूं और उनके नेतृत्व में भारत आज विश्व की पांचवीं इकोनॉमी बन गया है। आज भारत पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि जीरो टॉलरेंस- न खाऊंगा, न खाने दूंगा। लेकिन सब लोग इसको लेकर नाराज है, क्योंकि बंगाली में एक कहावत है-

?Sob elomelo kore de Ma, lutey putey khai?

इसका मतलब है कि सब इधर-उधर कर दो, हम लूट के खाते हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली और वैभवशाली भारत का निर्माण हो रहा है। मुझे एक गाना याद आ रहा है-

Bharat amar Bharatbarsho, swadesh amar sapno go,

tomate amra loviya jonom, dhonnyo hoyechi, dhonnyo go,

kirit-o-dharani tushar shringe, sobju e sajano tomar desh,

tomar upoma tumi e to to Ma, tomar ruper nahiko sesh.

Sobolo, gahono tomosha sahosa neme ase jadi akasha tor,

hathey hath rekhe, mili ek sathe amra anibo notun bhor.

Shakti dayini dao Ma shokti, ghuchao dinota viru abesh,

adhar e janoni, voy ki Janani amra bachabo ei moha desh.

Rabindranath, Vivekananda, Veer Subhash er mohan Desh,

nahito vabna, kori na chinta, hridoy e nahiko voyer lesh.

Jai Hind. Vande Mataram.

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Thank you, hon. Chairperson, for giving this opportunity to speak in this House on the 75 year journey of this country. आज का दिन इस हाउस में आखिरी है। इस हाउस को छोड़कर हम लोग नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में जा रहे हैं।

इस देश को स्वतंत्रता मिले 75 वर्ष हो गए हैं और इस हाउस में कई बिल पास हुए हैं। उन बिल्स से विकास भी हुआ है और कुछ से तकलीफ भी हुई है। इधर के लोग उधर हो गए हैं और उधर के लोग इधर हो गए हैं, लेकिन देश तब भी आगे बढ़ रहा है। आज सुबह इस सदन में हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनने को मिली और हमने उसे ध्यान से सुना। वह इस देश को आने वाले समय के लिए एक वायदा देना चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर

नई बिल्डिंग में नये तरीके से कंट्री को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे। अगर हम लोग पिछली हिस्ट्री देखें तो संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिखा तो उस समय जवाहर लाल नेहरू और सरदार पटेल भी थे और उस संविधान की वजह से ही आज तक हमारा लोकतंत्र चल रहा है। लोकतंत्र के चलने का मंदिर यह जगह बन गयी है। इन 75 सालों में हमारे स्पीकर मावलंकर साहब से लेकर इस वक्त के स्पीकर श्री ओम बिरला जी तक 17 व्यक्तियों को यह अवसर मिला है। इसमें हमारे तेलुगु के तीन व्यक्तियों को स्पीकर बनने का अवसर मिला है। उनमें नीलम संजीव रेड्डी जी दो बार और बालयोगी जी इस सदन के स्पीकर रहे हैं। उसी तरह से हमारे देश में पिछले 15 प्रधानमंत्री में से श्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी हमारे तेलुगु लोगों के प्राइड हैं। तेलुगु के प्रधानमंत्री बनने के समय में कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब थी। उस समय श्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी देश में रिफॉर्म्स लेकर आए और उसी वजह से आज कंट्री आगे बढ़ रही है। उसी को बाकी लोग भी आगे लेकर जा रहे हैं। हमें कल न्यू पार्लियामेंट में जाना है तो हमारी यह डिमांड थी कि राष्ट्र निर्माता डॉ. अम्बेडकर जी के उस टाइम में कंट्री की डेमोक्रेसी में भिन्न जाति व भिन्न मत की भागीदारी थी, 75 सालों तक चलने के बाद अब हम नई बिल्डिंग में जा रहे हैं, तो उस बिल्डिंग का नाम हमने डॉ. अम्बेडकर जी के नाम पर रखने की मांग की थी। तेलंगाना बनने के बाद हमने डॉ. अम्बेडकर जी का इंडिया में पहला 125 फीट का स्टैच्यू लगाया था। नई पार्लियामेंट का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम पर रखा जाएगा तो अच्छा रहेगा। यही हमारी मांग है।

इसके साथ ही हम दलितों के बारे में बात कर रहे हैं। हम पहली बार तेलंगाना में दलित बंधु योजना के तहत दलित परिवारों को 10 लाख रुपये दे रहे हैं। हम दलित लोगों को 10 लाख रुपये दे रहे हैं। 75 सालों की हिस्ट्री देखें तो पहले 156 दिनों तक पार्लियामेंट चलती थी, लेकिन आज के दिन गिरते-गिरते यह आँकड़ा 56 डेज तक आ गया है। इसके बारे में आपको थोड़ा देखना चाहिए। इसी हाउस में फार्मर्स के कुछ बिल्स आए थे। फार्मर्स के बिल्स को पास भी किया गया और इसी हाउस में उन फार्मर्स के बिल्स को विद्ड्रा भी किया गया। यह सब लोगों की पावर की वजह से हुआ है। इसे भी हमें जानना चाहिए। आप इस हाउस की ब्यूटी को देखिए कि बीजेपी के दो लोग थे, बीजेपी के दो एमपी पूरे देश को पाल रहे हैं। वे दो नम्बर से लेकर 10 सालों से इस कंट्री को चला रहे हैं।

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude. बोलने के लिए बहुत मैम्बर्स हैं।

? (व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव: इसी तरह से तेलंगाना के हमारे नेता के.सी. आर साहब जब आए थे तो उस समय दो ही एमपी थे। दो एमपी होने के बाद भी इसी हाउस में फाइट करके इसी हाउस में हमारी तेलंगाना बनाने की जो डिमांड थी,

तेलंगाना की सब लोगों की इच्छा थी और सिर्फ दो एमपी होने के बाद भी हमने तेलंगाना को बना दिया था। इसी हाउस में वर्ष 2014 में ए.पी. रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का बिल पास हुआ और उसी की वजह से तेलंगाना बना। तेलंगाना के विषय में आज मॉर्निंग में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक बात बता दी थी, but creation of Telangana left bitter memories. ऐसा नहीं था। आज के दिन तेलंगाना देश में नम्बर वन है। तेलंगाना सब चीजों में नम्बर वन है। ? (व्यवधान) 24 आवर्स फ्री बिजली दे रहा है। तेलंगाना में पहली बार प्रति एकड़ 10 हजार रुपये के हिसाब से फार्मर्स को दिए गए हैं। उसी तरह से अगर हम पर कैपिटा इनकम देखें तो we are number one in India. पर कैपिटा पावर कंजम्प्शन देखें तो we are number one in India. दलित बंधु के लिए मैंने ऑलरेडी बोला है।

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude.

? (*Interruptions*)

श्री नामा नागेश्वर राव: इसी तरह से हम लोगों ने 33 डिस्ट्रिक्ट्स में 33 मेडिकल कॉलेज भी खोले हैं। इस तरह से तेलंगाना हर चीज में आगे बढ़ रहा है। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

? (व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव: सर, मैं आखिरी में यही बोलना चाहता हूँ कि विमेन्स रिजर्वेशन का बिल बहुत दिनों से पेंडिंग है। विमन्स रिजर्वेशन बिल को नई पार्लियामेंट में जरूर पास करना चाहिए। ? (व्यवधान) इसके साथ ही ओबीसी का रिजर्वेशन भी है। इन दोनों बिलों को नए पार्लियामेंट के पहले सेशन में लेना अच्छा रहेगा। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बैठ जाइए।

? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Kindly be seated.

? (*Interruptions*)

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Hon. Chairman, Sir, Parliament holds a key position in a democracy. It is, therefore, more than appropriate to sit up after 75 years of its journey, and trace the high and low points of this journey.

Sir, where there have been a number of achievements during the last 75 years and important significant steps in Indian democracy, there have been low points as well. As the House is aware, Jammu and Kashmir was not a part of the country on 15th August, 1947. It joined the Union of India, in peculiar circumstances, after two and a half months on 27th October, 1947. So, it is this august House that gave a special status to Jammu and Kashmir. It was a decision reached with consensus, without any dissent voice, without any amendment to the proposal, and without any kind of reservations.

Sir, Jammu and Kashmir with around 75 per cent of Muslim population and contiguity, as regards Mountbatten Plan of 3rd June, 1947, had to take a different direction and, as I said, in a particular background, it started its journey. Our party, though not a party to Jammu and Kashmir National Conference, though not a party to the Accession, all the same did favour it under the belief that it is better for the people of Jammu and Kashmir if they join a democratic country having belief in secularism and rule of law. This was one of the reasons that we favoured it.

Then, there was another reason that Lord Mountbatten while accepting the Accession had made a condition and said that in peculiar circumstances they will go for a referendum. The country in its complaint to the UN Security Council under Para-VI, also had made it clear that it would have the right to go for referendum. So, the Constituent Assembly thought it proper to put it in Para 21 of the Constitution. This was followed by this august House and it approved the Delhi Agreement of 1952 introduced by the then Prime Minister on July 24th, 1952. It was approved by the Parliament after thorough discussion, and the State of Jammu and Kashmir was given the right to have its own flag, own Constitution, and an elected Head of the State.

Sir, however, while Parliament did adhere to the pledges made to the people of Jammu and Kashmir, unfortunately, the low point was on 5th August, 2019 when the State was stripped off its special status without adherence to the Constitution, and without any respect for the Constitution. Surprisingly, this House without adhering to the letter and Spirit of the Constitution divided the State of Jammu and Kashmir into two Union Territories. This was unprecedented, and most undemocratic without the sanction of Article 3 and Article 1 of the Constitution. So, these are the events that map out or trace the course of this journey. We cannot lose sight of these events that in my opinion did not go in tune with the mandate of the Constitution.

Sir, that is how, way back on 15th January, 1948 this Article 370 was made a part of the Constitution. The Indian representatives in the United Nations Security Council had made it very clear that they were committed to have a referendum, and the people of the Jammu and Kashmir will have a right to join either of the two dominions, and if they feel it proper and decide, they would remain independent and seek membership of the United Nations. In that background, decisions taken on 5th August, 2019 were not only undemocratic, unilateral but were not in accordance with the Constitution. Now, it has been fair on the part of the Lieutenant Governor to admit that. *....(Interruptions)* Chairman, Sir, why are they interrupting me? Just allow me to speak. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude.

SHRI HASNAIN MASOODI: He has been fair enough to admit that it is yet to be integrated. Why? It is because the time has shown what events are taking place in Jammu and Kashmir. As we sit here in this House, a battle is going on in a suburb of my constituency; it is not happening in an interior area.

There have been 15 back-to-back conflicts or encounters since 1st January which have claimed lives of more than 50 security personnel, and the civilians. So, we have not achieved

anything by taking the decision on 5th August, 2019. So, this Parliament, this House, which had taken that decision, is under an obligation to go for an introspection.

HON. CHAIRPERSON: Thank you very much.

SHRI HASNAIN MASOODI: Sir, please give me two minutes.

HON. CHAIRPERSON: We have so many Members who want to speak.

SHRI HASNAIN MASOODI: Sir, please give me just two minutes.

Sir, I fully support the suggestions made by Madam Supriya ji and also Shri Manish Tewari. ? (*Interruptions*) I will conclude in two minutes.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude in one minute.

? (*Interruptions*)

SHRI HASNAIN MASOODI: Whatever is happening on ground demands a shift in approach and a shift to ? (*Interruptions*)

Secondly, of late, we have seen in this 17th Lok Sabha that the conventional tools of a parliamentarian, like Adjournment Motion. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

SHRI HASNAIN MASOODI: The tools that are universally recognised as tools of a parliamentarian have not been allowed to be made use of.

HON. CHAIPRERSON: Thank you very much.

Shri Chirag Kumar Paswan.

श्री चिराग कुमार पासवान (जमुई): सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

भारतीय संसद की 75 सालों की इस यात्रा पर तमाम सम्माननीय साथी अपने-अपने अनुभव, अपनी-अपनी यादें, अपनी-अपनी उपलब्धियों का जिक्र यहां पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक दिन कुछ घंटे इन 75 सालों की यात्रा को सम-अप करके बताने के लिए बहुत कम है। लेकिन मैं बधाई दूंगा कि आज जिस तरीके से हमारे प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने इतने कम समय में इतने खूबसूरत शब्दों के साथ इन 75 सालों की यात्रा के बारे में उन्होंने पूरा बखान किया। जहां उन्होंने हमारे देश के प्रधान मंत्रियों के योगदान से लेकर इस संसद को चलाने में छोटे से छोटे कर्मचारी के योगदान तक की सराहना की, उनको भी सम्मान देने का काम किया। उन्होंने हमारे मीडिया के साथियों का भी जिक्र किया।

सर, यकीनन कई ऐसी यादें इन 75 सालों में रही हैं। मैं सैकेंड टाइमर मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हूं। युवा सांसद हूं, कम्पेरेटिव्ली संभवत: मेरा अनुभव बाकियों से कुछ कम होगा। मेरा अपना भी 9 साल का अनुभव है। इन 9 सालों से ज्यादा मेरा अनुभव, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की वजह से रहा। बचपन से, जब से होश संभाला है, उनके माध्यम से इस संसद की कार्य प्रणाली को समझा, इस संसद की कार्य शैली को समझा। जब मैं पहली बार इस लोक सभा में आया तो उन्हीं का हाथ पकड़ कर आया।

आज जब हम लोग नई संसद में जा रहे हैं तो यकीनन कई ऐसी यादें कौंधती हैं और यकीनन एक भावुक क्षण है। यह महसूस होता है कि जिस जगह पर मुझे मेरे पिता लेकर आए थे, आज एक नई यात्रा की ओर हम लोग जा रहे हैं। प्रधान मंत्री जी ने उसको भी बहुत खूबसूरती से बताया कि यह हम जैसे, जो आज की तारीख में इस लोक सभा में मौजूद हैं, इस संसद में मौजूद हैं, राज्य सभा के भी सदस्य हैं, हम लोगों के लिए यह गर्व का लम्हा है। जहां एक तरफ हम लोग इतिहास के भी साक्षी रहे हैं और वहीं एक नई ऊर्जा के साथ भविष्य की भी ओर हम लोग जा रहे हैं तो इतिहास तथा भविष्य के बीच वह कड़ी बनने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है, जो यकीनन यहां पर मौजूद तमाम सांसदों के लिए एक गर्व की अनुभूति कराता है।

सर, आज जब हम यहां पर मौजूद हैं, यकीनन हर राजनीतिक दल के पास अपने-अपने एजेंडे हैं और एजेंडे हैं इसलिए वे राजनीतिक दल राजनीतिक दल हैं। हर किसी ने अपनी-अपनी बातों को रखा कि इस विशेष सत्र में यह चर्चा होनी चाहिए, वह चर्चा होनी चाहिए, ये मुद्दे आने चाहिए। सर, यकीनन मेरी भी पार्टी है। हम भी चाहते हैं कि कई विषय हैं, जिन पर चर्चा होनी चाहिए। मैं युवा हूं। हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं कि भारत में एक युवा कमीशन का गठन होना चाहिए। राष्ट्रीय युवा आयोग (नेशनल युवा कमीशन) का गठन किया जाना चाहिए, जहां पर युवा अपनी तमाम समस्याओं के साथ जाए और अपना समाधान लेकर आए। भारत एक युवा देश है। यहां पर अलग-अलग

आयोग बने हैं, महिला आयोग है, बाल आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है। ऐसे में देश में एक युवा आयोग के गठन का यह समय है और यह होना चाहिए। इसके साथ ही, विमेन रिज़र्वेशन बिल की भी चर्चा हो रही थी, हम लोग चाहते हैं कि विमेन रिज़र्वेशन बिल जल्द-से-जल्द आए। आज इतनी ज्यादा संख्या में महिला सांसद, जो यहाँ पर मौजूद हैं, वे सभी अपने सामर्थ्य पर जीतकर आई हैं। ऐसे में इनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन विमेन रिज़र्वेशन बिल आने से इनको जरूर और बल मिलेगा, और ताकत मिलेगी, हम लोग इसका भी समर्थन करते हैं।

16.00 hrs (Shri N.K. Premchandran *in the Chair*)

इसके साथ ही, लम्बे समय से इंडियन जुडिशियल सर्विसेज को लेकर हम लोगों की माँग रही है। हम लोग चाहते हैं कि एक जुडिशियल सर्विसेज का गठन हो ताकि समाज के वंचित वर्ग से आने वाले लोग उस स्थान पर पहुँचे, जहाँ से वे लोग न्याय दिलाने की प्रक्रिया का हिस्सा बन सकें ताकि उनके साथ अभी तक, रह-रहकर जो भेदभाव या अन्याय होता है, उसको दूर किया जा सके। इन तमाम विषयों को अलग-अलग मंचों पर हम लोगों ने रखा है। ऑल पार्टी मीटिंग होती है, वहाँ पर भी इसे रखा है। लेकिन हम लोग सिर्फ एंटिसिपेशन में रहते हैं कि क्या होगा, क्या होगा। इसलिए कहीं-न-कहीं हम लोग इस लम्हे की खूबसूरती को खो रहे हैं। आज मैं बस यही आग्रह करूँगा कि कौन-सा बिल आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन यह जो विशेष सत्र बुलाया गया है, यह इतिहास और भविष्य को जोड़ने वाली कड़ी को लेकर बुलाया गया है। यकीनन, हम लोगों का ध्यान उस तरफ भी केन्द्रित होना चाहिए ताकि इस लम्हे की खूबसूरती को हम न भूल जाएं। पूरा देश इस पर नज़र लगाए हुए देख रहा है कि कैसे हम लोग यहाँ से नयी संसद में जा रहे हैं। देश ही नहीं, इसे पूरी दुनिया देख रही है।

आज जब बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान के आधार पर जिस तरह से भारतीय संसद के 75 सालों का इतिहास रहा है, उसे देखते हुए, मैं उम्मीद ही नहीं, बल्कि पूरे विश्वास के साथ यह कह सकता हूँ कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान के आधार पर ही हम लोग एक विकसित देश की नींव रखने जा रहे हैं। वर्ष 2047 तक विकसित देश के निर्माण का जो लक्ष्य रखा गया है, उस लक्ष्य को हम लोग नयी संसद से जरूर अचीव कर पाएंगे।

अंत में, अपनी बातों को समाप्त करने के पहले, मैं अपने क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करूँगा। मुझे लगता है कि हम सब यहाँ पर भारत की जनता की वजह से हैं, अपने-अपने क्षेत्रवासियों की वजह से हैं। मैं जमुई से आता हूँ, इसलिए मैं जमुईवासियों का धन्यवाद करूँगा। मेरे नेता, मेरे पिता यदि आज जीवित होते और वे यहाँ पर होते, तो वे भी जरूर अपनी कर्मभूमि हाजीपुर का जिक्र करते। मैं अपने प्रदेश बिहार और पूरे देशवासियों का धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने

भारतीय संसद को इतना सशक्त, इतना मजबूत बनाया कि आज जब दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, तो वे जी-20 जैसे भव्य आयोजन, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया, को देखकर देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया बढ़ते हुए भारत के कदमों की सराहना करती है।

मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी का, भारत को नयी संसद देने के लिए धन्यवाद करता हूँ और यहाँ पर आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

Thank you very much sir.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, it gives me immense pleasure in participating in this discussion pertaining to the parliamentary journey of 75 years.

Firstly, my tribute to those who dedicated their lives to get freedom for us from the shackles of the British empire. Similarly, my salute to the memories of our forefathers who spent days and days for about three years in making our Constitution and for their work in the Constituent Assembly. This is high time to introspect whether we have succeeded in realising the dreams of our founding leaders and whether we did justice to their thoughts and aspirations.

Pandit Jawaharlal Nehru in his historic speech ?Tryst with Destiny? which was delivered in the midnight of 14th August, 1947 to the Indian Constituent Assembly in the Parliament said: ?We are citizens of a great country on the verge of bold advance, and we have to live up to that high standard. All of us, to whatever religion we may belong, are equally the children of India with equal rights, privileges and obligations. We cannot encourage communalism or narrow-mindedness, for no nation can be great whose people are narrow in thought or in action.?

Sir, this is a mantra. Whoever may be in the Government, this can be a mantra of the House. Now, we should ask a question to our core heart whether we are moving ahead to the

truthful destination.

I would like to say that the destination towards which we are moving now is dangerous. I have got enough things to say but due to paucity of time, I would not go into greater details. About the contemporary institutions, what is happening in this country now? Our Constitution has become a silent spectator. We are doing anything according to our liking. The Constitution is nothing. They have undermined the Constitution of India.

The atrocities against the minorities with regard to their security, identity and safety are on the rise. Discrimination and deprivation against SCs, STs and marginalised sections of the society are increasing like anything. There are human rights violations which is making the country ashamed before the world.

This morning when the Prime Minister was speaking, he was saying that there was a worldwide appreciation for India. The world leaders say many good things about India. But we have to realise that other countries and many international bodies are also saying that the human rights violations are taking place in India in a big way. That also needs to be considered properly.

Sir, what is it that they are doing? They are distorting the history. That is an offence which they are committing. They are distorting history according to their will and pleasure. They are distorting it and making it upside down.

There is communal polarisation taking place. There is destruction of secularisation and disrespect to the democratic principles happening with the blessings of the Government. We have always been arguing for federalism. There also, we are suffering a lot. Then, selling out the wealth of the nation to private business tycoons is also taking place. They are renaming the places and institutions. They are forgetting and wiping out the names of our forefathers. Now, I.N.D.I.A *versus* Bharat controversy has begun. Nobody is against Bharat. But what is wrong with I.N.D.I.A? This was there forever. If this I.N.D.I.A terminology gives them any kind of

sleepless nights, that is something different. There is no cure for that. Sir, we have agrarian crisis. In fact, the Government is not functioning in a democratic way. Now, there is a new threat, which has come. They are threatening the political parties and other systems with the fear of the enforcement agencies and investigating agencies. I am reminded of Mahatma Gandhi. He said to the British people: ?You can chain me, you can torture me, you can even destroy this body, but you will never imprison my mind.?

I am on my last point now. There is an encroachment on freedom of expression. Freedom of expression is the strongest pillar as far as our Constitution is concerned. But what is happening now? If a political leader speaks something against the Government, then the Government says that he will be put in prison. How many journalists are languishing in Indian jails? It may also be considered.

In the end, I would like to say that this Government is spoiling the democratic principles. They are far away from the democratic principles. Instead, they are very close to the draconian kind of things. I would like to conclude by saying that they have to correct the history, and safeguard our great country. Thank you.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL (BATHINDA): Sir, I stand here today on the 75th year of our democracy in this Parliament, probably, the last day in this august House.

I stand here as a woman who represents 50 per cent of our population. I come from a minority community which is only probably 1.7 per cent of the total 20 per cent of the minority community; and I represent the backbone of this nation, the farming community coming from the State of Punjab. This community brought about the Green Revolution and fed millions of hungry and needy people of this country since its freedom.

I would also like to say that this small community made the largest sacrifices for our freedom struggle. It may be a small community, but this brave community that fought the battle for the freedom struggle where the highest number of people to reach Kaalapani was from Punjab, the highest number of hangings were of the Punjabis, and it was on the borders of Punjab really that the division of the country took place. So, the largest sufferings and the largest bloodshed that took place to ensure this freedom was on the borders of Punjab.

But I would like to go back to even beyond this. Nearly, 350 years ago, our Ninth Guru, Shri Guru Tegh Bahadur Sahib known as the ?Hind ki Chadar? is the only example in the world where an individual of one community walked all the way to Delhi to get martyred and to sacrifice himself to save a minority community, the Kashmiri Pandits of Kashmir. This example in itself is one of its kind, and I would say that the very foundations of human rights, equality, freedom of religion was laid by our Ninth Guru, who came here and martyred himself and sacrificed himself a few yards from here to ensure the religious freedom of Kashmiri Muslims. This laid down the foundations of where the entire democracy and the voice of the people stand. After that, his grandsons, aged nine and seven were bricked alive fighting for religious freedom and living by their own religion.

So, first of all I would like that this House should altogether unanimously give homage to our Ninth Guru, the ?Hind ki Chadar? who laid the foundations of democracy 350 years ago. It would be befitting if this Government would actually dedicate this old Parliament -- as we shift to the new Parliament -- to the ?Hind ki Chadar?, so that the teachings of our Ninth Guru may be followed in the times to come.

In the same way, today I would like to also say that I am the proud granddaughter of a grandfather, Sardar Surjit Singh Majithia who was a Member of Parliament from the first, second and third Parliament here as Defence Minister, and after that I had the honour of being the Daughter-in-Law of Sardar Parkash Singh Badal who was in the 6th Parliament here and

someone who walked on the ideals of our great Gurus and for Parliamentary democracy in true letter and spirit, more powers to the State and inclusiveness ?Sarvat ka bhala? as what our religion preaches is what Sardar Parkash Singh Badal?s life was about who led the first battle against the Emergency, which was the biggest dictatorship since Indian freedom. He led the fight against the Emergency to lead the first morcha to court arrest and he spent 19 months in jail and he was the last one to leave the jail during the Emergency making this fight for democracy his personal fight. His entire life was dedicated towards more powers to the State and strengthening the federal structure. I also take this opportunity to salute both these men, and I would say that they have been a role model in inspiring what Parliamentary democracy stands for.

As a woman, I would definitely like to say that in my time of when in the last years of what I have understood of Parliament, if there was one thing which I saw in my lifetime, which I never thought that I would even get a chance to voice in this House was as a young 18-year-old who saw the murder of democracy, the murder of minorities, and the murder of religious freedom in 1984 when the genocide of the Sikhs took place. As an 18-year-old, I was a victim of this, and my community was a victim. It is shocking that in a free and independent India, the State itself -- the Congress Government -- would stoop down to killing an entire generation of Sikhs because of whatever reasons they may have thought. This is the Congress, which attacked our holy shrines, which put in tanks and bullets into our Akal Takht Sahib, killed innocent people over there and then murdered thousands of Sikhs. This State-sponsored genocide is unheard of in the history of our country. If this Government had ensured justice, which we have not yet got even after forty years, maybe, bigger tragedies would not have happened.

Sir, I want to ask this Government, that before we finish and shut the doors of this Parliament, this House needs to unanimously condemn the 1986 Sikhs' genocide. This House has neither condemned it till date nor have Sikhs received justice till date.

Secondly, I would like to point out that the Women's Reservation Bill must come in. In our Lok Sabha, there were 24 women but, today, in the 17th Parliament, they constitute only 7 to 8 per cent.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Sir, I have just two or three points. In the first election of our country, the turnout of women was 46 per cent and now the percentage is even more. How can the women's issues be addressed if there is not proper representation? I demand reservation for women. There are not enough women in the House. That is why it takes a Nirbhaya to bring in strong laws. That is why our women wrestlers who bring laurels to the country have to fight for months to get justice and that is why for the horrific Manipur incident of atrocity on women, a No-Confidence Motion had to come in to make this Government speak. I think more women are needed in this Parliament.

Lastly, I want to speak for the farmers who I represent, who feed this entire nation. It is time we stopped making hollow promises of doubling farmer's income. I come from the State which has fed this nation. Today, the farmer has lost his water, his ground is contaminated, he cannot feed his children, he cannot educate his children, and he cannot have health benefits.

HON. CHAIRPERSON: Shri S. Venkatesan ? not present.

Shri K. Subbarayan.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Sir, I am going to conclude.

HON. CHAIRPERSON: You have already taken eight minutes.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Sir, I am concluding.

आज हमारे किसानों के पास न तो इलाज कराने के लिए पैसे हैं और न ही वे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मौसम के कारण उनका इतना बुरा हाल है कि वे खुदकुशी करने को मजबूर हैं। किसानों के बारे में कुछ न कुछ सोचना चाहिए

। उनको इस बदतर हालत में आजादी के 75 साल बाद डबल फार्मर इनकम का स्लोगन नहीं चाहिए, बल्कि उनकी जेब में कुछ पैसे पहुंचे ताकि वे भी आत्म सम्मान से नए भारत में आत्मनिर्भर होकर अपने खानदान का ख्याल रख सकें ।

SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR): Hon Chairman Sir, Vanakkam. This is a discussion on 75 years of constitutional democracy. I want to say my views on behalf of the Communist Party of India, which has rendered a great contribution during the freedom struggle and in the development of our nation after Independence. During these 75 years, there were painful instances besides some happy occasions. I wish to remind you one thought of Dr. Ambedkar. While delivering his concluding speech at the adoption of the Constitution of India in the Constituent Assembly, on 24-25th November 1949, Dr. Ambedkar said this. And I quote. ?I don?t know whether Indians will place nation above creed or creed above nation. But this much is certain if they place creed above nation, our Independence will be put in jeopardy for the second time and be lost forever.? This was a warning from him. By looking into the experience of 75 long years, I must say the last 9 years have been so painful. Our independence, which we got by sacrificing several precious lives, has now become a question mark. A nation is not in the maps hanging in the classrooms, but the people on the whole make a nation. It should reflect the interest of all the 140 Crore people and only then it will reflect a nation. Therefore, the national interest is not only in protecting its boundaries or the forest area or tar roads. Nation actually means its people. People belong to different religions and different castes. It should be reflective of all the people of this country only then it is of national interest. I should therefore say that during the last 9 years the situation has become worse. It is a dangerous precedence in our history. I should be citing in detail so as to explain the reasons for this downfall. But there is paucity of time. I cannot say in detail the experiences relating to 75 years of our country within one or two minutes of the allotted time. I would therefore cite one

or two before I conclude my speech. When we talk about the period of last 75 years, I must say that the constitutional democracy is being demolished in a planned manner now. They come to power in the name of democracy and then they acquire a tendency aimed to destabilise this constitutional democratic set-up. This tendency is very dangerous. Parliament will not get its image through your bowing down at the steps of this building. The Government of this day is not protecting intact the inclusiveness of Parliament. They don?t love this nation or the parliamentary practice and procedure. There are just engaged in a show-off. It is neither reflective of national interest nor protection of parliamentary procedure or democratic credentials and the Indian constitution. If we allow this Government to continue in power, we may be forced to loose our valuable independence which we got by sacrificing several thousands of precious lives. Many MPs praised here about the success of recent G-20 Summit. What are the agreements that we have entered with USA and Israel? Pandit Nehru created a respectable image for India among the world nations. But that image of India has been tarnished now. We are having alliance with Israel. India is in their hands similar to the cows in a cowshed of USA. If we want to protect India, we have to remove this Government from power as it is incapable of protecting democracy, constitution and the parliamentary system of governance. Only then we can protect India, its democracy and the political system. Thank you.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, it is a momentous day in the history of our Parliament. It is a historic day that this House which witnessed our freedom struggle, witnessed India?s tryst with destiny, witnessed creation of the Indian Constitution, is now witnessing as we are biding adieu to this great House.

As Members of Parliament, we have dedicated ourselves to serving our beloved nation. Over the past seven decades, as the hon. Prime Minister has noted, more than 8,500 Members have tirelessly served our Mother India within these hallowed halls. It is worth noting that many of these dedicated individuals hail from Andhra Pradesh as well. On this solemn occasion, I wish to pay my heartfelt respects and express my profound gratitude to each of them for their unwavering service.

Sir, I am here to serve my second term, extending my services to the people of my constituency, State and the country. It would be remiss of me not to mention a towering figure in Indian politics, the great Gandhian and a legendary freedom fighter, Professor Acharya N.G. Ranga. He served as a Member of the Central Legislative Assembly from 1930 onwards, and as a Member of the Indian Parliament since Independence until 1991. Professor Ranga achieved the remarkable feat of 60 years of service in this House starting with the Constituent Legislative Assembly in 1930, and 50 years as a Parliamentarian, earning him a place in the Guinness Book of World Records.

Many of you have seen his statue at Building Gate No. 4 of the Parliament House. Prof. Ranga was an inspiration to generations of politicians, including my own grandfather, Shri Paturi Rajagopal Naidu, a freedom fighter, and a two-time Member of Parliament during the 6th and 7th Lok Sabhas.

Another great leader from the State of Andhra Pradesh that I should mention here is Shri G M C Balayogi, who served as the Speaker for the 11th and 12th Lok Sabhas, who was elected unanimously and served with distinction. I take this opportunity to pay my humble tributes to them and to all the other leaders from erstwhile and current State of Andhra Pradesh.

I feel that seven decades? journey in the history of any nation is too short a period. But in this short period, we have shown the world what we are capable of. We have proved to the world, particularly the British who wished India to become a failed State, that Bharat is second to none in every respect. We have proved and demonstrated to the world ? the recent example being the G20 Summit ? that India?s civilization, culture, philosophy, and more than anything else, the concept of ?*Vasudhaiva Kutumbakam*? cannot be destroyed. We could achieve these in spite of being home to almost every single religion in the world and also to a

vast array of diverse cultures, languages, syncretic heritage with rich history of democracy and non-violence.

Sir, today?s occasion is not to score brownie points. Today?s occasion, I feel, is to remember our achievements, successes, experiences and where we have faltered and address them through the current discussion. It is also our duty to express what lessons we have learnt from our past mistakes and give inputs for making this country great once again.

As Modi *ji* rightly says every Government, every PM contributed towards the growth, progress and development of the country. The degree of pace, commitment and resolve might be different. But everyone contributed whatever they could for the sake of the country. So, on this historic occasion, I remember all those great leaders and I pay tributes on behalf of my Telugu Desam Party and on my own behalf.

But I would also like to highlight that it was during this period that the bifurcation of Andhra Pradesh was enacted. This Parliament, as the hon. Prime Minister said in the morning, is a sacred institution and whatever promise it makes will be sacrosanct. But the commitments made in the AP Reorganisation Act and on this floor are yet to be fulfilled. Even the Special Category Status which was promised on the floor of this House has not been implemented till date. I only pray that these sacred promises are implemented without any further delay.

The new capital of Andhra Pradesh is in doldrums. Nobody knows what is the capital of Andhra Pradesh today. The farmers of Amaravati who have given more than 33,000 acres of land are on a dharna for nearly four years. I wish and pray that Amaravati will remain as the sole capital of Andhra Pradesh and that the Government of India should intervene and do the needful in this regard.

From 2014, under the leadership of the hon. Prime Minister Shri Narendra Modi *ji*, there have been many initiatives that have been introduced, aimed at making India Atmanirbhar and positioning it as a global power. Of the many achievements over the past nine years, I would

rate financial inclusion through Jan Dhan Yojana as the most successful achievement which helped in inclusive growth and reduced corruption totally. Otherwise, as per Shri Rajiv Gandhi, only 15 paisa used to reach the beneficiary.

The second is Ujjwala Yojana which helped 10 crore poor women households to escape from cooking with firewood, coal, dung cakes, etc., and use safe, clean and environment-friendly LPG gas for cooking.

My party, the Telugu Desam Party has played a pivotal role in this country?s politics and growth. Both Shri NTR and Shri Chandrababu Naidu *garu* played key roles in moulding and shaping both the National Front and the United Front Governments. You may recall that when Shri Vajpayee returned to power on 1999, after having lost the No-Confidence Motion, TDP with 29 MPs in Lok Sabha was the strongest partner of NDA. During that Government, many key reforms were undertaken such as banking sector reforms, telecommunications reforms, and aviation reforms. The Golden Quadrilateral Project and the National Highways Development Project were launched. There was promotion of Information Technology which saw the establishment of technology parks and Special Economic Zones.

All these reforms and projects were envisioned by Shri Chandrababu Naidu *garu* and implemented by the Central Government which played a crucial role in shaping India?s economic growth. Dr. Kalam was also made the President with the support of TDP and Shri Chandrababu Naidu *garu*. Even in the recent past the suggestions provided by him during the COVID-19 pandemic helped our country to effectively fight it and come out resilient and stronger. Today, we see such an unblemished, seasoned leader being arrested with political incarceration. It is a black day for democracy and in the history of AP.

I wish to bring to the notice of the hon. Prime Minister and hon. Home Minister how law is blatantly violated, cleverly twisted, and maliciously tweaked to achieve political vendetta by arresting Shri Chandrababu Naidu garu. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Jayadev Galla ji, try to avoid all the controversial issues.

? (*Interruptions*)

SHRI JAYADEV GALLA: Hon. Chairperson, Sir, I will finish in two minutes.

The main allegation in the case is that 10 per cent share of the State Government, which comes to about Rs. 371 crore for the purpose of skill development, had been released to the project implementation companies and was swindled through shell companies. But the CID has been unable to establish that the money was entrusted to Shri Chandrababu Naidu or his family members. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri P.V. Midhun Reddy ji.

SHRI JAYADEV GALLA: If Rs. 371 crore is siphoned, how thirty-four technical ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. This is the last day in this Parliament House. The discussion should be held without having any controversial issue. The spirit of today?s discussion should be not in such a manner. Just conclude with one sentence.

SHRI JAYADEV GALLA: Sir, all I wish to submit is that this kind of political vendetta, misuse of enforcement agencies, and political incarceration should be stopped in every State.? (*Interruptions*)

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Sir, this is rubbish. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You can respond to it.

? (*Interruptions*)

SHRI JAYADEV GALLA: I appeal to the hon. Prime Minister and hon. Home Minister to direct the officials concerned to immediately release Shri Chandrababu Naidu. Thank you, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Shri P.V. Midhun Reddy.

Please try to avoid controversial issues.

SHRI P.V. MIDHUN REDDY: Hon. Chairperson, Sir, this is not a controversy. I just want to put the facts straight. I just want to talk only on that topic and I want to put the facts straight.

Hon. Chairperson, Sir, I just want to put the facts straight on what the Telugu Desam Party Member, Shri Jayadev Galla ji spoke. I just want to say as to what happened in Shri Chandrababu Naidu?s case. When Shri Chandrababu Naidu was the Chief Minister, the Government claimed that Siemens was part of the skill development programme, and a tripartite agreement was made with the Corporation for Rs. 3,300 crore.? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You were given a chance to speak.

SHRI P.V. MIDHUN REDDY: The Government had to spend ten per cent. ? (*Interruptions*) You just sit down. You have already spoken a lot.

The project cost was Rs. 3,300 crore, and ten per cent was the share of the Government. ? (*Interruptions*) Whatever was said in the G.O., was not carried out in the MoU. Without a rupee being paid, Siemens said that they were not part of this and they did not have anything to do with the Rs. 371 crore. ? (*Interruptions*)

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): We have all the facts with us. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please be seated.

? (*Interruptions*)

SHRI P.V. MIDHUN REDDY: I want to put the facts straight.

HON. CHAIRPERSON: You please be seated. This is a matter which is pending before the court, and even the bail application is pending. In such a situation, we are having a deliberation

on an issue which is under the adjudication of the court and that too when the bail application is pending. Please try to avoid it.

SHRI P.V. MIDHUN REDDY: I want to put the facts on record. They have raised this issue. You only told me that ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: He only spoke about political vendetta.

? (*Interruptions*)

SHRI P.V. MIDHUN REDDY: Please sit. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please do not go into the merits of the case. I will control the House.

SHRI P.V. MIDHUN REDDY: The Income Tax Department has given a notice to Chandrababu Naidu?s PA and he has absconded from the country. ? (*Interruptions*) I can put the facts on the floor of the House. It is a notice that the Income Tax Department has given. The case related to Rs. 371 crore has been mentioned there. ED has got the trail of money to various shell companies. Even with regard to GST, they have got all fake invoices. The case has been booked by the ED. All the Central Agencies have clearly found the trail of the money. After the notice was given, Chandrababu Naidu?s PA, ...* fled the country. ? (*Interruptions*) It is an absolute case of corruption.

HON. CHAIRPERSON: No, that cannot be allowed.

? (*Interruptions*)

SHRI P.V. MIDHUN REDDY: It is an absolute case of corruption. Those were all fake G.O.s. All the money has been ? (*Interruptions*) Now, justice has to be done. ? (*Interruptions*) I just want to tell you one thing. He got away taking eighteen stays all these years, but finally, law has caught up with him, and justice will be done. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Let the court decide on these issues. Please come to the subject.

SHRI P.V. MIDHUN REDDY: Sir, ask them to ... * and sit down. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You just come to the subject matter. Please come to the issue.

SHRI P.V. MIDHUN REDDY: Finally, I want to conclude. Let them not waste the time of the House by stating out false facts. As you have said, it is *sub judice*, they should not raise it, and let the court decide it. No scamster in the country says he is guilty; same is what Telugu Desam Party is saying. Chandrababu is a ... * and he should be lodged in jail.

HON. CHAIRPERSON: You are again mentioning it. Yes, Mr. Venkatesan ji.

All those contentious issues, which are pending, would be expunged from the record.

? (*Interruptions*)

SHRI S. VENKATESAN (MADURAI): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. On the occasion of remembering in this House, the glorious journey of 75 years, I pay my respect and regard to all those who contributed in this House to the strength and prosperity of India. I salute each one of them. This is a House where the voices of our forefathers who framed our Constitution got reverberated. When change of guard from the British took place, the historical speech titled ? Tryst with destiny? was delivered in this august House. The benevolence of this House is not in this building or the architectural marvel or its technical execution. The greatness is in the decisions taken in this House. More importantly, due to the conventions and policies that led to these decisions in this House. It is due to this House, the States were reorganised on the basis of language. This House removed the Privy Purse in India. This House led to the creation of

the modern temples called as PSUs. Nationalisation of Banks and Nationalisation of Insurance companies, were all brought by this House.

16.37 hrs (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

SHRI S. VENKATESAN : This House had even put controls on monopoly. This House gave more power to the local bodies, besides bringing Mahatma Gandhi NREGA and Right to Information Act. I wish to say and wholeheartedly register about the greatest contribution of Communists in all these achievements inside and outside the Parliament House. There is a quotation inscribed at the entrance of Parliament House. It says and I quote. ?Those who have faced suppression can consider India as their home?. What a great thought! This is the thought which India wants to tell the whole world. This House is surrounded by such thoughts with fond memories of our forefathers. The sittings of Constituent Assembly were held for 1083 days. This House is surrounded by the reminiscences of the discussions of the Constituent Assembly. Our forefathers had signed the calligraphed copy of the Constitution in almost all languages. English, Urdu, Hindi, Sanskrit and Tamil, to name a few. Thiru M. C. Veerabahu, a member of Constituent Assembly had signed in Tamil. The reason for saying this is the greatness of India?s pluralism. The dreams of our forefathers were for creating an India with equality for all languages. This House is not only carrying the memories of the Constituent Assembly but also the scars of our freedom struggle. The echo of the clarion call of Bhagat Singh is very much surrounded here. We have statues and portraits of great leaders of our freedom struggle Mahatma Gandhi, Dr. Ambedkar, Pandit Nehru and others in this Parliament House. We are about to leave this House and enter into a new building. I am duty bound to say that India is heading towards a place having the sculpture of Chanakya from a place where we have rich experiences relating to our Constitution. What is the relationship between Chanakya and democracy? In the very first Elections, this House gave the voting right to all the citizens of this country. This was a dream even for hundreds of years for several nations of the world. But India decided to give this voting right to its citizens even during the first General Elections held

in the country. From this historic House we are going to a House where we have a sculpture for Chanakya, who narrated in words the cruel philosophy of monarchy. Friends, here in this House we have all the memories of freedom struggle but in the new building we may have memories of Puranas and scriptures from Puranas. Where India is heading to is a very important question. It was mentioned here that after bowing and paying respect at the entrance steps he entered this House. What will you leave behind, when you leave this House? Many Prime Ministers were seated in this august House and they had replied to the questions and issues raised by the Opposition. They even took part in discussions and had patiently heard all the speeches of MPs. But you are leaving behind in this House a tradition that you are the one who never replied to the questions raised by the Opposition MPs. This House has found solutions for many problems and issues of this country in the past. But I should say with lots of pain and agony that, more recently, many issues of the country got emanated from this House. We should remove this agony. Parliament does not reflect the building even it is new but its very life is in the importance which we give to the procedure and policies that are followed besides upholding democratic credentials. Whether you will save this life or not, but we sincerely hope that the 140 Crore people of this country will definitely save the life of democracy and Parliament. With this hope, we are marching towards new Parliament building. Thank you.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): सभापति महोदय, सोलहवीं लोक सभा में सदस्य के रूप में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से मुझे पहली बार इस पवित्र और गौरवशाली सदन का सदस्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ। सत्रहवीं लोक सभा में एक बार पुन: यहां पहुंची। मैंने नौ वर्षों से ज्यादा का समय यहां व्यतीत किया और यादों का एक लंबा सिलसिला जुड़ गया है। अतीत की चंद यादें ऐसी होती हैं, जिनसे हमारा नाता कभी नहीं टूटता है।

आज इस पुराने संसद भवन में हम सभी साथियों का अंतिम दिन है और यह सभी के लिए भावुक कर देने वाला क्षण है। पुरानी संसद जो देश को नीति के मार्गदर्शन की एक शानदार विरासत संजोये हुए है, आज के बाद से यह इतिहास में दर्ज हो जाएगी।

हम सभी कल नये और आधुनिक सुविधाओं से लैस एक भव्य संसद भवन में प्रवेश करेंगे। भले ही इमारत बदल रही है, लेकिन हम में से किसी का भी दायित्व बदलने वाला नहीं है। पुरानी संसद भवन में बैठकर हमने जो किया है, कल लोकतंत्र को मजबूत करने का दायित्व नए संसद भवन में भी उसी उमंग और उत्साह के साथ निभाना होगा। इस अवसर पर संविधान सभा से लेकर अब तक 75 वर्ष की यात्रा में हमारी क्या उपलब्धियां रहीं, क्या स्मृतियां रहीं, हमने क्या सबक लिए, क्या अनुभव प्राप्त किए, इस विषय पर जो चर्चा आयोजित की गई है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यह कहा जाता है कि किसी भी लोकतंत्र के परिपक्व होने में डेढ़ सौ से दो सौ साल लगते हैं। लेकिन भारत आज लोकतंत्र की आजादी के 75 वर्ष पूरे कर चुका है। उस दृष्टि से देखा जाए तो हमारे देश का लोकतंत्र अपने शैशव अवस्था में है, लेकिन इस शैशव काल में ही हमने ऐसी तमाम उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जो हमें गौरान्वित करती हैं, हतप्रभ करती हैं। कई खट्टे-मीट्ठे अनुभव भी हैं। हमारे पास कई मूल्यवान स्मृतियां हैं और कई गहन सारयुक्त सबक भी हैं, जो इतने वर्षों की लोकतंत्र की इस यात्रा में हमने प्राप्त किए हैं।

अगर मैं स्मृतियों की बात करूं तो हमारा पुराना संसद भवन अपने भीतर उन स्मृतियों को संजोये हुए हैं, जब संविधान के निर्माण के लिए एक जीवंत बहस हुई। इसी संसद भवन के माध्यम से 1955 में अस्पृश्ता के खिलाफ काननू बना और नब्बे के दशक में मंडल कमीशन लागू हुआ। यहीं से जीएसटी का नया टैक्स, वन नेशन वन टैक्स का कानून आया। बहुत सारी ऐसी यादें पुराना संसद भवन संजोए हुए है। यदि मैं उपलब्धियों की बात करूं तो यह वह संसद भवन है, जिसने देश को एक परमाणु शक्ति के रूप में उभरते हुए देखा है तो आज देश को चांद के दक्षिणी धुव्र पर उतरते हुए भी देखा है। यह वह संसद भवन है जो भारत को दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए देखने का भी साक्षी बना है। जी-20 के अध्यक्ष के रूप में, कोविड-19 पैनडेमिक के उपरांत एक विभाजित दुनिया के बीच भारत को एक यूनिफायर की भूमिका में उभरते हुए भी देखने का सौभाग्य इसी संसद को प्राप्त हुआ है।

यदि मैं अनुभवों की बात करूं तो हमने 1962 में चीन से मिली हार का भी अनुभव प्राप्त किया है। इस पुराने संसद भवन ने देश पर 70 के दशक में जो आपातकाल थोपा गया, उसको भी देखा था। इससे हमने कई महत्वपूर्ण सबक भी प्राप्त किया कि भारत को अपने सैन्य सामर्थ्य को बढ़ाने की जरूरत है। यह सबक भी प्राप्त किया कि भारत

का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि यदि उसे खत्म करने का कोई भी प्रयास किया गया तो वह भविष्य में घातक ही सिद्ध होगा। इससे हमने महत्वपूर्ण सबक प्राप्त किए। हमारे अनुभवों में यह भी रहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में सामाजिक न्याय की लगातार अनदेखी के कई उदाहरण देखें। दशकों तक ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग तक सरकारी नौकरियों में भागीदारी देने की अलग-अलग रिपोर्ट समय-समय पर आई, लेकिन उनको जान-बूझकर दबाकर रखा गया। 90 के दशक में मंडल कमीशन तो लागू हुआ लेकिन उसकी सिफारिशों में अनेक खामियां रहीं, उनको लंबे समय तक पूर्ववर्ती सरकारों के समय में दूर नहीं किया गया। वर्तमान में मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में देश के पिछड़े समय के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनकी हमने समय-समय पर चर्चा की है।

महोदय, हमने यह अनुभव प्राप्त किया कि सामाजिक न्याय की राजनीति केवल शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में भागीदारी प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, अपितु इसका दायरा सामाजिक और आर्थिक समानता की ओर ले जाने का प्रयास करने की दरकार है। इस दिशा में बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्वपन था कि देश में सही मायने में लोकतंत्र तभी पूरा होगा जब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी और इस असमानता को दूर करने के प्रयास सरकारों द्वारा किए जाएंगे। इस दिशा में माननीय प्रधान मंत्री जी की सरकार ने गरीब कल्याण योजनाएं लाकर समाज के सबसे निचले और वंचित तबके को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया है और इस सामाजिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया है।

माननीय सभापति जी, कल ही देश को अभूतपूर्व सौगात प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में मिली। इस योजना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले शिल्पकार, कारीगर, बढ़ई, दर्जी, नाई, नाव बनाने वाले, मछली का जाल बनाने वाले, लोहार, सुनार आदि जो हाथ और औजार से काम करने वाले हैं, के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला है।

सभापति जी, हमें सामाजिक न्याय का सिद्धांत सिखाता है कि न्याय की पहुंच अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक होनी चाहिए। हमने यह अनुभव भी प्राप्त किया है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने संविधान दिवस के दिन देश को अपनी चिंता से अवगत कराया था कि आज भी न्याय की पहुंच की रफ्तार वंचित तबकों तक बहुत धीमी है और हमें इस रफ्तार को तेज करने की दरकार है। न्याय की सुलभता समाज के दबे-कुचले तबकों तक हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए अभी हमें बहुत प्रयास करने हैं। हमारी न्यायपालिका में सामाजिक विविधता हो यानी समाज का दबा-कुचला वर्ग समाज न्यायपालिकाओं में स्थान पाए, इस दिशा में कार्य करने की दरकार है। ये सब चिंताएं तब दूर होंगी, ये सब

प्रयास और मजबूत होंगे जब हम सब मिलकर उस तंत्र को मजबूत करने का प्रयास करेंगे क्योंकि इसके माध्यम से ही हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

सभापति जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि मजबूत से मजबूत माने जाने वाला संविधान फेल हो सकता है और कमजोर से कमजोर समझा जाने वाला संविधान सफल हो सकता है यदि इसे लागू करने वाला तंत्र मजबूत हो, लेकिन हम कहीं न कहीं उस तंत्र को उतना सुदृढ़ नहीं कर पाए हैं। इसलिए ओबीसी की बैकलॉग वैकेंसियों को फिलअप करने की समस्या लंबे समय तक बनी रही। हमें न्याय पालिका में सामाजिक विविधता लाने के प्रयास जिस हद तक करने चाहिए थे, उस हद तक हम इतने वर्षों में नहीं कर पाए इसलिए आज के दिन हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम इस तंत्र को निरंतर मजबूत करने के लिए काम करेंगे।

महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के शब्दों में कहना चाहती हूं कि यही समय है, सही समय है कि हम सब मिलकर अपने संविधान निर्माताओं और देश की आजादी के लिए मरने-मिटने वालों की मंशा के अनुरूप संविधान को मजबूती से देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचा सकें, लेकिन इसके लिए हमें इस तंत्र को मतबूत करना होगा। हम सब एक नई उमंग, नए उत्साह और नई ऊर्जा के साथ पुराने संसद भवन की यादों को अपने दिल में रखते हुए कल नए संसद भवन में प्रवेश करें और लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करें।

महोदय, मैं आज के इस ऐतिहासिक अवसर, इस यादगार लम्हे पर, इस पुराने संसद भवन को सादर प्रणाम करना चाहती हूं जिसने मुझे इतना कुछ सीखने का अवसर दिया और साथ ही मुझे राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, thank you very much for the opportunity that has been offered to me.

Sir, this day is a very important, glorious and remarkable day in the history. Putting centuries in the capsule is the method to weigh the events of history which were adopted by the various researchers of the history, those who are having researches in various fields. Sir, I think, today, 75 years of freedom has been put into a capsule and the capsule is being viewed from various prospects. It is not a qualitative or quantitative analysis; it is an analysis which will help us to put this country in a bigger orbit in future.

Sir, I will take only a few minutes. Today, I am astonished, surprised, and shocked by hearing the speech of hon. Prime Minister Modiji. Why am I shocked and surprised? I will not say that today there was a drama of "Jekyll and Hyde" but there was something contradictory between the attitude and speech delivered in this House.? (*Interruptions*)

माननीय सभापति: प्लीज, इनको बोलने दीजिए।

? (व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): आप सनातन विरोधी हैं। आप सदन में यह क्या बोल रहे हैं? ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : कोई भी चीज रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। आप कृपया बोलिए।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : नो, आप कृपया बैठ जाइए। कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

? (व्यवधान)

SHRI A. RAJA: Sir, if they have this type of interpretation, what can I do? ? (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप कृपया बोलिए।

? (व्यवधान)

SHRI A. RAJA: Sir, I used to salute Modi ji. When he assumed office in 2014 and delivered his speech on the Independence Day, he said: ?Brothers and sisters, today if we have reached here after independence, it is because of the contribution of all the Prime Ministers, all the Governments and even the Governments of all the States. I want to express my feelings of respect and gratitude to all those previous Governments and ex-Prime Ministers who have

endeavoured to take our present-day India to such heights and who have added to the country's glory.? Now, having occupied the Chair for ten years, this year, he made a partly political statement this year from the Red Fort that we will fight against nepotism, corruption, and appeasement. Sir, with due respect, I deeply regret that the words uttered by the Prime Minister do not match with the stature of the Prime Minister?s post. This is not a political meeting. Now, why are we going back to 75 years of Independence? I just want to quote a few sentences of Constituent Assembly. By quoting two documents of the Prime Minister?s speech, I think, I can draw an inference or even I can draw conclusions that the Prime Minister?s attitude, the Government?s attitude, and the Treasury Benches? attitude in this House, throughout ten years, is completely diabolic in nature.

Sir, during the last ten years, what has been done in this country? The Constitutional morality was distorted, democratic governance is disrupted, social harmony is under threat, and political heritage defined and determined by our forefathers has been mocked. I will take up things one by one. I want to peep into the events of the Constituent Assembly. If time permits, I will take on the three categories of appeasement, nepotism and corruption.

Sir, this House has witnessed so many events to denigrate Nehru and other leaders when it was said that they did appeasement to minorities, and because of that appeasement, the country is suffering today. The DMK was having problems with the Congress. We did so many agitations for language, against Hindi, for State autonomy, federalism, even to save democracy. We were put into jail by the Congress Government. That is altogether different. Our fight with the Congress is always genuine. We will not deny it. But today, in spite of the differences, we are with the Congress. The reason is, we want to save the Constitution, we want to save the nation. ? (*Interruptions*)

Sir, when the sovereignty of the country was in trouble in 1962, the DMK supported national integrity and supported this Government. When the sovereignty of this country was at

stake in 1971, again, we supported this Government. The Government of Tamil Nadu gave Rs. 6 crore. Again, during the Vajpayee Government, when Kargil war happened, we gave Rs. 100 crore. None of the States gave such a huge amount. All these things show that we are having our own identity. We will not give up our identity in terms of cultural, linguistic and other aspects. But as far as the whole nation is concerned, we are having full faith in nationalism. I would say that I love my country. While we love our country, we are having problem with the way Treasury Benches, the Government is behaving in the Parliament. That is why we want to say that we are having an ideological war with this Government.

HON. CHAIRPERSON: Please take care of time. It is already seven minutes now.

? (*Interruptions*)

SHRI A. RAJA: Sure, Sir. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You please concentrate on your speech.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please, do not disturb.

? (*Interruptions*)

SHRI A. RAJA: Sir, the Chandrayaan was launched and the satellite was placed in the orbit. I really salute this nation and also the performance of this Government. That does not mean we should lose our scientific temper and scientific sight. Today, our position in the international arena, no doubt, is exalted and that has been arrived at by this Government. But it is done not by this Government alone, as stated by the Prime Minister in the morning. The Leader of Opposition mentioned about the efforts made by Nehru for the space research. The base for space research was made by Nehru on the basis of which the satellite was launched and put in the correct orbit. So, the integral part of the credit should go to the entire nation, entire

Government, irrespective of any political entity. One thing is very important. What did Nehru say in this House when the ISRO was established and when America launched its satellite on the moon? What was the vision of Nehru? That is very important. He said:

?Very slowly it is dawning upon men and women that we are entering a new age, the age of interplanetary travel.?

Next line is very important. The satellites will be launched but I quote what his vision was:

?In our narrow world, we are entangled in all kinds of rivalries and national conflicts which have no meaning in this new age.?

So, the idea of Nehru was this. When the scientific orbit is enlarging day by day, our conflicts, whether they are based on caste, creed or religion, should be exploded. ? (*Interruptions*) That is not happening here. ? (*Interruptions*) This is not fair. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Ten minutes have elapsed now.

SHRI A. RAJA: You have launched the satellite. No doubt, you have got the glory. But have you heard that Manipur issue was discussed in the European Union, and the European Union had passed a resolution condemning the activities of the Government? ? (*Interruptions*)

Sir, I am not yielding. ? (*Interruptions*)

17.00 hrs

HON. CHAIRPERSON: Mr. Raja, please conclude now.

? (*Interruptions*)

SHRI A. RAJA: What can I do? ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: But I will call the next name.

? (*Interruptions*)

SHRI A. RAJA: Okay, Sir. ? (*Interruptions*) How can I speak? ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: He is not yielding.

? (*Interruptions*)

SHRI A. RAJA: Before enacting the Constitution in the Constituent Assembly, the issue of the national flag came into existence. Of course, Gandhi supported a flag that embodied spindle and chakra. But after due discussion, it was only Nehru who put the Ashok Charkha on the national flag. What is the reason? ? (*Interruptions*) No, he suggested. The spindle is there. I can show the document. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No. Mr. Raja, only address the Chair.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

? (*Interruptions*)

SHRI A. RAJA: Gandhi suggested a spindle. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Raja, you are a knowledgeable person. You can speak for hours. But there is a limitation of time. Please conclude. You can say so many things.

? (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए।

? (व्यवधान)

SHRI A. RAJA: What the flag was. ? (*Interruptions*)

माननीय सभापति : रवि शंकर प्रसाद जी, आप संक्षेप में अपनी बात रखिए।

? (व्यवधान)

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD (PATNA SAHIB): Yes, Sir. I will just speak three lines. Sir, just to put the record straight. ? (*Interruptions*) We are going to the new House, Sir. As the hon. Prime

Minister set the tone, it ought to have been one of amity, as also nostalgia and recording the events. This discussion to mention the resolution of the European Parliament condemning India, is it fair? Is it just? ? (*Interruptions*) The second point is that Chandrayan was initiated by the Atal Bihari Vajpayee Government and fructified by the Narendra Modi Government. I am happy that Mr. Raja talked about it ? he believes in India. If he believes in India, is he going to say sorry for the language of Sanatan Dharm, which he had used publicly? ? (*Interruptions*)

माननीय सभापति : श्री अरूण साव जी।

?(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I told you that I will call the next name. No. You took your time.

? (*Interruptions*)

माननीय सभापति : अरूण साव जी, आप बोलना शुरू कीजिए।

? (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : महोदय, मेरा प्वांइट ऑफ आर्डर है। ?(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आपका क्या प्वाइंट ऑफ आर्डर है?

डॉ. निशिकांत दुबे: महोदय, संविधान का जो आर्टिकल 105 है, उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दी गई है। लेकिन सन् 1976 में 42वें संविधान संशोधन में यह कहा गया है कि किसी भी दूसरे पार्लियामेंट में या किसी भी दूसरे देश के कानून में कोई बात है, तो वह यहां क्वोट नहीं हो सकती है। यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वाइलेशन है। इनको माफी मांगनी चाहिए। यूरोपियन यूनियन में जो बातें हुई हैं, यह आर्टिकल 105 है, जिसके आधार पर हम बोलते हैं। ?(व्यवधान)

माननीय सभापति : ठीक है। इसको देख लेंगे।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : मिस्टर राजा, आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त कीजिए।

? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Yes, you are a very senior Member. I have been repeatedly asking you to conclude.

SHRI A. RAJA: I will finish it by giving the interpretation.

HON. CHAIRPERSON: Now, whatever you want to say, you say it in one minute.

? (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप बैठिए। प्लीज, आप बैठ जाइए।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : मिस्टर राजा, आप बोलिए।

? (व्यवधान)

SHRI A. RAJA: Sir, I will quote what Nehru said while presenting the Flag to the Assembly.

?Now because I have mentioned the name of Ashoka I should like you to think that the Ashokan period in Indian history was essentially an international period of Indian history. It was not a narrowly national period. It was a period when India?s ambassadors went abroad to far away countries and went abroad not in the way of an Empire and imperialism but as ambassadors of peace and culture and goodwill.

Therefore, this Flag that I have the honour to present to you is not, I hope and trust, a Flag of Empire, a Flag of Imperialism, but it is a Flag of freedom and amity, prosperity and co-existence of all communities and all religions.?

Thank you, Sir.

वाणिज्य और उद्योग मंत्री; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : माननीय सभापति जी, माननीय प्रधान मंत्री जी ने आज का विषय रखा और उस विषय को नई ऊंचाइयों तक लेकर गए, उस पर बहुत सार्थक चर्चा चल रही है। पूरा सदन एक स्वर में है और हमारे 75 वर्ष के देश की आजादी के बाद के कार्यकाल में देश में संविधान सभा से शुरू होकर आज तक जो उपलब्धियां रही हैं, जो देश में हमारी खुशखबरी और यादें रही हैं, इस सदन के साथ अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं और आगे हम क्या पाने चाहते हैं, उसके ऊपर विस्तार से सार्थक चर्चा चल रही है। मैं मानता हूं कि लगभग सभी दलों ने इस बात का सम्मान रखा, सदन का सम्मान रखा, इस चर्चा की गरिमा को सम्भाला, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ओछी राजनीति और बहुत छोटे स्तर की राजनीतिक ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए कुछ माननीय सदस्य इस डिबेट के स्तर को भी गिरा रहे हैं तथा इस सदन की गरिमा को भी बहुत बुरे तरीके से हर्ट कर रहे हैं।

मैं समझता हूं कि मेरे मित्र वरिष्ठ सांसद हैं। दूसरे विदेशी देश की परंपराएं अलग हैं, वहां का काम करने का ढंग अलग है। वहां पर किसी भी स्तर पर ऐसे रेज्योल्यूशंस नहीं हुए हैं। यह कभी हुए भी नहीं हैं और कभी हो भी नहीं सकते हैं। हमारे देश के अंदरूनी मामलों में कोई विदेशी ताकत कुछ बोलना चाहे, ऐसा संभव ही नहीं है और भारत कभी ऐसा होने भी नहीं देगा। यह दुर्भाग्य है कि एक कमजोरी की मानसिकता कुछ लोगों में वर्षों-वर्षों से रही है। इस गुलामी की मानसिकता को ही खत्म करने के लिए यह देश अब बड़े-बड़े कदम उठा रहा है। हमने जी-20 की प्रेसिडेंसी में भी देखा कि भारत का मान-सम्मान और गौरव आज नए शिखर पर है। ऐसी परिस्थिति में हम सदन से एक नए स्वर में, एक अच्छा संदेश भेजें। आज यहां पर आखिरी दिन है। कल सेंट्रल हॉल में फंक्शन के बाद नए सदन में प्रवेश करेंगे। ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि इस गरिमामयी वार्तालाप को और ऊंचा लेकर जाएं, बजाय कि कुछ सांसद, कुछ विदेशी ताकतें, जो देश विरोधी हैं, ऐसे कुछ वक्तव्यों को लेकर हम आपस में एक बंटे हुए संसद के रूप में पेश हों। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार के जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनको एक्सपंज किया जाए। यह आज की इस गरिमामयी सभा की बैठक का हिस्सा न बने तो मुझे लगता है कि इतिहास में एक अच्छा माहौल बनेगा।

माननीय सभापति : ठीक है। धन्यवाद।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए। आप बार-बार क्यों खड़े हो जाते हैं? प्लीज, बैठ जाइए।

? (व्यवधान)

श्री अरूण साव (बिलासपुर): माननीय सभापति जी, यह मेरा सौभाग्य है कि इस संसद भवन के सदन में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

महोदय, आज का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। वर्तमान संसद भवन के इस विशेष सत्र में आज यह अंतिम दिन है और इस ऐतिहासिक सदन में आज हम अंतिम बार हिस्सा ले रहे हैं। वास्तव में यह क्षण हम सबके लिए काफी भावुक करने वाला है। इस भवन ने विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र के मंदिर के रूप में पिछले आठ दशक में अनेक रंगों को देखा और महसूस किया है। यह भवन गवाह रहा है विकसित होते और तेजी से बदलते लोकशाही का। यह प्रतीक रहा है राष्ट्र की एक अरब से अधिक आकांक्षाओं और अभिलाषाओं का। आज हम भारत के अमृतकाल में एक नये भवन में जा रहे हैं और विशुद्ध भारतीय वास्तु के आधार पर निर्मित प्रसाद हमारी पहचान होने जा रहा है।

माननीय सभापति जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में याद किया और सचमुच यह भवन हम जैसे लोगों में विशेष कृतज्ञता का भाव भरता है। यह भवन हम ढाई करोड़ से अधिक छत्तीसगढ़वासियों की आकांक्षा का गवाह रहा है। भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें अलग छत्तीसगढ़ राज्य का उपहार दिया था। वास्तव में हम जैसे ही अविभाजित मध्य प्रदेश से अलग हुए, जैसे दो भाई अलग होकर अपनी गृहस्थी बिना मतभेद के बसाते हैं, वैसे ही बिना मतभेद के ये अलग राज्य बने। जब हमें यह छत्तीसगढ़ राज्य मिला तो यह लोकतंत्र का वास्तव में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को यह पता था कि अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद विरोधी दल की वहां सरकार बनने वाली है, लेकिन छत्तीसगढ़ की ढाई करोड़ जनता के हित में उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करके हम सब छत्तीसगढ़वासियों को एक बहुत बड़ा उपहार उन्होंने दिया। यह भवन उस अलग छत्तीसगढ़ राज्य का गवाह बनने जा रहा है। आज वही छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़वासी उसको विकास की ओर लेकर जा रहे हैं और आज हम छत्तीसगढ़वासियों का सपना साकार हो रहा है तब यह भवन हम छत्तीसगढ़वासियों के लिए अविस्मरणीय होने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, जब भारत में संविधान बना और जनता के द्वारा लोकतांत्रिक प्रणाली से सरकार चुनने का निर्णय लिया गया था, तब दो सौ वर्षों तक भारत पर हुकुमत करने वाले देश इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल ने मजाक उड़ाते हुए कहा था कि भारतीयों में शासन करने की योग्यता नहीं है और भारत को स्वतंत्र भी कर दिया जाए तो भी हम लोग भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे और यह देश बिखर जाएगा। लेकिन भारत की आजादी के 75 साल बाद देश ने न सिर्फ चर्चिल के पूर्वानुमानों को झुठलाया है बल्कि आज स्वाधीन भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की पांचवीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गयी है। आज दुनिया में भारत का

परचम फहरा रहा है। आज दुनिया यह कह रही है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। जैसे जी-20 का सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ और अमृतकाल का जो आगाज हुआ है, इस संसद भवन से हुआ है। आगाज तो बड़ा धमाकेदार हुआ, जब चंद्रयान-3 ने, दुनिया में पहली बार, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में लैंड किया। यह भारत देश ने किया है। आज जब अमृतकाल में यह देश प्रवेश कर रहा है तो आजादी के बाद पहली बार एक आदिवासी परिवार की बेटी देश का मार्गदर्शन कर रही है। यह बात आज भारत की ताकत बनी है। इसलिए आज इस सदन में धारा 370 को समाप्त करके माननीय मोदी जी ने सरदार पटेल जी के सपनों को साकार किया है। हमें एक भारत, श्रेष्ठ भारत का सपना आज साकार होते हुए इस भवन के माध्यम से दिख रहा है। आज जब देश अमृतकाल में प्रवेश कर रहा है तो हम अपने नए संसद भवन में प्रवेश कर रहे हैं। वह हम सबके लिए एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। आज भारत देश गरीबी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। देश आज भ्रष्टाचार के खिलाफ माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। आज गरीबों को मुख्य धारा में लाने का काम प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। यह भवन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने का गवाह है। यह भवन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और गरीब कल्याण के सपनों को साकार करने का गवाह है। यह आधार इसी भवन से बना है।

वर्ष 2047 तक एक शक्तिशाली भारत, एक समृद्ध भारत, एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की नींव इस भवन में रखी गई है। देश की 140 करोड़ की जनसंख्या आज प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की तरक्की और विकास में अपने आपको सहभागी बनाकर इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें। जय हिन्द, जय भारत।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हमारे इस हॉल में एक ही फोटो है, लेकिन किसी ने जिक्र नहीं किया कि यह फोटो किसकी है। यह विट्ठल भाई पटेल जी की फोटो है। आज जितने भी वक्तव्य दिए गए हैं, हमने भी दिए हैं तो हमें इनको आज स्मरण करना चाहिए। इसके साथ ही हमारी तरफ से एक और नाम का जिक्र करने की आवश्यकता है। वह नाम सच्चिदानंद सिन्हा जी का है। वे संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, लेकिन वे अस्वस्थ हो गए थे, उसके बाद राजेन्द्र बाबू जी को अध्यक्ष बनाया गया था। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति: ठीक है, श्री असादुद्दीन ओवैसी जी।

? (व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): सर, आपने मुझे आज एक तारीखी बहस पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए शुक्रिया।

मोहतरम जनाब, हम इस ऐवान के 75 सालों के पार्लिमानी सफर की तकमील पर बहस कर रहे हैं। मैं सबसे पहले मौलाना हिफज़ुर रहमान साहब को, जो पहली और दूसरी पार्लियामेंट के मैम्बर थे, मेरे कायद सालारे मिल्लत सलाउद्दीन ओवैसी को, सुलेमान सेठ साहब को और मौलाना बनातवाला साहब को अपनी जानिब से खिराज ए अकीदत पेश करना चाहूंगा।

जनाब, इस ऐवान की नाकामियों का भी हमें जिक्र करना जरूरी है। 75 सालों का तारीखी सफर इस ऐवान ने मुक्कमल किया है। मेरी नजर में यह ऐवान एक इमारत नहीं है। यह ऐवान इस वतन ए अजीज का दिल है, जो बाहर गरीब और मजलूम अवाम की तकलीफ को महसूस करे। इसीलिए मैं इसको दिल कहता हूँ। मैं आपके सामने 15 मिसालें पेश करूंगा, जहां पर इस ऐवान ने अपनी नाकामी का सबूत पेश किया है। एक उस वक्त जब दिल्ली की सड़कों पर सिखों की नस्लकशी की जा रही थी। एक उस वक्त जब 6 दिसम्बर को बाबरी मस्जिद की शहादत हुई। ? (व्यवधान) भागलपुर, जिसमें रेशम के कारोबार को खत्म किया गया और मुसलमानों को दफना दिया और वहां पर फूल गोभी उगना शुरू हो गई। एक उस वक्त नाकामी साबित हुई जब मुजफ्फरनगर और गुजरात में नस्लकशी की गई। एक उस वक्त जब मुम्बई की सड़कों पर इंसानियत का नंगा नाच हुआ। एक उस वक्त जब इस ऐवान में टाडा, पोटा जैसा काला कानून बनाया गया। यू.ए.पी.ए. का कानून बनाया गया तथा अफस्पा का कानून बनाया गया, जिसको एक साल के लिए बनाया गया था। आज हम वर्ष 1958 से वर्ष 2023 में आ गए हैं। एक उस वक्त नाकामी साबित हुई, जब हम देख रहे हैं कि आज यह हिन्दुस्तान का दिल है, आज गरीबों में, मजलूमों में, मुसलमानों में, कश्मीर की अवाम में, दलितों में तथा आदिवासियों में इस ऐवान की मोहब्बत और एतिमाद खत्म हो रही है, कम हो रही है इसीलिए जनता सड़कों पर आकर ऐहतजाज कर रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि यह इमारत बन चुकी है, यह हमारा दिल नहीं है। चाहे सीएए का प्रोटेस्ट हो, चाहे किसानों का प्रोटेस्ट हो या शेडयूल्ड कास्ट रिजर्वेशन का मसला हो, इसीलिए मैं आपके जरिए हम तमाम को मुतनब्बह करना चाह रहा हूं कि अगर हम रोडों पर इंसाफ करने के लिए जनता को एलाऊ करेंगे, इस ऐवान को दिल नहीं रखेंगे, याद रखिए यह हमारी पार्लियामानी जम्हूरियत के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। यह इसलिए भी नुकसानदेह होगा कि क्या हमको आकर, हमको अपने ख्वाबे-गफलत से, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए क्या ऊपर भगत सिंह को आकर बैठना पड़ेगा कि देखो, 75 सालों में तुमने कैसा कानून बनाया और किसको कहां तक पहुंचा दिया।

जनाब, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम तमाम को अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। ये इमारतें ईंट से बनी हुई जरूर हैं, मगर इस इमारत में दिल है। इस इमारत को दिल के तौर पर बरकरार रखना पड़ेगा।

स्पीकर सर, मैं एक और मिसाल दे रहा हूं, जहां पर इस ऐवान की नाकामी है। सर, अब तक लोक सभा के 899 मैम्बर्स कामयाब हुए। सर, अब बताइए कि पार्लियामेंट्री जम्हूरियत में, शिरकतदारी की जरूरत है, representative form of democracy में 8,992 में कितने मुसलमान कामयाब हुए, सर 520 कामयाब हुए हैं, जबकि 1,070 लोगों को इस ऐवान का मैम्बर होना चाहिए था। कितना डेप्रिविएशन है, 92 फीसदी डेप्रिविएशन है। स्पीकर साहब, इस मौजूदा पार्लियामेंट में वे सिर्फ 26 हैं। 14 प्रतिशत मुसलमान और सिर्फ 4.8 प्रतिशत उनका रिप्रजेंटेशन है। बताइए, हम वोट डालने वाले बन गए हैं, वोट लेने वाले नहीं बने, या तो हकीकत यह है कि आप उनको वोट डालना नहीं चाहते। आप सबको वोट डालेंगे, मगर जहां पर मुसलमान आएगा, वहां पर वह कामयाब नहीं होगा। बताइए कि दिल में जब 14 फीसदी आबादी की नुमाइंदगी नहीं होगी, तो आप क्या फैसले करेंगे। क्या हम इस ऐवान को कहेंगे कि यह representative form of democracy है।

स्पीकर सर, मैं आपको एक और मिसाल देना चाहता हूं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने सही कहा था कि अंग्रेज उस जमाने में पार्लियामेंट टैक्स बढ़ाने के लिए बुलाते थे। हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं। हमने बाबा साहेब अम्बेडकर जी को सच साबित कर दिया।

स्पीकर सर, आखिर में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आप देखिए कि चाणक्य ने क्या कहा था। चाणक्य ने सही कहा था कि जब राज्य चलाने वाले व्यापारी हो जाएंगे, तो उस राज्य के लोग भिखारी हो जाएंगे। आज यह वक्त आ चुका है कि क्या first past the post system इस देश के लिए सही है या फिर हम proportional form of representation को फॉलो करेंगे। First past the post system, जिसके पास एक मजहब का वोट होगा, जिसके पास दौलत होगी, वही इस ऐवान में आएगा। इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि कहीं यह जम्हूरियत कमजोर न हो जाए। मुझे इस बात का डर है।

सर, आखिर में, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़े शायर ने कहा था, उसे कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा।

अभी चिराग़े-सरे-रह को कुछ खबर ही नहीं
अभी गरानी-ए-शब में कमी नहीं आई
निज़ाते-दीदा-ओ-दिल की घड़ी नहीं आई
चले चलो कि वो मंज़िल अभी नहीं आई।

स्पीकर साहब, आखिर में, मैं कहना चाहता हूं कि इस बात को याद रखिए। मैं सभी से कह रहा हूं कि पीच बदलने से गेंद नहीं बदलती, गेंद को बदलना पड़ेगा। आप पीच बदल रहे हैं। जब तक हम अपने जम्हूरी वसूलों पर, रूल ऑफ लॉ पर, संविधान पर अटूट अमल नहीं करेंगे, वरना याद रखिए, कहीं नई इमारत भी हिटलरी की Reichstag की इमारत न साबित हो जाए।

[جناب اسدالدین اویسی (حیدرآباد): محترم چیرمین صاحب، آپ نے مجھے ایک تاریخی بحث پر بولنے کا موقع دیا اس کے لئے شکریہ۔

محترم جناب، اس ایوان کے 75 سالوں کے پارلیمانی سفر کی تکمیل پر ہم بحث کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے مولانا حفظ الرحمٰن صاحب کو جو پہلی اور دوسری پارلیمنٹ کے ممبر تھے۔ میرے قائد سالارِ ملّت سلطان صلاح الدین اوویسی کو سلیمان سیٹھ صاحب اور مولانا بنات والا صاحب کو اپنی جانب سے خراجِ عقیدت پیش کرنا چاہوں گا۔

جناب، اس ایوان کی ناکامیوں کا بھی ہمیں زکر کرنا ضروری ہے۔ 75 سالوں کا تاریخی سفر اس ایوان نے مکمل کیا ہے۔ میری نظر میں یہ ایوان ایک عمارت نہیں ہے، یہ ایوان اس وطنِ عزیز کا دل ہے۔ باہر غریب اور مظلوم عوام کی تکلیف کو جو محسوس کرے۔ اس لئے میں اس کو دل کہتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے 15 مثالیں پیش کروں گا، جہاں پر اس ایوان نے اپنی ناکامی کا ثبوت پیش کیا ہے۔ ایک اس وقت جب دہلی کی سڑکوں پر سکھوں کی نسل کشی کی جارہی تھی، ایک اس وقت جب 6 دسمبر کو بابری مسجد کی شہادت ہوئی۔ (مداخلت)۔ بھاگلپور جس میں ریشم کے کاروبار کو ختم کیا گیا اور مسلمانوں کو دفنا دیا اور وہاں پر پھول گوبھی اُگنا شروع ہو گئی۔ایک اس وقت ناکام ثابت ہوئی جب مظفرنگر اور گجرات میں نسل کشی کی گئی۔ ایک اُس وقت جب ممبئی کی سڑکوں پر انسانیت کا ننگا ناچ ہوا۔ ایک اس وقت جب اس ایوان میں ٹاڈا، پوٹا، جیسے کالے قانون بنائے گئے، یو۔اے۔پی۔اے۔ کا قانون بنایا گیا، افسپا کا قانون بنایا گیا، جس کو ایک سال کے لئے بنایا گیا تھا۔ آج ہم سال 1958 سے 2023 میں آ گئے ہیں۔ ایک اس وقت ناکامی ثابت ہوئی، جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ ہندوستان کا دل ہے، آج غریبوں میں مظلوموں میں مسلمانوں میں کشمیر کی عوام میں دلتوں اور آدیواسیوں میں اس ایوان کی محبت اور اعتماد ختم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، اس لئے عوام سڑکوں پر آکر احتجاج کر رہی ہے۔ کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ عمارت بن چکی ہے، یہ ہمارا دل نہیں ہے۔

چاہے سی۔اے۔اے۔ کا پروٹیسٹ ہو، چاہے کسانوں کا پروٹیسٹ ہو یا شیڈیولڈ کاسٹ ریزرویشن کا مسئلہ ہو، اس لئے میں آپ کے ذریعہ ہم تمام کو متنبہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم روڈ پر انصاف کرنے کے لئے جنتا کو الاؤ کریں گے اس ایوان کو دل نہیں رکھیں گے، یاد رکھئیے یہ ہماری پارلیمانی جمہوریت کے لئے بڑا نقصان دہ ثابت ہوگا۔ یہ اس لئے بھی نقصان دہ ہوگا کہ کیا ہم کو آکر ، ہم کو اپنے خوابِ غفلت سے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لئے کیا اوپر سے بھگت سنگھ کو آکر بیٹھنا پڑے گا کہ دیکھو، 75 سالوں میں تم نے کیسا قانون بنایا اور کس کو کہاں تک پہنچا دیا۔

جناب، اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تمام کو اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا پڑے گا۔ یہ عمارتیں اینٹ سے بنی ہوئی ضرور ہیں، مگر اس عمارت میں دل ہے۔ اس عمارت کو دل کے طور پر برقرار رکھنا پڑے

گا۔

اسپیکر سر، میں ایک اور مثال دے رہا ہوں، جہاں پر اس ایوان کی ناکامی ہے۔ سر ابھی تک لوک سبھا کے 899 ممبرس کامیاب ہوئے، سر اب بتائیے کہ پارلیامینٹی جمہوریت میں شراکت داری کی ضرورت ہے، m of democracyrRepresentative fo میں 8992 میں کتنے مسلمان کامیاب ہوئے؟ سر 520 کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ 1070 لوگوں کو اس ایوان کا ممبر ہونا چاہئیے تھا۔ کتنی ڈیپریویشن ہے، 92 فیصد ڈیپریویشن ہے۔ اسپیکر صاحب اس موجودہ پارلیمینٹ میں وہ صرف 26 ہیں۔ 14 فیصد مسلمان اور صرف 4.8 فیصد ان کا ریپریزینٹیشن ہے۔ بتائیے، ہم ووٹ ڈالنے والے بن گئے ہیں، ووٹ لینے والے نہیں بنے، یا تو حقیقت یہ ہے کہ آپ ان کو ووٹ ڈلنا نہیں چاہتے ۔ آپ سب کو ووٹ ڈالیں گے، مگر جہاں پر مسلمان آئے گا، وہاں پر وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ بتائیے کہ دل میں جب 14 فیصدی آبادی کی نمائندی نہیں ہوگی، تو آپ کیا فیصلہ کریں گے۔ کیا ہم اس ایوان کو کہیں گے کہ Representative form of Democracy ہے۔

اسپیکر سر، میں آپ کو ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں۔ بابا صاحب امبیڈکر نے سہی کہا تھا کہ انگریز اس زمانے میں پارلیمینٹ ٹیکس بڑھانے کے لئے بلا تے تھے۔ ہم اسی راستے پر جا رہے ہیں۔ ہم نے بابا صاحب امبیڈکر جی کو سچ ثابت کر دیا۔

اسپیکر سر، آخر میں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ دیکھئیے کہ چانکیہ نے کیا کہا تھا۔ چانکیہ نے سہی کہا تھا کہ جب ریاست چلانے والے ویاپاری ہو جائیں گے، تو اس ریاست کے لوگ بھکاری ہو جائیں گے۔ آج وہ وقت آ چکا ہے کہ کیا First past the post system اس ملک کے لئے سہی ہےیا پھر ہم proportional form of representation کو فولو کریں گے۔ First past the post system, جس کے پاس ایک مذہب کا ووٹ ہوگا، جس کے پاس دولت ہوگی، وہی اس ایوان میں آئے گا۔ اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں یہ جمہوریت کمزور نہ ہو جائے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے۔

سر، آخر میں میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑے شاعر نےکہا تھا، اسے کہہ کر میں اپنی بات مکمل کروں گا۔

ابھی چراغ سر رہ کو کچھ خبر ہی نہیں
ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی
نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی
چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی

اسپیکر صاحب، آخر میں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو یاد رکھئیے۔ میں سبھی سے کہہ رہا ہوں کہ پچ بدلنے سے گیند نہیں بدلتی، گیند کو بدلنا پڑے گا۔ آپ پِچ بدل رہے ہیں۔ جب تک ہم اپنے

جمہوری اصولوں پر رول آف لاء پر، آئین پر اٹوٹ عمل نہیں کریں گے، ورنہ یاد رکھیئے، کہیں نئی عمارت بھی ہٹلری کی Reichstag کی عمارت نہ ثابت ہو جائے۔ شکریہ]

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आज एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। मैं भावुक भी हूं क्योंकि मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था कि हम इस सदन में आएंगे। वंदनीय हिन्दू हृदय सम्राट, शिवसेना प्रमुख श्रीमान् बालासाहेब ठाकरे जी, उनकी कृपा और आदरणीय शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी से आशीर्वाद एवं प्रेरणा लेकर हम वर्ष 2014 में यहां आए हैं। मैं जब आया तो मैंने पहले वहां से देखा। वहां ऊपर से माननीय वाजपेयी जी को देखा था। मैं किसी यूनियन का लीडरशिप करता था। उनके त्यागपत्र के समय का शब्द आज भी मेरे मन में है। मैंने वह भाषण पूरे ध्यान से सुना था। उनके बहुत सारे वाक्य मेरे मन में हैं। उनका सबसे बड़ा वाक्य जो मेरे मन में धंसा हुआ है, वह है कि छोटे मन से आदमी बड़ा नहीं होता।

दुर्भाग्यवश हम किस माहौल में जी रहे हैं। अगर वह देखेंगे, इसलिए मैंने कहा कि जब हम वर्ष 2014 में चुन कर आए, तो उद्धव ठाकरे साहब थे, बाला साहेब नहीं थे। हम उनकी वजह से आए हैं, चाहे वर्ष 2014 हो या वर्ष 2019 हो, हमारी पार्टी के नेता तो वही थे। उन्होंने टिकट दी, तब बाकी गठबंधन की बातें थीं, मान लिया कि हम गठबंधन में आए थे। हम नहीं कहते थे कि नहीं आएं, हमारे पास उतनी दिलदारी है। लेकिन मैं आज एक बात याद करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने संविधान की बात की। मुझे याद है कि जब हम महाराष्ट्र में रहते थे, परम पूज्य भारत रत्न डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, तो भाषावार प्रांत रचना बनायी। अब भाषावार प्रांत रचना बनने के बाद, हमारा मुम्बई राज्य था, वर्ष 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र बना। उसके पहले बहुत कुछ संघर्ष हुआ। हमारे महाराष्ट्र के रायगड जिले के सीडी देशमुख एक कोहिनूर हीरे थे। वे उस वक्त अंग्रेजों के जमाने में आईसीएस बने। लंदन से आईसीएस बनकर आए तो लोकमान्य तिलक जी ने कहा कि वह स्वतंत्रता की लड़ाई में आना चाहते हैं। लोकमान्य तिलक जी ने कहा कि भइया रुक, जब स्वराज्य मिलेगा तब हमें तुम्हारे जैसे लोग चाहिए। वर्ष 1943 में, सत्ता के पहले वे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने। जब सरकार आई और स्वराज्य मिला तो पंडित नेहरू जी ने उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। मैं इस घटना को पीछे जाकर क्यों कह रहा हूं, पंडित नेहरू जी द्वारा उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के बाद, वे वर्ष 1956 तक फाइनेंस मिनिस्टर रहे। उस वक्त हमारी संयुक्त महाराष्ट्र की लड़ाई शुरू हुई थी। मुम्बई के साथ महाराष्ट्र बनना है, इस लड़ाई में जब सीडी देशमुख साहब को लगा कि पंडित

नेहरू जी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमें न्याय नहीं दे रहे हैं तो सीडी देशमुख साहब ने उनके पास इस्तीफा फेंक दिया कि मुझे मंत्री बनकर नहीं रहना है। देखो, क्या स्वाभिमान था और पंडित नेहरू जी की भी सबसे बड़ी बात सुनो। वे इस्तीफा देकर गए, मुम्बई के साथ संयुक्त महाराष्ट्र बना, 106 लोगों ने अपने प्राणों की आहूति दे दी। जिस बात के लिए इस्तीफा दिया था, उन्होंने वह मंत्री पद तो छोड़ा, लेकिन पंडित नेहरू जी ने उनको एनसीएईआर का फाउंडर मैम्बर बना दिया। उनको यूजीसी का चेयरमैन बनाया। आज अगर इस तरह कोई अपना विचार प्रकट करे और कहे कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है तो क्या प्रतिक्रिया आएगी, उतना ध्यान में रखना है।

मैं सुषमा जी को दीदी कहता था। मैंने सुषमा जी के भाषण यहां बैठकर भी सुने और पहले भी सुने थे। अरुण जेटली साहब के भाषण सुने। हम भाग्यवान हैं कि टेक्सटाइल मिल के एरिया में रहने वाला छोटे परिवार का बेटा यहां आकर सांसद बना। मैं आदरणीय मोदी साहब की सरकार में मंत्री भी बना। मैं 5 महीने मंत्री भी रहा और मुझे दोनों सदन में जाने का सौभाग्य भी मिला। मैं वहां भी जाऊं और यहां भी आऊं, लेकिन आज जिस ढंग से आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने सुबह जो बात की, वह सही बात है। आज मैं बाकी राजनीति में ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं। आज आखिरी दिन है, इस इमारत का आखिरी दिन है। उन्होंने वहां माथा टेका था, मुझे वह भी याद है। लेकिन जिस तरह से माथा टेका था, वर्ष 2014 और 2019 का समय बड़ा अच्छा था। वर्ष 2019 के बाद हम जो सामने देख रहे हैं, वह बहुत बुरा लग रहा है। महाराष्ट्र राज्य के निर्माण के बाद जैसे उसी वक्त सीडी देशमुख साहब ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया, एलआईसी बनाई। बाद में माननीय इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, राष्ट्रीयकरण किया। ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स बनें, लेकिन आज उनकी हालत क्या है, मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। हम उनको न्याय नहीं दे पा रहे हैं। मेरा यहां 9 वर्ष से ज्यादा का कार्यकाल है। हमने एमटीएनएल, बीएसएनएल की हालत देखी है। अब तो वह वेंटिलेटर पर है। हम बचा नहीं पाए, मेरे दिल में उसका दु:ख है, दर्द है। वही सबसे बड़ी बात है।

सर, मैं आपको बेरोजगारी, किसान, महिलाओं पर अत्याचार, एजुकेशन के बारे में बताता हूं। हम न्याय नहीं दे पा रहे हैं। मैं बार-बार कहता था, प्रकाश जावडेकर जी कुछ कार्यकाल के लिए मंत्री थे। मैंने कहा कि भइया आप हायर एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। प्राथमिक व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां डिस्पैरिटी है, वहां डिस्क्रिमिनेशन है। सिलेबस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन है। आपका बच्चा आईसीएसई बोर्ड में पढ़ता है, मेरा एसएससी में पढ़ता है, इनका सीबीएसई में पढ़ता है, चौथा और कहीं इंटर्नशिप बोर्ड में पढ़ता है। उनके सिलेबस अलग हैं। जब सीडी को एग्जाम देना है तो कौन कच्चा रहा, आप ही जान लीजिए। ? (व्यवधान) सर, मैं दो मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा। इस विषय के लिए तो हमें न्याय देने की आवश्यकता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आज भी मुझे दो चीजें बहुत बुरी लगती हैं, जिनमें से एक है भ्रष्टाचार। क्या हम सही में भ्रष्टाचार के खिलाफ

हैं? यह हमें अंतर्मुखी होकर देखना चाहिए। भ्रष्टाचारियों को हम सम्मान देकर लेते हैं, उनको मंत्री बनाते हैं। यह इस सदन के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग वहाँ जा रहे हैं, तो गलतियाँ वहाँ नहीं दोहरानी चाहिए। इसलिए मैं एक ही बात कहूँगा कि जैसे हमारे यहाँ अभी आरक्षण की लड़ाई शुरू है। ओबीसी, मराठा समाज के आरक्षण की लड़ाई है। उनको न्याय नहीं मिल रहा है। मराठी भाषा को अभिजात्य भाषा का दर्जा देने की बात आ रही है। उसे अभिजात्य भाषा, क्लासीफाइड लैंग्वेज का दर्जा देने का काम भी नहीं हो रहा है।

हम जब भी बात करते हैं, तो इतिहास की बात ज्यादा करते हैं। इन्होंने यह किया, उन्होंने वह किया, कभी तो छोड़ेंगे कि नहीं? इसे छोड़ो, हमें आगे जाना है न। हम चन्द्रमा पर गये हैं। इसलिए मैं दो पक्तियाँ कहूँगा-

?जहाँ डाल-डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा।?

हम उस भारत देश की बात करते हैं, उसे इंडिया कहो, भारत कहो या हिन्दुस्तान कहो। क्यों नफरत पैदा करते हो? नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो।

माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही कहूँगा-

?छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी,

नये द्वार पर लिख देते हैं मिलकर नयी कहानी,

हम हिन्दुस्तानी, हम हिन्दुस्तानी, हम हिन्दुस्तानी।?

धन्यवाद।

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती): आज Discussion on ?Parliamentary journey of 75 years? पर चर्चा हो रही है। मैं 75 साल का अनुभव तो नहीं बता सकती या उसके विषय में तो नहीं बता सकती हूँ। लेकिन मैं इतना अनुभव जरूर बताऊँगी। उससे पहले हमारे देश के असली हीरो, देश के महापुरुष और क्रांतिकारियों ने, जिन्होंने इस देश के लिए अपना योगदान दिया, जिन्होंने अपने खून का कतरा-कतरा इस देश के लिए दिया, पार्लियामेंट में उनका उल्लेख होना बहुत जरूरी है। पार्लियामेंट की इस बिल्डिंग के साथ देशवासियों की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। हम जैसे न्यू कमर्स, जो पहली बार इस पार्लियामेंट में आए हैं, उनकी भी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आदर्श, हम सभी के लिए हैं। वे इस देश के लिए बने। इनमें सरदार वल्लभभाई पटेल, लोकमान्य तिलक, ज्योतिबा फुले, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, लाला लाजपत राय जी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, रानी लक्ष्मीबाई, वीर सावरकर जी भी हैं।

मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलांग करती हूँ। मेरे पिताजी पूर्व सैनिक रहे हैं। मैं उस परिवार से आती हूँ, जहाँ मैंने बचपन से देश को देने का भाव, देश के प्रति समर्पण और ईमानदारी से देश के प्रति काम करने का भाव सीखा है। सपने में भी कभी नहीं सोचा जा सकता है कि एक साधारण परिवार से बिलांग करने वाली एक महिला इस पार्लियामेंट तक आ सकती है और आम जनता की, किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, जिनके हाथों में काम नहीं है, उन लोगों की आवाज़ बनकर इस पार्लियामेंट में आने का अगर किसी ने मुझे मौका दिया है, तो मेरी अमरावती की जनता का आशीर्वाद मुझ पर था कि ऐसी लहर में, ऐसी हवा में उन्होंने मुझे निर्दलीय चुनकर, आशीर्वाद देकर, उनकी आवाज़ बनने का एक मौका दिया। इसलिए इस चुनकर आने वाले सदन में, पिछले कितने सालों से, जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं, उसकी आवाज़ बनती हुई, मुझे इस पार्लियामेंट में सबने सुना है। अगर आज मेरी पहचान है, तो अमरावती की सांसद के तौर पर है। इसलिए उन अमरावती-करों को, गरीब लोगों को, किसान भाइयों को, मजदूरों को, युवाओं को इस पार्लियामेंट से मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। इस पार्लियामेंट में आने के बाद, हम जिनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व के अंतर्गत रहकर हमें इस पार्लियामेंट में काम करने का मौका मिला। जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता, जो बातें किसी की सोच में नहीं आ सकतीं, पिछले साढ़े चार वर्षों में, उनके नेतृत्व में वे काम होते हुए हमने देखा है। चाहे आर्टिकल 370 हो या महिलाओं को घर देने की बात हो, हर चीज में, हर स्टेप उनसे सीखते हुए इस पार्लियामेंट ने आगे कदम बढ़ाया है।

इस देश को पहली बार जी-20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला। जी-20 तो बहुत सारी चीजों में होती होगी, लेकिन मोदी जी ने सिखाया कि ?स्मार्ट इंडिया? कैसे बनना है। मोदी जी के द्वारा दिये गये, स्मार्ट इंडिया के बहुत सारे उदाहरण देशवासियों ने देखे हैं और उसे हम जैसे युवाओं ने सीखा है। लेकिन जिस तरह से, जी-20 आयोजित करने का मौका पहली बार हमारे देश को मिला, अगर उसका क्रेडिट किसी को जाता है या उसमें किसी का योगदान है, तो वह हमारे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेन्द्र मोदी जी का है।

वे जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उससे आज पूरे विश्व में हमारी पहचान बनी है। जब हम बाहर किसी देश में जाते हैं, एब्रॉड जाते हैं, तो वहां के आम लोगों से बात करते हैं, वहां के एनआरआईज़ से बात करते हैं। हम उनसे पूछते हैं, "do you know any politician who belongs to India"? They say, "We do not know many names

but we know one name, i.e., Modi". मुझे तब प्राउड फील होता है कि मैं उस देश की नागरिक हूं और उस पार्लियामेंट को रीप्रेजेंट कर रही हूं, जिन्होंने इससे पहले जितने राजनेता हुए हैं, उनके नाम उन लोगों को नहीं पता हैं, लेकिन पिछले नौ वर्षों से देश के लिए जिनका योगदान रहा है, विश्व भर में अपनी पहचान और हमारे देश की पहचान बनाने का काम हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने किया है। उनकी आवाज, उनका नाम आज विश्व के हर कोने में है। मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूं। इस पार्लियामेंट में जितने भी हमारे सीनियर्स हैं। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, मंत्री रहे हुए सभी मेंबर्स हैं, उन सबका आशीर्वाद हम जैसे न्यूकमर्स, नए पार्लियामेंटेरियंस को पिछले साढ़े चार वर्षों से मिलता रहा है। हमने उनसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं। अगर हमने इस पार्लियामेंट में पहला कदम रखना सीखा है, तो मुझे लगता है कि वह हमारे सीनियर्स ने ही हमको सिखाया है। डॉ. बाबा साहब अंबेडकर, जिनके दिए हुए संविधान से यह देश चलता है, हम जैसी महिलाओं को जिन्होंने अधिकार दिए, लोकतंत्र-डेमोक्रेसी का मंदिर हम जिसे बोलते हैं, आज इस पार्लियामेंट के 75 साल पूरे होने के बाद इस पार्लियामेंट से नई इमारत में हम जाएंगे। इस देश का संविधान नहीं बदलेगा, इस देश की न्याय प्रणाली नहीं बदलेगी, इस देश का कार्य करने वाला जो प्रमुख है, हमारे पंत प्रधान, माननीय प्रधान मंत्री जी, वे नहीं बदलेंगे, सिर्फ इमारत बदलेगी। हमारी भावना, जो इस देश के प्रति थी, वह है और वही रहेगी।

हमारे देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने जिस तरीके से देश की सुरक्षा के लिए जो-जो निर्णय इस पार्लियामेंट में लिए हैं, जो-जो बिल्स वे इस पार्लियामेंट में लाए हैं, वे ऐतिहासिक हैं और हमारे और देशवासियों के दिल में रहेंगे। इसके लिए मैं अमित भाई का भी दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करूंगी।

अंत में, मैं चार पंक्तियां बोलना चाहूंगी, जो हमारे माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही हैं ?

" जो कल थे,
वे आज नहीं हैं।
जो आज हैं,
वे कल नहीं होंगे।
होने, न होने का क्रम,
इसी तरह चलता रहेगा,
हम हैं, हम रहेंगे,
यह भ्रम भी सदा पलता रहेगा। "

इसी के साथ इस इमारत को, इस पार्लियामेंट को मैं यहां से नमन करती हूं। इस पार्लियामेंट में बैठने वाला हर पार्लियामेंटेरियन हमारे लिए प्रेरणा देता है। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, this is the time when the hon. Members are getting an opportunity to refresh the valuable memories of the vast experience which we had in the parliamentary system of India.

Today, we are saying goodbye to this Parliament building and tomorrow, we are moving to the newly constructed building. It is very sad to say that we are leaving this House. Leaving this House is intolerable for a person like me. The political legacy, the legislative legacy and the historic legacy of this building can never be equated with any modern structure which we have built, even though we are having a much better infrastructure and facilities. Anyway, we are thankful for all the opportunities that we are getting after this Parliament building. We would like to refresh those memories at this juncture.

I am thankful to the hon. Speaker as well as the Government for affording such an opportunity to refresh the memories of our experience in Parliament.

We are indebted to the Members of the Constituent Assembly because ours was the lengthiest written Constitution framed by the framers of the Indian Constitution, i.e. the Members of the Constituent Assembly. Our generations are indebted to the framers of the Indian Constitution. All the legislations of Independent India are made on the basis of the Constitution. In India, the first legislative document was the 'Constitution of India'. Definitely, we are committed, dedicated and indebted to the forefathers and the framers of the Constitution. If you go through the procedure and practice of the Constituent Assembly, each and every article of the Constitution was well discussed. After discussion, each and every question about the articles was replied to by Dr. Baba Saheb Ambedkar at the time of adoption. After he clarified the position, then only it was accepted.

That was the precedent and the convention which was started since the time of the Constituent Assembly. We still want to continue it.

Also, the Constitution provides for a Parliamentary system of governance. According to me, as far as India is concerned, such a pluralistic country, having unity in diversity, the

Parliamentary system of governance is the best solution. If you go back and examine the history of Indian Parliament, in December 1946, Pandit Jawaharlal Nehru presented the objective resolution in the Constituent Assembly. That became the foundational document of the Preamble which declared equality, liberty, fraternity, justice, economic, social and political freedom of opinion as the goal of free India. It was Pandit Jawaharlal Nehru or it was a Nehruvian vision which animated the Constitution along with the intellectual outputs of Dr. Baba Saheb Ambedkar. If you critically examine, during the past seven and a half decades, almost all the time, the federal structure of the country was under threat. If you see, from 2014 to 2023 also the federal character of the Constitution is not being addressed in a proper way. The latest example is the Delhi Union Territory (Amendment) Bill by which the elected Government?s powers have been taken by the Centre. So, federalism has to be protected. That is the point which I would like to make.

We have seen the glorious history of Indian Parliament in the legislative process. There are landmark legislations right from the First Constitution Amendment in the year 1951 to the 104th Amendment. By 73rd and 74th amendments, the Panchayati Raj and the Nagar Palika systems were introduced in the three-tier system of administration. It was a landmark legislation which was done. There are so many legislations like Right to Education Act and Right to Information Act. I am not going into the details. Election laws, personal laws, environmental laws, property laws, food laws, GST laws and Insolvency and Bankruptcy Acts and so many landmark legislations have been passed.

Sir, I am coming to the precedents and conventions of the House. Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister, and G.V. Mavlankar, the first Speaker of Lok Sabha of the country, are the architects of the present Parliamentary system. Pandit Jawaharlal Nehru created healthy conventions and followed them scrupulously and made others to follow. On one occasion, when G.V. Mavlankar, the then hon. Speaker, expressed a desire to meet the Prime Minister at the Parliamentary office, after getting the information from the Speaker,

Pandit Jawahlar Nehru immediately responded, ?No, the Speaker is the master of the House. He should not come to my office.? And the Prime Minister went to the office of hon. Speaker. That was the convention and the tradition of this House that we have to maintain. That is the point which I would like to make.

Pandit Jawaharlal Nehru laid the foundation for an effective parliamentary system. He would be present in the House every day during the Question Hour. Whenever the Minister gave a wrong answer or an unsatisfactory answer, the Prime Minister would stand up and correct the answer of the Minister. That was the tradition and the convention. ? (*Interruptions*) The role of Opposition was well-respected by Pandit Jawaharlal Nehru. When A.K. Gopalan was speaking from this side, the hon. Prime Minister was always present. So, these healthy traditions, conventions and precedents are the strengths of Indian Parliamentary democracy which has to be protected.

Now, I am coming to my Parliamentary experience. Please give me two more minutes.

HON. CHAIRPERSON: No. Time is running out.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: I came to this House in the year 1996 during the Eleventh Lok Sabha. I had the fortune to see three Prime Ministers ? (*Interruptions*)

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, इतनी क्या जल्दी है, थोड़ा समय बढ़ा दीजिए।

माननीय सभापति : ठीक है।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I will finish in two or three minutes. When I came here for the first time in the year 1996, I had the fortune to see three Prime Ministers within 19 months, the first one being Atal Bihari Vajpayee ji, then H.D. Deve Gowda ji and then Inder Kumar Gujral ji. At that time, I was very much afraid and having the apprehension how to address the House. We saw stalwarts like P.V. Narasimha Rao ji, the former Prime Minister, Chandra Shekhar ji, Arjun Singh ji, L.K. Advani ji, Atal Bihari Vajpayee ji, Indrajeet Gupta ji, Somnath

Chatterjee ji, Chitta Basu ji, Biju Patnaik Ji and Murasoli Maran ji, during the Eleventh Lok Sabha.

At that time, immediately after 13 days of Shri Atal Bihari Vajpayee ji Government, a No-Confidence Motion was moved. At that time, my party had five MPs. I was the Chief Whip. So, I got the opportunity to make my maiden speech. At that time, Shri P.A. Sangma was the Speaker. I got 12 minutes to speak. My allotted time of five minutes was extended to 12 minutes. Everybody congratulated me. Outside the Chamber, when hon. Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee was coming in my direction, he just thumped my shoulder and said, ?Well done; keep it up?. That was the democratic temper which he had shown during the time of Vajpayee ji. That was the inspiration we got.

Also, I would like to mention about Arun Jaitley ji. We had series of debates with him and the way he used to accept our arguments was commendable. One day when we discussed a money Bill, I still remember that he disputed my point, my argument. The next day he said that he referred to the books, he did his homework, and after studying he found what I had said yesterday was correct. That type of an appreciation has to be maintained.

Lastly, the Rules of Procedure and Practice have to be amended so as to ensure smooth functioning of the House. Once again, I take this opportunity to express our sincere thanks.

With these words, I conclude. Thank you very much.

HON. CHAIRPERSON: Shri Indra Hang Subba ji. You normally are very brief. This time also, please be brief.

श्री इंद्रा हांग सुब्बा (सिक्किम): माननीय सभापति जी, मैं अपनी मातृभाषा नेपाली में बोलना चाहता हूं।

*Honourable Chairman Sir, today I wish to speak in my mother tongue, Nepali. Because after a long struggle, only in 1992 we got the opportunity to speak in Nepali in this House and the language got its recognition as official language in the entire country when it was included in the 8th Schedule of the Constitution. Today I feel proud to speak in Nepali language. On this historic occasion, I would like to thank the people of Sikkim because of whose blessings I am standing in this House today representing them. I would like to thank the Hon?ble Speaker, Shri Om Birla for the opportunity that I received during the last four years to raise the issues pertaining to Sikkim and the people of Sikkim. Sikkim was connected to our parliamentary democracy since 1975 when it was merged with the Union of India. At that time, the leadership sitting in this House conferred special status to Sikkim, allowing it to continue with its own separate culture and institutions and protecting its unique identity. This special status is guaranteed in the Constitution itself. The representatives and leadership who represented Sikkim during these years deserve a special mention and remembrance today. I express my gratitude to all of them on this historic occasion. The Hon?ble Members preceding me had their immense contribution in bringing Sikkim to today?s status, improving its relation with the Union and contributing to the nation building. I remember all those Members of Parliament and on their behalf too I thank and express to gratitude to the Hon?ble Speaker and other Members of Parliament.

I feel that when we move from the old Parliament building to the new one, our responsibilities are not going to change. We have to work for the people of our constituency who bestowed faith on us. We have come a long way since 1947. We know where we were and where we are now. Today we are counted amongst the most powerful countries in the world. We have witnessed the successful presidency of India in the G20 summit and leaders from across the world have praised us. We have also witnessed the success of Chandrayaan mission. Tomorrow we are going to enter the new building and I feel that we will get the responsibility of fulfilling dreams bigger than these. I believe that all the Members of Parliament together will be able to take the good work forward.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज इस पार्लियामेंट का बहुत ऐतिहासिक दिन है। संविधान सभा से अब तक की 75 वर्ष तक की यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव और स्मृतियों पर चर्चा हो रही है।

सभापति महोदय, प्रधान मंत्री जी सहित तमाम पक्ष-विपक्ष के विद्वान सांसदों ने अपनी बात रखी। हम भी अपना सफर बता दें, हम विधान सभा में तीन बार विधायक बने। हमारी इच्छा थी कि एक बार लोक सभा को भी देखें। कई बार बाहर से देखते थे। वर्ष 2014 में जब मैंने पहला लोक सभा चुनाव लड़ा तो चुनाव हार गया और दोबारा एनडीए गठबंधन के साथ हम आए। एनडीए गठबंधन में हमें बी.जे.पी. का ही फायदा नहीं मिला। हमारा फायदा इनको मिले और इनका फायदा हमें मिले, यह गठबंधन हुआ था। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप विषय पर आइए। समय कम है। घड़ी आज भी चल रही है।

श्री हनुमान बेनीवाल: सभापति महोदय, हम तो विधान सभा में थे, वहां रोज हल्ला होता था। विधान सभा के अन्दर सस्पेंड भी होते थे, विधान सभा की कार्यवाही का बहिष्कार भी होता था, सदस्यों को बाहर भी निकाला जाता था, लेकिन जब हम पहली बार यहां आए तो यहां भी यह स्थिति देखी कि कितना समय हंगामे की भेंट चढ़ गया। पिछली बार जब पार्लियामेंट का सेशन था तो उसके अन्दर बस लास्ट दो-तीन दिन चर्चा हुई। यह बात पहले भी बैठ कर हो सकती थी। पूरा देश देखता है कि पार्लियामेंट चलेगी। जब सांसद पार्लियामेंट के लिए रवाना होता है और जब पार्लियामेंट चलती है, तब बेराजगार, किसान तमाम वर्गों के लोग एम.पी. के पास आते हैं कि हमारा मुद्दा लोक सभा के अन्दर उठाओ। उन्हें लगता है कि अगर लोक सभा के अन्दर कोई बात उठ जाएगी तो यह हो सकता है कि सरकार उस पर ध्यान दे देगी और उसका समाधान हो जाएगा। दुर्भाग्य से, पिछला सत्र चला गया।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक छोटी-सी सारणी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। पहली संसद का जब गठन हुआ था, पाँच सालों में वह 677 दिन चली थी। पाँचवीं 613 दिन चली थी, आठवीं 485 दिन चली थी, सोलहवीं 331 दिन चली थी। सत्रहवीं लोक सभा में अभी नवम्बर-दिसम्बर और जनवरी-फरवरी का समय बाकी है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि 230 दिनों के बाद 30-40 दिन और चल जाए। जो दिन घट रहे हैं, यहां चर्चा नहीं हो रही है, तो मेरी यह मांग है कि यह सत्र अगर 600 दिन, 500 दिन चलेगा और पार्लियामेंट के अन्दर और ज्यादा अवधि के लिए मीटिंग हो, ताकि लोगों को बात कहने का मौका मिले। ? (व्यवधान)

सभापति महोदय, बात तो बोलने का मौका दीजिए। एक मिनट का समय दीजिए।

माननीय सभापति : अब आपके भाषण का समय समाप्त हो गया। आप अपने भाषण का आखिरी वाक्य बोल दीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल: यह जरूरी नहीं है कि मैं अपना आखिरी वाक्य बोलूं। मैं नहीं बोलूंगा।

श्री एम. बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय के ऊपर बोलने का मौका दिया। आज हमारे इस पुराने घर का आखिरी दिन है, कल हम लोग सब नए घर की तरफ जाने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि पुराने घर में रहते हुए गए नए साल से संविधान के साथ हम लोगों ने जो खिलवाड़ किया है, मैं ?खिलवाड़? कहूंगा गुस्ताखी की माफी के साथ, पूरे संविधान को बदलने की बात हो रही है, हिन्दू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, यह हमारे संविधान में कहीं भी नहीं था। ? (व्यवधान) दलित भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, उन सबको हमें यहीं छोड़ कर जाना है। ? (व्यवधान) What is the meaning of Pakistan? ? (*Interruptions*)

मुझे यह कहना है कि कल से हम नई बिल्डिंग में जा रहे हैं, खाली कपड़ा नया बनाने से नहीं होगा, दिल बदलना होगा। हम लोगों को पुराने मामलों को भूल कर नई बिल्डिंग में जाना पड़ेगा। ? (व्यवधान) दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए और दूसरों के लिए दिल खोल कर काम करना पड़ेगा। इलेक्शन सामने है। यह पब्लिक है, यह सब जानती है।

सर, मुझे आज बड़ी खुशी है कि आज मोदी जी ने बोल दिया। पिछली मर्तबा सत्र में अगर मोदी जी पहले दिन एक-दो मिनट के लिए बोल देते तो 18 दिनों का हमारा सत्र चल जाता और यहां काम होता। आज उन्होंने बोला, हम उनके बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं। जी-20 के लिए और चन्द्रयान-3 के लिए भी हम लोग शुक्रगुज़ार हैं, लेकिन केवल बिल्डिंग बदलने से नहीं होगा, दिल बदलना पड़ेगा, दिमाग बदलना पड़ेगा। इस मुल्क को अच्छाई की तरफ ले जाने के लिए सबको इरादा करना पड़ेगा।

[جناب بدرالدین اجمل (دھبری): جناب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس موضوع پر بولنے کا موقع دیا۔ آج ہمارےاس پرانے گھر کا آخری دن ہے، کل ہم سب نئے گھر میں جانے والے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ پرانے گھر میں رہتے ہوئے نئے سال سے آئین کے ساتھ ہم لوگوں نے جو کھلواڑ کیا ہے ، میں کھلواڑ کہوں گا۔ گستاخی کی معافی کے ساتھ، پورے آئین کو بدلنے کی بات ہو رہی ہے، ہندو راشٹر بنانے کی بات ہو رہی ہے، یہ ہمارے آئین میں کہیں

بھی نہیں تھا۔ (مداخلت)۔ دلت بھائیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ان سب کو ہمیں یہیں چھوڑ کر جانا ہے۔ (مداخلت)۔ (Interruptions) What is the meaning of Pakistan? (Interruptions)

مجھے یہ کہنا ہے کہ کل سے ہم نئی بلڈنگ میں جا رہے ہیں، خالی کپڑا نیا بنانے سے نہیں ہوگا، دل بدلنا ہوگا۔ ہم لوگوں کو پرانے معاملوں کو بھول کر نئی بلڈنگ میں جانا پڑے گا۔ (مداخلت)۔ دلتوں کے لئے مسلموں کے لئے اور دوسروں کے لئے دل کھول کر کام کرنا پڑے گا۔ الیکشن سامنے ہے، یہ پبلک ہے یہ سب جانتی ہے۔

سر، مجھے آج بڑی خوشی ہوئی کہ آج مودی جی نے بول دیا۔ پچھلی مرتبہ سیشن میں اگر مودی جی پہلے دن ایک۔دو منٹ کے لئے بول دیتے تو 18 دنوں کا ہمارا سیشن چل جاتا اور یہاں کام ہوتا۔ آج انہوں نے بولا، ہم ان کے لئے بہت بہت شکرگزار ہیں۔ جی20 کے لئے اور چندریان 3 کے لئے بھی ہم لوگ شکرگزار ہیں، لیکن صرف بلڈنگ بدلنے سے نہیں ہوگا، دل بدلنا پڑے گا، دماغ بدلنا پڑےگا، اس ملک کو اچھائی کی طرف لے جانے کے لئے سب کو ارادہ کرنا پڑے گا۔]

*m41**SHRI SUSHIL KUMAR RINKU (JALANDHAR):** Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on 75 years of Indian democracy. People of my constituency congratulated me when I was elected as an MP of Lok Sabha. They were happy that I will get to participate in debates and discussions in the new House. I wanted that I should take oath in the old Parliament House. This august House is the legacy of our country. Great leaders of the country fought for independence of our country. I can feel their presence in this august House. I am proud to represent Punjab that has played the vital role in the independence

movement. Punjabis have given maximum sacrifices so that this country could attain independence.

Sir, today, several members have expressed their views. I congratulate Hon. P.M Sir, that he was instrumental in the construction of new Parliament House. The same democratic traditions will be followed in the new House too. Buildings change but the spirit of democracy remains the same.

Thank you, Sir.

*m42**DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM):** Hon Chairman Sir, Vanakkam. At the outset I thank you for giving me an opportunity to take part in this discussion which is of historic importance. This is a building with historical importance where tall leaders like Revolutionary leader Dr. Ambedkar, Pandit Nehru, *Peraringnar* Anna sat and took part in the discussions in both Lok Sabha and Rajya Sabha.

17.58 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

***DR. THOL THIRUMAAVALAVAN:** Today is the last sitting in this House. We will be shifting to the new Parliament building tomorrow. Leaders including Revolutionary leader Dr. Ambedkar framed our Constitution with dreams of creating a modern India. The Constitution of India is the lifeline of our democracy. Protecting democracy is equivalent to protecting our Constitution. This House functions on the basis of our Constitution. Our nation functions through this august House. Many laws aimed at the upliftment of the marginalised sections of the society have been legislated in this House. Act for providing reservation, revolutionary acts including the one aimed at empowerment of our local bodies, Act for prevention of domestic violence and

atrocities, and several other Acts were legislated for protection of marginalised sections of our country. This House even legislated anti-terrorist Acts like POTA and TADA. As this House represents a reflection of the voice of the marginalised sections of the society, I got an opportunity to represent the people of my constituency in this House for the second term. It is the primary duty of this Parliament to protect our Constitution of India.

HON SPEAKER: Hon Member, please conclude.

***DR. THOL THIRUMAAVALAVAN:** Secularism is very important in our Constitution. I urge that Parliament should therefore do the needful in protecting our Constitution and secularism besides upholding it. Sir, I conclude my speech. Thank you.

-